

MR. CHAIRMAN : In view of the fact that serious allegations were made the other day, the Minister has made a statement and he has denied them. I would very much like to be satisfied that the people who made the allegation had something to go by and that I can do only in my Chamber.

श्री राजनारायण : मेरे बारे में कहा गया है, इसलिए मुझे भी सुना जाय ।

श्री सभापति : उन्होंने अपनी सफाई पेश करने के लिए बयान पढ़ा है ।

श्री राजनारायण : जो कुछ पढ़ा है शिक्षा मंत्री जी ने, वह गलत है । दूसरे माननीय सदस्य ने जो कुछ उनके बारे में पढ़ा था उसके बारे में वह कहते हैं कि मैंने पढ़ा मैलिशस है और वह मेरा नाम लेकर कह रहे हैं कि मैंने अपने कानों से (Interruption) में खड़ा हूँ इसलिए, श्रीमन्, आप उन्हें बैठने के लिए हुक्म दें । शिक्षा मंत्री जी ने मेरे बारे में जो बातें कहीं हैं, यद्यपि मैंने उसको कहा नहीं, उसको सदन के किसी दूसरे माननीय सदस्य ने पढ़ा है । मैंने तो अपना जो कुछ पढ़ा है, उस पर फिर भी खड़ा हूँ । मैं अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मैं नाम भी ले लेता हूँ . . .

श्री सभापति : आप नाम बिल्कुल न लें

श्री राजनारायण : जरा सुना जाय । शायद आपके दिमाग में कोई असर हो रहा है कि मैं कोई ऐसी चीज कह दंगा जिससे हम सरकार को फंसा दें ।

श्री सभापति : नहीं, मुझे सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है । मैं चाहता हूँ कि

श्री राजनारायण : मैं आप से अपील कर रहा हूँ कि श्री धारिया, श्री सिन्हा, हम उसमें रहेंगे, श्री गंगा शरण जी आदि पांच सदन के मेम्बरों की एक कमेटी बना दें ।

श्री सभापति : मैं आपकी एडवाइस को नहीं मानता हूँ ।

श्री राजनारायण : जैसा कि मैंने सुझाया कि इस तरह की एक कमेटी बना दी जाय जो कि इस बात की जांच करे कि जो सारी बातें यहां पर हो रही हैं उसके बारे में जांच करे । (Interruption)

श्री सभापति : मैं इसको वाजिब नहीं समझता हूँ ।

श्री राजनारायण : अगर वाजिब न हो तो कोई रास्ता ऐसा होना चाहिये कि मंत्री तो आकर यहां पर अपनी सफाई दे दें और उस सफाई को सही माना जाय और हम लोग जो कहते हैं, उसके बारे में कहा जाय कि वह तथ्य नहीं है ।

श्री सभापति : क्या आप कुछ सुनना भी चाहते हैं ?

श्री राजनारायण : मैं सुन रहा हूँ । वैसे तो मैं श्री टी० एन० सिंह के बारे में, प्रियम धर मिश्र साहब के बारे में बराबर सुना रहा हूँ आपके यहां, आपसे अपील भी करता रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ । तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि सुब्रह्मण्यम साहब के बारे में जितने चार्जज लगाये गये हैं उनकी जांच के लिये एक कमेटी सेट अप की जाय ।

THE PUNJAB REORGANISATION BILL, 1966

MR. CHAIRMAN : I proceed now to the legislative business. The Punjab Reorganisation Bill, 1966.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
(SHRI GULZARILAL NANDA) : Mr. Chairman,
I beg to move :

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Punjab and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। पहली बात यह है कि नियमों के अन्तर्गत हमको दो रोज का पूरा समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति : मैंने उसको फोरगो किया है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : आपको यह अधिकार है, लेकिन आपको अपने अधिकार का उपयोग करने के पहले मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मंत्रिमंडल के लोगों को और जो पार्लियामेण्टी विभाग है उसके लोगों को इस बात की ताड़ना करें और कहें कि वे इस तरह की व्यवस्था किया करें जिस से लोगों को पूरा समय मिला करे और आप को भी नियम न बदलना पड़े।

श्री सभापति : वह तो मैंने कर दिया . . .

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : श्रीमन्, और भी प्वाइन्ट आफ आर्डर हैं। दूसरा यह है कि यह जो पंजाब रिओर्गेनाइजेशन बिल यहां पर प्रस्तुत हो रहा है, यह संविधान की मंशाओं के विपरीत है।

श्री सभापति : देखिये, कांस्टिट्यूशनल क्वेश्चन्स हम यहां पर तय नहीं करते हैं।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : अपनी तरफ से हम केवल दो मिनट में यह रिकार्ड कर देना चाहते हैं कि इसमें कई प्राविजन्स ऐसे हैं जो संविधान के आर्टिकल 3, 14, 15 और मुख्यतः आर्टिकल 171 की मंशा के विपरीत हैं . . .

श्री सभापति : अभी तो वह पेश ही नहीं हुआ है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : पेश होने के पहले हम रखेंगे तभी काम चलेगा।

श्री सभापति : मैंने कहा कि बिल के की कांस्टिट्यूशनल क्वेश्चन तय नहीं करते।

अगर किसी खास क्लाज पर आपको कहना हो, तो वह आप बाद में भी कर सकते हैं।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : जैसी आप की आज्ञा, फिर बाद में कर दूँगा।

SHRI GULZARILAL NANDA : Sir, I shall try to bring out very briefly some of the special features of the Bill and its main provisions.

Sir, in any scheme of reorganisation the important aspects are :

(1) Demarcation of the boundaries of the new units.

(2) Providing a fresh basis for representation to the various Legislatures, firstly, in order that there may be a redistribution of the number of representatives to these Legislatures; secondly, allocation of sitting members; and thirdly, in this case specially because of the approaching general election what would be the position of the new States in respect of the number of representatives at the time of the new elections.

(3) The third and important aspect is the question of assets and liabilities of various kinds; the principles on which they have to be apportioned, the initial arrangements, and how any disputes that may arise will be settled.

(4) Provision has to be made for carrying on the administration which involves the determination of the initial strength and composition of the various cadres; allotment of the personnel; and the constitution of the Public Service Commission.

(5) The operation of the various institutions and projects in which these units have common interest, and the definition of the rights and liabilities of these units in respect of these institutions and projects.

In this case, Sir, the important categories are the High Court, the Bhakra-Nangal and Bias projects and the number of corporations and companies.

I shall take up one subject after another.

The first thing that naturally, necessarily figures in the reorganisation of a State, and

in this case the existing State of Punjab, is the formation of new units and the determination of their territorial content. We take up Part II of the Bill. Clause 3 relates to Haryana and sets out the territories which the new State will comprise. Clause 4 concerns the formation of the Union territory of Chandigarh and the areas which belong to it. Clause 5 sets out the territories in the existing State of Punjab which will be transferred to the Union territory of Himachal Pradesh. Then clause 6 states that the rest of the area of the existing State of Punjab will be the new Punjab State. The question will arise as to what was the basis for this scheme of distribution, how are the lines being redrawn. I need not narrate all the past history bearing on this event. The facts are well known. This question came up before the House here on several occasions in different forms. It may be recalled that the Parliamentary Committee on the demand for Punjabi Suba in its report, which was presented to this House on the 18th of March, 1966, had recommended the reorganisation of Punjab on a linguistic basis.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair]

It also recommended the transfer of certain areas of the State to Himachal Pradesh. The Committee had also suggested the appointment of a Commission for suggesting necessary boundary adjustments among the States of Punjab and Haryana and the Union territory of Himachal Pradesh. We appointed a Commission under the Chairmanship of a Judge of the Supreme Court to go into this matter. The Commission was constituted on the 23rd of April this year. It started functioning within a few days and submitted its report on the 31st of May, 1966. Copies of the report were laid on the Table of the House and circulated to the Members. The recommendations of the Commission were unanimous except regarding the Kharar tehsil. We decided to accept all the recommendations which were unanimous, but in this case as regards this Kharar tehsil the Commission itself could not come to a unanimous conclusion. Therefore, we had to apply our minds to a proper solution of the problem that arose. And we decided that Chandigarh, capital of the State, which is at present not included in either of the regions,

should be kept as a separate entity and the rest of the Kharar Tehsil should be divided between the States of Punjab and Haryana along the present regional boundary.

2 P.M.

There remained one other question in this context. That was about the Naya Nangal Notified Area. In the course of the detailed examination made by the Punjab Boundary Commission, it was noticed that while dealing with the Una Tehsil the Commission had gone by Development Blocks with the result that the Naya Nangal Notified Area, which lies between the Una and Anandpur Sahib Blocks, was not specifically covered by their recommendations. The Commission had no doubt indicated that the industrial complex in this area should remain in Punjab which meant that the Naya Nangal Area should go to Punjab. However, we sought a clarification from the Chairman of the Commission and after consulting his other colleagues who served as members of the Commission, he was good enough to confirm that their intention was that the Naya Nangal Notified Area should remain in Punjab. The territories of the new State of Haryana and the Union territory of Chandigarh as well as those to be transferred to Himachal Pradesh shown in this Bill have been worked out on this basis. By and large, the boundaries of the new States of Punjab and Haryana make no change in the existing regional boundary and the areas to be transferred to Himachal Pradesh mostly come from the hill areas of the Hindi region.

Now, I come to the next subject about the representation to the Legislatures. This is Part III of the Bill and I will summarise these provisions. At present there are 11 members in this House, in the Rajya Sabha, representing the existing State of Punjab. The Bill provides for five seats in this House being allotted to Haryana and 7 seats for Punjab. In addition, representation for Himachal Pradesh is being increased from 2 to 3. Of the 11 existing members, it is proposed to allot 1 member, who belongs to the territories to be transferred to Himachal Pradesh, to fill the extra seat proposed for that Union territory. Originally, we had provided that of the remaining 10 members, 4 may be allotted to Haryana and 6 to Punjab. There was, however, considerable opinion amongst the representatives of Haryana that having regard

[Shri Gulzarilal Nanda.]

to the fact that of the existing 10 members, 3 belong to Haryana areas and 7 to areas which would remain part of Punjab, the two new vacancies should be allotted to Haryana. Accordingly, para 1 of the Fourth Schedule was amended by the other House. Now, the position would be that the 7 seats intended for Punjab would be filled by 6 persons belonging to the areas which would form the new State of Punjab and 1 person belonging to the Haryana area. The 5 seats intended for Haryana would be filled by 2 persons belonging to the Haryana area and 1 person belonging to the area which would form part of the new State of Punjab, leaving 2 vacancies in the seats allotted to Haryana.

Then I will say a few words about the Legislative Assembly. There are 154 members at present. Of these, 54 will become members of the Haryana Assembly, 13 will become members of the Himachal Pradesh Assembly and the remaining 87 will become members of the Assembly of the new State of Punjab. In the Bill, as introduced, we had provided for 62 members for the Haryana Assembly until the next general elections by including in it 8 members of the existing Legislative Council of Punjab, elected from the Haryana area, in addition to the 54 members of the existing Legislative Assembly. When the Bill was before the other House, a doubt was expressed whether it would be a proper course, whether it would not be a better course if we could rely on article 4 of the Constitution to have an Assembly consisting of 54 members for Haryana until the next general elections. We thought that that was the better course. So, the Bill was amended to have 54 members only in this Assembly.

The Legislative Council of Punjab is proposed to be reconstituted with a strength of 40 members in respect of the new State of Punjab. Consequential provisions have been made in clause 22 of the Bill.

For the next general election to the Lok Sabha, Haryana will have 9 seats, Punjab will have 13 seats and 6 seats will be allotted to Himachal Pradesh inclusive of the 4 seats already allotted to that Union territory. Provision has also been made for allotting 1 seat to the new Union territory of Chandigarh. The Legislative Assembly

of Punjab to be constituted after the next general elections will have 104 seats and that of Haryana will have 81 seats. For the Himachal Pradesh Assembly, we had provided for 54 seats to be filled by direct election, in addition to the 3 seats which may be filled by nomination under the Government of Union Territories Act, 1963. There was, however, a feeling in the other House that Himachal Pradesh should have a larger Assembly. Clause 24 of the Bill was, therefore, amended to increase the number of seats to be filled by election to 60. Provision has also been made for reserving seats for Scheduled Castes and also for Scheduled Tribes in Himachal Pradesh. There will be no Scheduled Tribes in Punjab and Haryana. The other provisions of this Part relate to delimitation of constituencies and other consequential matters. Now I have covered that important part of the Bill relating to the representation in the various bodies, in the various Legislatures.

The next subject of importance, as I mentioned at the outset, would be the question of the apportionment of assets and liabilities. This has been dealt with at very great length here and this covers various aspects such as land and goods, treasury and bank balances, investments and credits, assets and liabilities of State undertakings public debt and at the end there is a very important provision, that is clause 65 which reads :—

"Where, by virtue of any of the provisions of this Part, any of the successor States becomes entitled to any property or obtains any benefits or becomes subject to any liability, and the Central Government is of opinion, on a reference made within a period of three years from the appointed day by any State that it is just and equitable that that property or those benefits should be transferred to, or shared with, one or more of the other successor States, or that a contribution towards that liability should be made by one or more of the other successor States, the said property or benefits shall be allocated in such manner, or the other successor State or States shall make to the State primarily subject to the liability such contribution in respect thereof, as the Central Government, may, after consultation with the State Governments concerned by order determine."

There is the matter of Services of which I made mention. The provisions in Part IX of the Bill relating to Services follow the same pattern as the one adopted in the previous reorganisation laws. We had provided in the Bill that the existing Public Service Commission of the State might continue as the Public Service Commission of the new State of Punjab and that Haryana might set up a separate Commission. This provision was made on the lines of the corresponding provision in the Bombay Reorganisation Act. The representatives of the States, however, expressed their desire that the existing Commission might be dissolved and the Chairman and Members thereof may be allocated to the two States as was done in the States Reorganisation Act in respect of certain Public Service Commissions. Clause 85 was, therefore, amended accordingly and the provision is made on these lines.

Another important subject which I mentioned at the outset was how we dealt with various institutions and projects. Among others was the question of the High Court in the first instance. Then there was the question of important irrigation power projects like Bhakra-Nangal and Beas projects and various institutions, corporations etc.

About High Court—this is part IV—the Bill provides for a common High Court for Punjab and Haryana and the Union territory of Chandigarh with its seat at Chandigarh. Chandigarh, as is now very well understood, would be the joint capital of the two States. Obviously, the constitution of a common High Court would, from all points of view, be beneficial, convenient and would serve all interests of both the Bar and the public, and in the circumstances, in which we are placed, this will be the one way by which the least dislocation will be caused. Article 231 of the Constitution envisages the setting up of such High Courts.

This part also contains a detailed provision regarding High Courts which are modelled on the previous reorganisation laws. I may straightaway indicate that if there is any feeling that a common High Court is not liked, is not acceptable, well, it is open to the States to consider the matter and take any decision they find more suitable. But, in any event, the arrangement has to be

there now and this is the best arrangement that can be made for the purpose.

Then comes the very important question of Bhakra-Nangal and Beas projects. I should like to state this position very clearly. Part VII of the Bill contains special provisions in respect of the Bhakra-Nangal and Beas projects. At present in accordance with the agreement between Punjab and Rajasthan the benefits of the Bhakra system are being shared by the two States roughly in the ratio of 85 : 15. Both the State Governments have provided necessary funds for the construction of this huge project which is a standing example of co-operative venture between the two States and I think it should be encouraging for the purpose of dealing with similar situations later on.

With the reorganisation of the existing State of Punjab, Rajasthan's interest in the project will remain unaffected, but the interest of areas which will cease to be part of Punjab and the new State of Punjab will have to be suitably defined. Out of the total cultivable commanded area of 58.61 lakh acres served by the Bhakra system, about 37.7 per cent, would lie in the new State of Punjab, 46.7 per cent, in Haryana and the rest in Rajasthan. The irrigation system from the three main rivers, namely the Ravi, the Beas and the Sutlej are inter-linked. They require integrated and co-ordinated operation for the optimum utilisation of the waters in these States.

شری عبدالغنی (پنجاب) : میں ایک
پوئنٹ کا ذرا کلیریفیکیشن چاہتا
ہوں۔ نندہ جی نے بیاس اور ستلج کے
بارے میں . . .

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब) : मैं एक
प्वाइंट का ज़रा क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ।
नन्दाजी ने ब्यास और सतलुज के बारे में
. . .]

SHRI GULZARILAL NANDA : He can put questions later on.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : He is not yielding.

†[] Hindi transliteration.

SHRI GULZARILAL NANDA : There will be enough time to deal with all the problems.

شری عبدالغنی : راوی بر جو بن
رہا ہے اس کا آب نے ذکر نہیں کیا ۔
اس میں کسمیر کو بھی فائدہ پہنچنے والا
ہے ۔ اس لئے میں نے یہ لکھنا چاہا ۔
راوی بواہنا ہے ۔

†[श्री अब्दुल गनी : रावी पर जो बन
रहा है उसका आपने जिक्र नहीं किया ।
उसमें काश्मीर को भी फायदा पहुंचने वाला
है । इसलिए मैंने यह कहना चाहा । रावी
तो अपना है ।]

SHRI GULZARILAL NANDA : All right. We can take it up. At present the operation of the project is done by the Government of Punjab, except that on the power side the Punjab Electricity Board takes the place of the State Government. As a result of reorganisation, both Punjab and Haryana will have substantial interest in this project, but its main components will lie either in Himachal Pradesh or in Punjab. We have, therefore, provided that the rights and liabilities of the existing State of Punjab in this project shall be apportioned amongst the successor States in such manner as may be agreed to between them, but if no agreement is reached within two years, the Central Government will determine their relative rights and liabilities by an order. For the administration, maintenance and operation of the main components of the project as also certain other connected irrigation works, provision has been made for a Management Board in clause 79. This Board will have representatives of all the beneficiary States, including Rajasthan. There will also be some representatives of the Central Government and the Chairman will be appointed by the Central Government. The main function of the Board will be to regulate the supply of water and of power in accordance with the subsisting agreements between Punjab and Rajasthan and the agreement that may be reached between the successor States. These provisions

were generally welcomed in the other House.

For the effective functioning of the scheme embodied in this clause, it was considered necessary to include some more sub-stations and also the main transmission lines within the purview of the proposed Management Board. In view of the heavy responsibilities that would devolve on this Board, it was considered desirable to have a whole-time Chairman and two whole-time members for the Board in addition to the other representatives mentioned in sub-clause (2) of this clause. The clause was amended accordingly.

Beas project is another big venture in this area. The complex and inter-dependent system of irrigation and power in this region would be further complicated with the completion of this project which is now under construction. Both the units of this project, namely the Beas-Sutlej Link project and the Pong Dam project lie in the territory of Himachal Pradesh. Like Bhakra project, this project is also a joint venture of the Punjab and Rajasthan Governments and after reorganisation, Haryana and Himachal Pradesh will also have some interest in this project. It has, therefore, been provided that the rights and liabilities in respect of this project should also be shared amongst the successor States by agreement and failing that by an order of the Central Government. For the construction of the project, a Board similar to the Bhakra Management Board is contemplated.

The composition of this Board will be determined later, but it is intended that all the beneficiary States should have representatives on this Board. The construction will be undertaken by the Central Government on behalf of the successor States and the State of Rajasthan and when the major components of this project are completed it is intended that their administration, maintenance and operation should be transferred to the Bhakra Management Board. The entire scheme has been conceived in the interest of the areas which have to derive the maximum benefit from this great project. I shall deal with the other questions of Part VII. Part VII of the Bill relates to certain corporate bodies etc.

†[] Hindi transliteration.

Clause 67 provides for the existing State Electricity Board and the State Warehousing Corporation being continued as inter-State bodies and also contains necessary provisions for the dissolution of these bodies within one year on reorganisation. The intention is that the new States would set up their own Electricity Boards and Warehousing Corporations within this period. Clause 69 deals with State Financial Corporations. At present this Corporation is serving not only the existing State of Punjab but also the Union territories of Himachal Pradesh and Delhi. We have therefore provided that it should continue to serve these areas, but if at any time it becomes necessary to reconstitute or reorganise or dissolve this body, there is necessary provision for doing so. Clause 70 contains a provision similar to the one included in the Bombay Reorganisation Act, 1960, to enable the State Governments to draw up, in advance of the date of Reorganisation, schemes for reorganising certain co-operative societies so that they could be put into effect from the date of reorganisation. Clause 71 of the Bill is an ancillary provision which enables the State Governments to set up co-operative banks without prior licence of the Reserve Bank within 3 months of reorganisation. Clause 72 contains a general provision regarding statutory corporations which will become inter-State in character as a result of reorganisation or continue to serve the needs of the successor States. As the Punjab University and the Punjab Agricultural University would be serving the areas at present they are serving, it has been provided that the successor States should make such grants to these bodies as may be determined from time to time. It has also been made clear that the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee constituted under the Sikh Gurdwaras Act, 1925 would be covered by clause 72. Clause 73 deals with certain companies which would be serving the successor States after reorganisation. When the Bill was being considered in the Lok Sabha, some more companies were included in this clause so that they too could serve the successor States after reorganisation. The interest of the existing State of Punjab will be shared among the successor States and the Board of Directors would be suitably reconstituted. Clause 77 provides for facilities in certain State institutions being

continued by the respective States to which these institutions may go after reorganisation.

These are the main provisions of the Bill and I hope that it will be realised that the object of this reorganisation is the promotion of economic or other interests of these reconstituted units and that after this reorganisation there will prevail a spirit of co-operation and whatever questions arise which may naturally be out of a big operation, will be settled in a spirit of amity, understanding, etc. and that all these units will make progress and nothing will happen which will hinder that progress by any kind of feeling or estrangement or bitterness and that the future of these units will be a very bright one. Sir, I have done.

The question was proposed.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया :
व्यवस्था का प्रश्न । उपसभाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है यह संविधान की मन्शाओं के विपरीत है और इसके बारे में कुछ संक्षिप्त सदन के सामने निवेदन कर दूँ । पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 3 के अन्तर्गत हमको कार्यवाही करनी चाहिये थी, वह हुई नहीं । आर्टिकल 3 का जो प्राविजो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि :

"Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the boundaries of any State or States specified in Part A or Part B of the First Schedule or the name or names of any such State or States, the views of the Legislature of the State or, as the case may be, of each of the States both with respect to the proposal to introduce the Bill and with respect to the provisions thereof have been ascertained by the President."

श्रीमन्, हमारी अभी जो पंजाब की विधान सभा है उसको न तो हमने डिजाल्व किया है न वह डिफांक्ट है और ऐसी स्थिति में हमने जो कि एक कानून पास करके राष्ट्रपति जी को

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

अधिकार दे दिया है इस बारे में कि अब उनकी सारी पावर्स उनके हाथ में दे दी है, मगर इसके बावजूद भी प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के अनुकूल होने के साथ ही साथ जब हम कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करते हैं उसका एग्जिस्टेंस है तो क्यों नहीं हम उनकी राय लें, वह सामूहिक रूप से लें या अलग अलग लें, क्योंकि संविधान की धारा के विपरीत हम वह कार्य कर रहे हैं।

दूसरे हिमाचल प्रदेश में भी है एक काउन्सिल। हमारे मंत्री जी कहेंगे कि स्टेट में वह आता नहीं है, वह यूनियन टैरीटरीज में आता है, वह यूनियन टैरीटरीज के अन्तर्गत होता नहीं। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि जब हम लेजिस्लेटिव असेम्बली का उसमें जिक्र करते हैं तो हमको उनकी राय लेना भी आवश्यक है। परिणाम यह होगा कि इसमें हमको ज्यादा कठिनाइयाँ होंगी और मत लेने की दृष्टि से इसमें सारी व्यवस्था की थी।

अब इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि हमारी जो खरड़ तहसील है उसका हिस्सा किया जा रहा है। खरड़ तहसील तीन हिस्सों में बाँट दी गई है जब कि आयोग को रिपोर्ट देने के लिये जो लिखा गया था उसके पेज 10 पर कहा है कि :

"In recommending adjustment ordinarily the Tehsil may not be broken up unless the circumstances are so compelling that the division of Tehsils may become unavoidable."

इसी दृष्टि से उन्होंने कुछ तहसीलों के टुकड़े किये, कुछ तहसीलों के टुकड़े नहीं किये, विशेषतः खरड़ तहसील के बारे में प्रतिवेदन में है कि इसके टुकड़े नहीं किये जाने चाहियें। इसके बावजूद भी और इसके साथ साथ ही, इस व्यवस्था के बावजूद, हमारे मंत्री महोदय ने भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों को और अन्य संस्थाओं को इस बात का आश्वासन दिया कि हम इसमें किसी प्रकार की राज-

नीति नहीं आने देंगे। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो इसमें हमने बाउंडरी कमीशन को अधिकार दिया, बाउंडरी कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी, तो क्या कारण है कि उसको खरड़ तहसील के लिये लागू नहीं किया। किसी स्पष्टीकरण के अभाव में यह जो हमने काम किया वह उस लक्ष्य के बिल्कुल अनुरूप नहीं होता है। उसी तरह से आर्टिकल 14 कहता है :

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

अब खरड़ तहसील के रहने वाले निवासियों को इसके अन्तर्गत कानून के सामने एक सरीखा व्यवहार किये जाने की अपेक्षा थी। वे जानते थे कि यह बाउंडरी कमीशन की रिपोर्ट जो एक आरबिट्रेटर की रिपोर्ट के रूप में था उसकी सारी बातें मानकर कार्यान्वित करेंगे, अगर खरड़ तहसील के लोगों में जो कि एक यूनिट में, जिस तरह से इसमें सिफारिश की, उस सरीखे हरियाना में रहना चाहते थे, उनको तीन हिस्सों में बाँटा जा रहा है। तो उनको जो विधि के सामने बराबरी के बिहेवियर की अपेक्षा थी, वह पूरी होती नहीं। इसी दृष्टि से आर्टिकल 15 की भी अवहेलना होती है। आर्टिकल 15 (1) में कहा गया है कि :

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

तो यहां पर उनको कुछ बचा हिस्सा उनसे मिलता है। क्योंकि कुछ हिस्से में पंजाबी बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं इसलिये खरड़ तहसील के टुकड़े कर दिये। यह भी संविधान के अनुच्छेद के अनुकूल नहीं है।

अब आगे आर्टिकल 170 है और जिस के द्वारा यह चाहा गया है कि . . .

"Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall be composed of members chosen by direct election.... Provided that the total number of members in the Legislative Assembly of a State shall in no case be more than five hundred or less than sixty."

हमारी यूनियन टैरीटरीज का रिप्रजेंटेशन होगा, मगर इसमें इस बात की चर्चा नहीं है। हम चडीगढ़ को एक अलग क्षेत्र घोषित कर रहे हैं यूनियन टैरीटरीज में लेकिन उसके प्रतिनिधित्व की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे उसके प्रतिनिधित्व के लिए रोटेशन से व्यवस्था की जाती या और कोई व्यवस्था होती मगर इस तरह की कोई बात नहीं है। इसलिए हम आर्टिकल 170 का हनन कर रहे हैं।

अन्त में मैं आर्टिकल 170 (10) का जिक्र करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है :

"Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall be composed of members chosen by direct election." * * * "Provided that the total number of members in the Legislative Assembly of a State shall in no case be more than five hundred or less than sixty."

इस आर्टिकल में यह व्यवस्था है कि किसी भी स्टेट में 500 से अधिक चुने हुए मेम्बर नहीं होने चाहिये और 60 से कम मेम्बर नहीं होने चाहिये। तो मेरा यह निवेदन है कि जो हमारा ओरीजनल बिल था, उसमें हरियाना के लिए 54 चुने हुए मेम्बर माने गये थे और 8 जो वहा के कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर थे, वे इसमें शामिल कर लिये गये थे और इस तरह से संख्या 62 हो गई थी। लेकिन जब लोकसभा से यह बिल पारित हो कर आया तो उसमें 8 कम कर दिये केवल 54 रखे गये हैं। खंड 13 (2 ए) में यह है :

"(a) after entry 4, the following entry shall be inserted, namely :—

'4A. Haryana 54'';

तो संविधान यह कहता है कि कम से कम वहाँ पर 60 मेम्बर होने चाहिये, लेकिन हम इस बिल में व्यवस्था कर रहे हैं।

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab) :
But it is 60 here.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI
(Rajasthan) : It is 54 now.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :
तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लोक-सभा में जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें 54 मेम्बर हैं और 8 लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर हैं और इस तरह से 62 कहा गया है। जो कि डाइरेक्ट इलैक्शन से नहीं आयेगे उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए जो मिनिमम है उसकी संख्या 60 होनी चाहिये, लेकिन हम यहाँ पर 54 कर रहे हैं जो संविधान के विपरीत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को अब भी इस पर विचार करके इस बिल को वापस ले लेना चाहिये। वे इस तथ्य को अच्छी तरह से जांच करके बाद में इस बिल को पेश करेंगे तो ठीक होगा।

एक और निवेदन मुझे यह करना है कि यहाँ पर आज दो पैटीशन पेश हुई हैं। दोनों पैटीशन की मन्शा यह है कि वहाँ पर कुछ गडबड है और इस बिल के जरिये हम जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उससे वहा के लोगों को संतोष नहीं है। एक पैटीशन तो हमारे माननीय सदस्य श्री रमोल जी ने पेश की है जिस में तीन हजार पांच सौ लोगों के हस्ताक्षर हैं जिस में यह मांग की गई है कि ऊना तहसील का कुछ हिस्सा कागडा एरिया में मिलना चाहिये। इसी तरह से बिलासपुरवालो ने एक पैटीशन हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में प्रस्तुत की है जिस में इक्कीस हजार छः सौ व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं जिस में कहा गया कि ऊना तहसील के पांच छ गांव हिमाचल प्रदेश में मिलने चाहिये। इस तरह की वहाँ पर गडबडी चल रही है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

से निवेदन है कि वह इस बिल को वापस ले लें तो ठीक होगा ।

DIWAN CHAMAN LALL : I do not want to interrupt my hon. friend, but may I draw his attention to article 2 of the Constitution ?

SHRI V. M. CHORDIA : Regarding what ?

DIWAN CHAMAN LALL : Article 2.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : आपने यह आर्टिकल तो कह दिया मगर जो उसके और हिस्से हैं वे क्या कहते हैं । इस आर्टिकल के साथ अन्य बन्धन भी रखे गये हैं । अगर यही आर्टिकल होता और उसके साथ कुछ नहीं होता तो फिर इस आर्टिकल को बनाने की आवश्यकता नहीं होती ।

"Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit."

केवल इस आर्टिकल से सरकार चाहती है कि सब काम हो जाय । लेकिन इन आर्टिकलों के साथ जो बंधन लगे हुए हैं उनके बारे में क्या खयाल नहीं किया जाना चाहिये ? तो ऐसी स्थिति में यह बात संविधान की मन्शा के विपरीत है । मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इसके लिए हाइकोर्ट में पेटिशन दायर की गई है । वहां पर वह अस्वीकृत हो गई है और अब सुप्रीमकोर्ट में प्रस्तुत की गई है । आगे इस बारे में यह होगा, मैं नहीं कह सकता हूं । मगर मेरा मन्त्र निवेदन है कि इस बिल को वापस ले लिया जाय क्योंकि यह संविधान के अनुकूल नहीं है वरना यह संसद के लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं होगी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : I hope you have read the Proclamation where it is said :

"the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely .

'so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;'"

And you, Mr. Chordia, referred to article 3. Anywhy, the Home Minister will reply.

SHRI GULZARILAL NANDA : Now the hon. Member must be experiencing some real difficulty. I will not question that, I won't say that he wants to obstruct the passage of this Bill; I won't say that, but I am sure that, if he had given a little more thought to the objection that he has made, he would have himself found that there is no basis for the difficulty that he is experiencing. These things were dealt with in the Lok Sabha, but I am not going to say that that is the reason and my answer to the question raised here. I shall answer the question here. Sir, you have already pointed out to one clause of that document, to the Proclamation itself. Now that is the answer so far as the Member's objection based on article 3 is concerned—the question of consultation. Now as is evident, the President, by virtue of that Proclamation, has assumed all the functions of that Assembly, which includes the passing of laws also. Now here this is a mere matter of consultation and certainly that is not excluded from the purview of that Proclamation, the consultation process that has been omitted for that reason. That is, those functions do not exist now, and it is not obligatory on the President to refer to that Assembly, and it really cannot be done.

Then the other question, the main question was about article 170. Now there, well, the hon. Member, Diwan Chaman Lall, has referred to article 3—that is all relevant. But much more relevant is, rather the next article, article 4. Now here, if the hon. Member takes the trouble to go through that, it will answer all his problem. Here was the problem and it was understood by the makers of the Constitution that from time to time reorganisation may have to be effected and that will bring in its wake certain situations and, well, certain steps may have to be taken, which may not be strictly in conformity with the Constitution. Now shall we say that in every case we come to Parliament and have an amendment of the Constitu-

tion for all those variations. Certainly that would have been a very dilatory and difficult and unpractical procedure, and, there ore, this article 4 has covered this ground and it enables Parliament to make laws which could be in conflict with some provisions of the Constitution; it gives that latitude, but it also makes it clear that that change made for the particular purpose of the reorganisation in certain cases will not mean that the article itself has been amended. It is only that that purpose is to be served for that occasion. Petitions may be made, of course. Everyday petitions can come and they can go to courts and petitions can come here. But if we were to let our work to come to a standstill on account of that then no progress can be made. There is no question of equality before the law or anything of that kind here. It will take a lot of time for me to understand if this has any bearing on the question now before the House. There is no question of any constitutional provision coming in our way now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : After hearing the Home Minister, I see no point in the point of order raised by Shri Chordia. Moreover, it is not for the Chair to interpret the Constitution. It is for the law courts and they will take care of their function.

SHRI RAM SINGH (Uttar Pradesh) : Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to give my views on the Punjab Reorganisation Bill, 1966, which is before the House. While I welcome this Bill, I wish that this Bill had been brought at least six years before, so that we could have saved so many lives and we could have avoided the loss of so much of property. In 1956 when the report of the Reorganisation Commission was presented to the country, the Government of India accepted in principle, the reorganisation of the entire country on a linguistic basis. When that principle was accepted as far back as 1956, I cannot understand why the Government took ten long years to bring forward this Bill. The Government concedes popular public demands only after there has been a lot of agitation and bloodshed. It was the sacrifice of Shri Ramulu which was instrumental in bringing about the reorganisation of the former State of Madras into the States of Madras and Andhra Pradesh on the linguistic basis. Even after the creation of Andhra

Pradesh, the Government did not bother about other bilingual States. As a result of that there were many agitations in Bombay and ultimately after much loss of public property and losing many precious human lives the Government had to reorganise the bilingual State of Bombay into the linguistic States of Maharashtra and Gujarat. As far as Punjab is concerned, the ruling party would not agree and after several demonstrations, protests and hunger strikes, which resulted in a lot of bloodshed in the villages and towns, the Government conceded the just demand of the Punjabis. Most of the opponents of the Punjabi Suba are still of the view that this demand is purely communal. Those who argue in that manner forget that Punjabi is a language quite distinct from Hindi and it is spoken and read widely in many areas of Punjab and the popular demand was for creating two separate States on the linguistic basis, one for the Punjabi-speaking and the other for the Hindi-speaking people, so as to help the two languages to develop. Therefore, in the larger interest of the people of the Punjab, the reorganisation on the linguistic basis is a right step. When I say that let me make it clear, Sir, that I am one of those who firmly believe that India is one country and those who talk of self-determination do not in any way serve the national cause. What is this self-determination for? How can one, even in his wildest imagination, talk of such a thing? I am opposed to that firmly and emphatically.

Now, Sir, coming to the various provisions of this Bill, I feel that in spite of the fact that the Government took so many years to concede the principle of a linguistic State so far as Punjab is concerned, the Punjabi Suba that they have given is truncated and it does not fulfil the aspirations of the Punjabi-speaking people. Take for example the case of Chandigarh. Where is the justification for Chandigarh being made a Union Territory? This is a part of the Punjabi-speaking area and should have rightly been included in the new State of Punjab. In spite of the loud protests and the reasonable demands in its favour in the other House and outside, the Government has still failed to see reason and is not prepared to concede Chandigarh in favour of the Punjabi Suba. I may warn this House and through this House the country, that if the Government even at

[Shri Ram Singh.]

this stage does not come forward to concede the right and reasonable demand of the Punjabi-speaking people to include Chandigarh in the Punjabi Suba and allow the same to be used as its capital, the consequences would be far-reaching and unhappy for the entire country as well as for the people of Punjab. Similarly, I am not in favour of the joint administrative control of the Punjab University and of the various hydel projects. The Punjabi Suba should have complete control of the Panjab University, of the Agricultural University, the Medical Colleges, in fact all those which fall within the ambit of the new State of Punjab. Similarly I have no objection to Haryana having its own separate university and medical colleges to be erected with the aid of the Union Government.

The Home Minister was good enough to agree in the other House to having a separate Public Service Commission for the Panjabi Suba and another for Haryana, but he could not find reasons in favour of separate High Courts for Punjab and Haryana. The Joint High Court would lead to several adverse repercussions. There would be problems on the representation of the Bench, about the staff and such other things. Some may even start questioning the merits and the demerits of the various judgments delivered by the High Court. Here I may clarify that I have no doubt about the impartiality and integrity of our judiciary. Our judiciary has the highest name in the world. But people might start questioning its judgments. Therefore, it is in the national interest that a separate High Court is constituted for Haryana and another for the Punjabi Suba.

Sir, there were complaints in several quarters that in the services and other places, there was open discrimination against the Sikhs. There was less representation of Sikhs in the Secretariat, in the Army, in the Medical Service, in the Universities and other places. Being a Sikh myself, I know full well, Sir, that these allegations are not well-founded. They are devoid of facts and are started by those who want to perpetuate their artificial leadership over illiterate masses. There may be some stray cases, but you cannot make any generalisation like this. People

in our country are essentially emotional and religious-minded. When such a one-sided propaganda is made, they are, unfortunately convinced of the veracity of it and they go astray. Such leaders do incalculable harm not only to the Sikhs but also to the national interest. They harm the cause for which they are supposed to be working. I am born and brought up in Uttar Pradesh where the Sikhs are in a negligible minority. But I am proud to say, Sir, that the principle of secularism is well preserved and put into practice throughout the country and also in U.P. of which I have my own experience. There is no discrimination whatsoever either by the Government or by the majority community against the minority community. Therefore, certain statements of Master Tara Singh, the Akali leader, in this regard should be questioned by all the Sikhs in particular, and by the country in general. I am surprised to see, Sir, a man of his standing having given all his life to the national cause should now be talking loose in his mature days, when he is supposed to talk better sense. He should not forget the fact that the country is independent and it is over nineteen years since we freed our country from the British imperialists. At the same time, he should not forget the fact that the Sikhs are the backbone of our country. They have fought heroically in all the battles to defend the territorial integrity of our motherland. Let him or any of his compatriots, not sow the seeds of hatred against our brethren.

With these few observations, I support this Bill. I hope that the hon. Home Minister will, in his reply try to effect some changes on the basis of my suggestions. Anyway, I wish that the new States of Punjab and Haryana would live like good neighbours which would be in their own mutual interests. Thank you.

SHRIMATI MOHINDER KAUR (Punjab) : Mr. Vice-Chairman, I rise to support this Bill, but with a very heavy heart. In democracy there is no place, however, for individual sentiments and one has to bow to the wishes of the majority. But somehow, Sir, I cannot visualise the Land of the Five Rivers is being reduced to the size of only a handful of districts—the mighty historic State of Punjab which at one time extended from the Khyber Pass to the river Jumna. We know—and it is

not very ancient history—how the division took place in 1947. That division was unavoidable and we took it in our stride with a smiling face because that was the price we had to pay for the attainment of the independence of our country. Now, Sir, I welcome the proposals in this Bill that common links would be there. The common links that are proposed form a good feature of this measure because I feel they will tend to keep the administrative expenditure of these rather small States down. As you are very well aware, Sir, every small unit is burdened with a top-heavy administration. The present State of Punjab as it is now, is no exception to this rule. The administrative expenditure of Punjab State at present is the second highest in the country. It comes next only to Assam. In the case of Assam the expenditure is something like 37 per cent. and Punjab comes next with an administrative expenditure of 35 per cent. That is why I welcome these common links because I feel that to a certain extent it will help to keep the administrative expenditure down. Though I am fully aware that in these States there is bound to be some duplication of services and posts with all the best intentions that we might have, still the administrative expenditure is bound to be higher—that is anyone's guess—anything from 40 per cent onwards. Every effort should be made not to burden the people of these small States with heavy taxation. We must keep the administrative expenditure down; but I am afraid from the tendency that I am seeing these days it will not be so. But I plead in all sincerity not to burden the people of these small States with a top-heavy administration and to spare them from heavy taxation.

Now I wish to refer to the Boundary Commission's Report. I have carefully gone through that Report and I find in it glaring discrepancies. As my hon. colleague, Mr. Chordia, pointed out about the tehsil of Kharar—this is just only one instance which I want to bring to your notice—the Commission did not act on the basic principles of the division of the State, on the basis of any geographical contiguity and cultural affinity. In certain instances it has completely ignored this principle and I wish to quote the case of the Kharar tehsil. On page 46, para 127, Part I of the Report, the Commission

themselves have argued that the Punjabi-speaking people have a marginal superiority but for certain reasons they have decided like this. And the reason given, I am afraid, is very, very flimsy. The reason given is, because Chandigarh forms part of that tehsil they do not wish to break up that tehsil. That is a very hollow argument. What is the sanctity of a tehsil, I would like to know. The tehsil is only an administrative unit formed for the convenience of administration and I would like to point out that this very Commission in certain areas did not work on the basis of this basic principle that they have laid down. They argue here that they do not wish to break up the tehsil but they did so in the case of Una as well as Pathankot. So this argument is very, very weak and and far from convincing. Personally speaking it arouses no strong feelings in me as to how the boundaries of these new States are demarcated because I look at this country as a whole, but when we accept a principle I feel that we should not deviate from that and the principle once accepted should be strictly adhered to.

Sir, I had a sense of disappointment when I was looking at the allocation of seats for the three States. Now certain hill regions of the Punjab have been transferred to Himachal Pradesh; I am now referring to Himachal and I feel somehow adequate justice has not been done in this Bill to Himachal Pradesh in the matter of allocation of seats for Parliament as well as for the Assembly. There should be no rigidity in this matter because one should take into consideration the difficult mountainous terrain. You cannot have the same proportion for Himachal Pradesh as for other States because the geography of that area cannot be ignored. In a democracy I feel that the representatives of the people must have close contact with the electorate and in this difficult mountainous terrain if we are going to have unwieldy constituencies, it is absolutely impossible to have close contact. So I plead in all sincerity that the Home Minister should again look into it. In this Bill, Himachal Pradesh is going to be allowed six seats. At present it has four seats in the Lok Sabha but with the transfer of the hill regions of Punjab to Himachal Pradesh, Himachal Pradesh's population has more than doubled and I feel there is justification for increasing the number. I was very glad to hear that there

[Shrimati Mohinder Kaur.]

has been an increase of one more seat but I personally feel that that is not sufficient. Similarly I speak for their Assembly also. At present in Himachal in this matter of representation the average population per seat is something like 33,000 odd but as a result of the changes to be made under this Bill it will come to 58,000 odd which, to my mind, is a gross injustice to the people of that area. Himachal is a Union territory; we have several Union territories in this country. I was looking through the average ratio of population per seat in these Union territories and nowhere is it more than 38,000 odd. So why should there be this discrimination against Himachal? I personally feel, as I have said in the interests of democracy, this matter should be re-examined and Himachal should be given its due share in the matter of allocation of seats to the Assembly as well as to Lok Sabha.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Now I come to another point. I personally feel that since the Himachal area has become very big with the transfer of the hill regions of Punjab, Himachal's importance cannot be ignored—its strategic importance, as well as its vastness. Personally I feel that there is absolutely no justification for not according Himachal Pradesh the status of a full State.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): That is what many people think.

SHRIMATI MOHINDER KAUR: I wish to express my sense of disappointment because I thought that the Government was going to bring a comprehensive Bill and I thought that the status of Himachal would also be decided in it. I personally feel that it is time that we re-examined the whole issue. When I say this, I have reason behind it, Madam. The reason is, I have seen Himachal passing through the various phases of administration; if I remember I think it has had three or four administrative changes. From 1951 to 1956 Himachal Pradesh was one of our Part C States. It had an elected legislature and the responsibility for the development of Himachal rested with the elected representatives of that State. After the Report of the States Reorganisation Commission in 1956, the whole pattern changed and the

Union Government took up direct responsibility for this State and I know exactly what happened to Himachal. It was Lieut. Governor's rule but it was directly administered by the Centre, but I can tell you, Madam, that then the pace of development considerably slowed down. This is no gross exaggeration because I am absolutely familiar with that area and I am speaking from what I have seen with my eyes, from what I am familiar with myself. Three years ago a slightly higher status was accorded to Himachal and Himachal was given its own legislature though it is still a Union territory and I have found in these last three years Himachal Pradesh coming to life again. So I am basing my plea on these facts. Perhaps some people might argue that the economy of Himachal is very poor and perhaps it would not be an economically viable unit. I disagree with that argument because I feel that with the addition of the hill regions of Punjab its revenues will be going up to Rs. 14 crores. I know it is not sufficient but I have absolutely not the slightest hesitation in my mind that if given its full status as a full-fledged State, with its vast natural resources and its vast scope for industrial development, it will soon be an economically viable unit, on par with any other State of India. So, I strongly request the Government to re-examine this question and not to deny Himachal Pradesh State-hood which is their due.

3 P.M.

Now coming back I hope this is the last time a Bill of this nature is brought before Parliament, because when we accepted the principle of linguistic States in this country perhaps we did not visualise that in its wake it will bring in narrow loyalties leading to the disintegration of the country. I feel very strongly on that point. If this tendency in this country persists, I feel it is high time that the Government appointed another commission to re-examine the whole issue of States and perhaps only divide the country into administrative units, only taking into account administrative convenience. I again stress that no further consideration should be taken into account. Administrative convenience alone should be taken into account for dividing the country, because at any cost we should not let our country disintegrate. We should work for the integration of the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have 23 names before me.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : We will continue tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I think the Chairman, if I am not mistaken, has said that we finish it today and the Chairman's directive has to be carried out and, therefore, I would urge upon the Members that they be very relevant and to the point. Mr. Banka Behary Das.

SHRI LOKANATH MISRA : You may drop the names of the Opposition Members/and let the Congress Members speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will give more opportunity to the Opposition. There has to be some kind of co-operation in getting the business finished.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : He is more co-operative.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, I agree.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभापति महोदया, अभी इस पंजाब के पुनर्गठन पर बोलते हुये माननीय कांग्रेस सदस्या ने अन्त में जिन विचारों पर आग्रह किया है मैं वहीं से प्रारम्भ करना चाहूँगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं जब प्रशासन की सुविधा के लिये राज्य की सीमाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने सारे कटु अनुभवों के बाद अब भी हिम्मत से यह स्वीकार कर लें कि भाषाई राज्य बनाना मूलतः एक बड़ी भारी भूल थी। यह विचार स्वीकार कर लें तो जिस जहर को रोकना चाहते हैं, जिसमें ये सम्भावनायें पैदा होती हैं छोटे-छोटे स्वार्थ के जगाने की, वह रुक जाय और भी यह इच्छा लेकर चल रहे हैं कि आगे इस प्रकार की कोई दूसरी चीज न हो तो इस सारी चीज को रोकने का एक ही रास्ता है कि जितनी शीघ्र हम भाषायी राज्यों की संज्ञा का विस्मरण कर देंगे उतना ही इस देश का भला होगा। इसमें कोई शक नहीं कि भाषायी प्रशासन की सुविधा के लिये एक बहुत बड़ी कड़ी है और इस कारण से

राज्यों की ईकाइयों को निर्धारित करते समय और बातों का विचार करते हुए भाषा का भी अगर विचार रहेगा तो यह अच्छा होगा लेकिन केवल इस कारण से हम राज्यों की मांग खड़ी करें तथा हम हर बार राज्यों को इसी आधार पर बनाते समय इस सदिच्छा को प्रकट करें कि भविष्य में ऐसा दुबारा नहीं होना चाहिये परन्तु फिर से हम उसी के सामने झुक जाय तो हमारे लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसीलिये मेरा निवेदन रहा है, प्रारम्भ से हम लोग कहते रहे हैं कि पंजाब जिस तरह से आज है वह रहे, आज भी पुनर्गठन करते समय जिन तकलीफों का सामना प्रत्यक्ष रूप से हम कर रहे हैं और पंजाब के लोग कर रहे हैं, तो केवल भाषायी उन्माद के कारण उनका भविष्य अन्धकारमय न बने। बड़ा अच्छा होता अगर हमने इस आधार पर पंजाब के पुनर्गठन का सवाल न उठाया होता परन्तु मैं समझता हूँ कि अब हम इस दायरे से बहुत आगे बढ़ गये हैं और आज तो पंजाब का पुनर्गठन एक आखिरी दौर में से गुजर रहा है, किन्तु अब हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि इस राजकीय विभाजन के बाद पंजाब के रहने वाले एक-एक व्यक्ति का—चाहे वह पंजाबी सूबे में हो, चाहे वह हरियाणा में हो या चाहे किसी कारण से आज हिमाचल प्रदेश में बदल दिया जाये फिर भी उसका—जीवन हम और दुखी न बनायें और जिन कारणों पर आज तक उसका जीवन खड़ा रहा है, बाउंडरी मिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में जिन बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, उन बातों को अधिक से अधिक हम महत्व देने की कोशिश करें। मैं होम मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी कड़ियाँ जिससे यहां के लोगों का जीवन प्रभावित होता है उसको बनाये रखने की कोशिश की है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वह कुछ दबाब में आ रहे हैं, जिन चीजों का बहुत दिनों तक कामन रखना आवश्यक है उन पर भी इस कानून में सीमायें लग रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर

[श्री सुन्दरसिंह भंडारी
आदि अभी तो कामन रहेगा लेकिन 1 नवम्बर 1967 के बाद नहीं रहेगा, यह आज तय करने की क्या जरूरत है कि 1967 के बाद यह ब्रिजली के लिये जो बोर्ड बना रखा है वह अपने आप भंग हो जायगा। आगे क्या करना होगा इसके लिये दोनों राज्यों का निर्माण हो जाने दीजिये, उनका आपस का बैर मिट जाने दीजिये। अगर आप ऐसी चीज पैदा कर के रखेंगे जिससे झगड़े फसाद की बुनियाद बनी रहती है तो हम ऐसी गहरी खाई खड़ी करना चाहते हैं जिस में कि पंजाब में रहने वाले लोग भी पछतायेंगे, हरियाणा में जाने वाले लोग भी दुखी होंगे। मैं चाहता हूँ कि आज जिन कामन लिक्स को हम जरूरी समझते हैं और जिनकी हम आज व्यवस्थायें कर रहे हैं वे बनी रहें, एक लम्बे समय तक उनको बने रहने का मौका दें। आज कम से कम उनको समाप्त करने की कोई कल्पना हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिये, अगर किसी दिन, दूरगामी भविष्य में कभी जरूरत महसूस हुई, अपने पैरों पर ये खड़े हो गये, एक दूसरे के परस्पर अवलम्बन की आवश्यकता समाप्त हो गई, ये कामन लिक्स रखना रिजनलेंट महसूस हुआ, उस दिन हम इनको समाप्त कर लें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन उसके पूर्व आज से ही लोकल प्रेशर्स के आधार पर ऐसा करना ठीक नहीं। आज जो कुछ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के विचारों को सामने रख कर हमने एक गलत निर्णय लेने की कोशिश की, पंजाब के बटवारे को किया, वह लोग भी आज प्रसन्न नहीं हैं उससे जो हम तसवीर उनके सामने रख रहे हैं। क्योंकि अनेक दूसरे प्रकार के विचार जो देश के लिये ज्यादा जरूरी हैं वे हमें काउन्टरवैलेन्स कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में उसके कारण दर्द पैदा होता है, नाराजगी पैदा हो रही है, वे दुखी हो रहे हैं, अर्थात् जो हम चीज ला रहे हैं वह भी संतोष किसी को नहीं दे रही है, फिर भी चूंकि हम कुछ बातें कमिट कर चुके हैं इसलिए

हम कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि इसके बावजूद भी लोगों की वह बहबूदी को ध्यान में रखते हुए कामन हाईकोर्ट को, चंडीगढ़ को, बाउण्डरी कमीशन के सुझाव के विपरीत हम एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाने की बात कह रहे हैं क्योंकि केवल बार्डर इन्टरस्ट इसमें समर्थन के पॉइन्ट बनते हैं, कम से कम इन लिक्स को बनाये रखने के लिये एक बहुत बड़ा 'बेस' बनेगा। मैं स्वीकार करता हूँ, अगर ऊंचे उद्देश्यों से बाउंडरी कमीशन की रिपोर्ट में डेविप्ट करने की बात सरकार सोचती है, लेकिन मैं इस बात की सरकार को आगाही देना चाहता हूँ कि लोक सभा की डिबेट में भी यह चीज सरकार के सामने आई है, अभी तक वह तत्त्व शांत नहीं हुआ है जो चंडीगढ़ की इस प्रकार की व्यवस्था को भी सब प्रकार के दबाव लाकर बदलना चाहते हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि अभी तक वह उस दबाव के सामने नहीं झुकी है लेकिन मैं उसको यह भी बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम लोग चंडीगढ़ की यूनियन स्टेट को स्वीकार करने के लिये किसी भी प्रकार से रजामंद होते हैं और इसी में से वह किसी दूसरे दबाव में झुककर चंडीगढ़ को अगर पंजाब में मिलाने का विषी दिन विचार करेगी तो यह "प्रेशर थ्योरी" यह एक ही तरफ से नहीं होगी, यह प्रेशर के सामने झुकने वाली बात बाकी लोग कान्सीड कर चुके हैं, हरियाना के लोग अपने क्लेम छोड़ चुके हैं, यूनियन टेरिटरी को हम पंजाब में मिलायें या हरियाना में मिलायें, इसका अलग 'बेस' बनेगा : Taking things for granted.

इस आधार पर उसे कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिये, This is the maximum that we can go. हरियाना यूनियन टेरिटरी में रखना यह अधिकतम कदम है जिसको स्वीकार किया जा सकता है, इससे एक भी पग आगे उठाने वाली चीज सारे इश्यू को रीओपन करेगी, परिस्थितियों को विषम बनाने का कारण बनेगा। उसी तरह से किसी भी चीज को,

आज या आने वाले भविष्य को, उसके लिये कोई कारण नहीं मानना चाहिये।

मेरा एक निवेदन है कि जब हिमाचल प्रदेश के साथ हम पंजाब के कुछ हिस्सों को मिला रहे हैं, जब यह पंजाब के साथ हिमाचल मिल रहा है, यह किस कसौटी पर हम तय करें? क्योंकि जो जनसंख्या मिल रही है हिमाचल के साथ वह तो हिमाचल की साधारण जनसंख्या से ज्यादा है। हिमाचल उसका नाम रहे, हमें इस पर आपत्ति नहीं। आज मवाल खड़ा होता है : क्या हिमाचल को यूनियन टेरिटरी जारी रखा जाय? हमने अपने देश में यूनियन टेरिटरीज के लिये सब प्रकार की लगाम ढीली कर दी है। न आज सीमावर्ती क्षेत्र का मवाल रहा, न आबादी का मवाल रहा, न और कारण रहा। नागालैंड को एक स्टेट का स्टेटस दे देने के बाद आज हम हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बनाये रखने का आग्रह करें, यह तो सब प्रकार के राजनैतिक तर्कों पर हास्यास्पद सिद्ध होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस बिल में भी आवश्यकता पड़े तो हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट का स्टेटस दिया जाना चाहिये। उसमें से अपने आप पंजाब के वह लोग जो आज हमारी सीमा के निर्धारण में या पुनर्गठन के कारण हम उनको हिमाचल प्रदेश में भेज रहे हैं, लेकिन जिनके मन में यह आ रहा है कि उनके पोलिटिकल राइट्स कम हो रहे हैं उनके अधिकार सीमित हो रहे हैं लोग कहते हैं कि हमको तो सेक्रेटरी रेट सिटिजन बनाने की स्थिति में भेजा जा रहा है, जो हम यह पुनर्गठन कर रहे हैं, हम किसी राजनैतिक अव्यवस्था को घटाने बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं ये सारे विवाद समाप्त हो जायेंगे अगर हम हिमाचल प्रदेश को ऐसी स्थिति प्रदान कर दें कि जहाँ बाकी रियासतों के समान उसकी स्थिति बन जाती है।

अब जो हम व्यवस्था कर रहे हैं कि 42 लोग हिमाचल प्रदेश की आबादी को रेप्रेजेंट करने वाले हैं जहाँ जनसंख्या कम है। अब 13 और लोग पंजाब जायेंगे, पंजाब की विधान सभा में, और ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि बन

कर। यहाँ किस एक एनेमोलस पोजिशन का हम निर्माण करने का जा रहे हैं और कैसे उस स्थिति में हम हिमाचल प्रदेश की विधान सभा को चलाना चाहते हैं? मेरा यह निवेदन है कि यह एक बड़ा कारण है इस पोलिटिकल एनेमोली को दूर करने के लिये कि जिस दिन से यह पंजाब का पुनर्गठन कार्यान्वित होता है, जिनके लिये सरकार 1 नवम्बर की बात कर रही है, उस दिन से पंजाब के साथ जो हम बाँग करते रहे, पंजाब में तो विधान सभाओं को रिवाइव करने का कोई कारण उपस्थित नहीं होता। दोनों स्टेट्स के सारे लिक्स को स्टेट-बिलाइज करने के लिये, ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये वहाँ राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है हिमाचल में। वहाँ तो उसके लिये और अधिक कारण बनते हैं, और नहीं तो पंजाब के उन लोगों को अगर इसके कारण गिला पैदा होता है तो उसके लिये बहुत बड़ा कारण उपस्थित होगा क्योंकि वहाँ पर एक "लौप साइडेड प्रेजेन्टेशन" से एक अजीब स्थिति होगी— ज्यादा लोगों के 13 प्रतिनिधि और कम लोगों के 42 प्रतिनिधि। ऐसी एक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में खड़ी होगी। मेरा यह निवेदन है होम मिनिस्ट्री इस एक परिस्थिति पर विचार करे और हरियाना और पंजाब के अन्दर भी ये जो केवल मिनिस्ट्रियों को रिवाइव करने की कोशिश चली है, मुझे उसमें से संकेत मिलता है कि यहाँ पर हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आज की पंजाब की विधान सभा में हैं वे जब हिमाचल प्रदेश में जायेंगे उसका स्थान भी कानून से सिक्को रखना चाहते हैं, जो भेजा जायेगा पंजाब में, उसकी भी स्थिति हम सिक्को करना चाहते हैं। वह क्यों? वह आज के पुनर्गठित हाउसेज के कॉन्फिडेंस को प्राप्त करता नहीं करता, दग चीज को जो हम कानून के द्वारा लोगों के हाथ से छीन क्यों लेना चाहते हैं? यह क्या हमने प्रान्तों की सभा की रचना कुछ लोगों की कुसियों को तय करने के लिये की है? फिर होम मिनिस्ट्री ने चीफ मिनिस्ट्रों के लिये क्यों

[श्री सुन्दरसिंह भंडारी]

नहीं प्रोवाइड कर दिया कि अगर वे पंजाबी सूबा में अलाट होते तो चीफ मिनिस्टर भी वहीं बना रहेगा और जो मिनिस्टर लोग हैं उनकी स्थितियां भी सुरक्षित हो जाती रिआरगेनाइज्ड स्टेट में । वह जो मिनिस्टर है मिनिस्टर बना रहेगा, वह जो स्पीकर है स्पीकर बना रहेगा और वह जो डिपुटी स्पीकर आज का है वह डिपुटी स्पीकर रहने वाला है । मुझे ऐसी चीजें जो किसी तर्क पर कही उचित नहीं दिखायी देती, हमने सब चीजों की यहा व्यवस्था करने की कोशिश की है । मेरा निवेदन है कि उन हास्यास्पद व्यवस्थाओं को इस कानून की मद से हटाना चाहिये । कौन स्पीकर बनेगा, कौन डिपुटी स्पीकर बनेगा, यह उन्हीं विधान सभा के सदस्यों के कान्फिडेंस पर रखना चाहिये । इस चीज का विचार होना चाहिये कि हम कानून में, इसके रिआरगेनाइजेशन के बिल में, इसको ले डाउन करें, इसकी कही पर कोई वजह दिखाई नहीं देती ।

पंजाब की काउन्सिल टूटने वाली है । पहले कोशिश की गई कि इसमें से कुछ 'पिक एंड चूज' करके हरियाणा के हिस्से में जो 16 कान्सिलर्स आते थे—उसमें पता नहीं क्या करते रहे—एक बड़ी फेहरिस्त बना दी "ए" लिस्ट "बी" लिस्ट, आठ का नाम एक लिस्ट में, आठ का बी लिस्ट में । वे 62 मेम्बर बनाये गये थे एक कास्टिट्यूशनल प्राविजन के अन्तर्गत आर्टिकल 4 के नीचे । उसके खींच कर, अर्थ निकाल कर, उस कंडिशन को वेव्ह करने की बात सोच रहे हैं । साधारणतया यह 54 मेम्बरों की विधान सभा बनने की व्यवस्था विधान में नहीं है । मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह जो 16 लोग हरियाणा के क्षेत्र में एम० एल० सी० के नाते जाते थे, क्या बेकार जाते थे अगर उन 54 के साथ उन 16 को मिलाकर 70 लोगों को हरियाणा विधान सभा में प्रोवाइड करने का प्राविजन कर लेते । कास्टी-ट्यूशन का एक मुद्दा भी पूरा हो जाता और

ऐसी चीज जिसके लिये हम फिजूल का तर्क देना चाहेंगे वह भी नहीं रहेगा ।

लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अब पंजाब में कौंसिल क्यों रहनी चाहिये और इसकी अब जरूरत नहीं है । मध्य प्रदेश में नहीं है, जब कि सेंट्रल प्राविन्स का हिस्सा मध्य प्रदेश में मिल गया है नाम भी सेंट्रल प्राविन्स था और हमने मध्य प्रदेश का जो नया सूबा भी मध्य प्रदेश ही बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश में कौंसिल समाप्त हो गई है । आज वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा और फैला हुआ प्रान्त है और आबादी में पंजाब से कई गुना ज्यादा है । राजस्थान में कौंसिल नहीं है, पंजाब में कौंसिल क्यों रहनी चाहिये ? आज स्टेटों में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि इस देश में दो चेम्बरो की आवश्यकता नहीं है । इसलिए होम मिनिस्ट्री को इस सवाल पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि जिस तरह से हमने अनेक राज्यों में बिना दो चेम्बरो के काम चलाया है, शासन चलाने की व्यवस्था को सफलता पूर्वक पूरा किया है, तो पंजाब में भी किसी प्रकार से कौंसिल रखने की गुंजाइश की कोई आवश्यकता नहीं है । यह जो 35 कौंसिलर्स पंजाब के इलाके के रह जायेंगे उनको इंट्रिम पीरियड में पंजाब की विधान सभा में उसी तरह से बनाया जा सकता है जिस तरह से हम हरियाणा क्षेत्र की विधान सभा में कर रहे हैं । इस समय हम केवल टैम्परेरी व्यवस्था कर सकते हैं और जहां तक परमिनेंट व्यवस्था का सवाल है, वह हम सब को समान स्तर पर लेकर करना होगा । इस तरह से जो और स्टेट बनाया जा रहा है उसको भी एक स्टेट के आधार पर चलाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । यही मुझे निवेदन करना है ।

श्री शिवानन्द रमौल (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं पंजाब पुनर्गठन की समस्या और उसके बारे में जो कानून राज्य सभा में पेश किया गया है, उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ । कहा जा रहा है कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन

भाषाई आधार पर किया जा रहा है। परन्तु असल में अगर देखा जाय तो उसका आधार कुछ और ही है। पंजाब जो अब बंट रहा है उसमें भाषा के आधार पर चुनी लिग्वल और बाई लिग्वल का झगडा लोगो में था। वहा पर कुछ लोगो की भाषा पंजाबी है और इसमें शुबह नही कि गुरुमुखी लिपि का सवाल पैदा होने से यह झगडा हिन्दी और पंजाबी का हो गया है और उसी के आधार पर पंजाब का बंटवारा हो रहा है। मैं जातीय तौर पर इस बात से दुखी हूँ कि सीमा का प्रदेश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाये जब कि सन् 1947 के पहले ही उसके दो हिस्से हो गये हैं। लेकिन चूँकि आखिर में लोगो के यही विचार हैं और इसी आधार पर सन फतह सिंह ने आमरण व्रत का कष्ट किया और उसी के कारण गवर्नमेंट ने इस बात को मंजूर किया और आज पंजाब के दो टुकड़े हो रहे हैं। इसके परिणाम-स्वरूप पहाड़ी हिस्सा हिमाचल प्रदेश में मिलाने की सिफारिश की गई और पार्लियामेंटरी सब कमेटी ने भी यह सिफारिश की थी कि पहाड़ी हिस्सा जो पंजाब का है वह हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाय। उसी के आधार पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इस सिफारिश को मंजूर किया और हिन्दी भाषी पंजाब का पहाड़ी हिस्सा हिमाचल प्रदेश में जाने के बावजूद भी पंजाब के बंटवारे का होता हमारे लिए दुख का कारण है।

मैं अन्त में हरियाणा और पंजाब को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वह लोग अपनी आशाओं के मुताबिक फलों और फूलों तथा तरक्की करें। वे लोग अपने प्रदेश को जहा तक हो सके आगे से आगे बढ़कर इस भारतवर्ष की सेवा करें।

मैं एक बात आपके और इस सम्मानित सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूँ, मैं श्रीमती महेन्द्र कौर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मामले को काफी जोर से प्लेड किया और जो कुछ मैं कहना चाहता था वह उन्होंने कह दिया। मैं शायद उतने जोर

से नहीं कह सकता था जितने जोर से उन्होंने कहा और हिमाचल प्रदेश के मामले को इस सम्मानित सदन के सामने रखा। श्री भंडारी जी ने भी इस बारे में जोर दिया है कि हिमाचल प्रदेश का जो हक है जिससे उसे 18 सालो से वंचित किया जा रहा है, किसी न किसी बहाने से टाला जा रहा है, वह उसको मिलना चाहिये। हिमाचल प्रदेश की भारतवर्ष में जो असली पोजीशन है वह उसको मिलनी चाहिये, यह बात भंडारी जी ने कही और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश बनते समय जो उसकी हिस्ट्री है वह इस प्रकार से है। हिमाचल प्रदेश 18 छोटी छोटी रियासतों, में बंटा हुआ था और सरदार पटेल ने इन रियासतों को मिलाकर यूनियन टैरीटरी बनाई। और उस वक्त डा० पट्टाभि मीतारमिया आल इंडिया पीपुल्स स्टेट कान्फ्रेंस के वाइस प्रेजीडेंट होते थे। चुनावे उन्होंने हमारे आग्रह पर सरदार पटेल से यह आश्वासन लेने की कोशिश की कि यह जो यूनियन टैरीटरी बनाई जा रही है हिमाचल प्रदेश की उसको आयन्दा दूसरी जगह नहीं मिलाया जायेगा बल्कि स्टेज बाई स्टेज बढ़ाकर फुल स्टेट का दर्जा दे दिया जायेगा। उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चिट्ठी के उत्तर में जो चिट्ठी आई थी, उसको मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। वह चिट्ठी इस प्रकार है :

Sardar Patel's letter to Dr. Pattabhi Seetharamayya, the Vice-President of the State People's Congress—No. SP39/29 dated the 18th March, 1966 :—

".....The ultimate objective is to enable this area to attain the position of an autonomous province of India. This objective would be attained in two stages. The area will in the first instance be administered by an administrator probably an officer of the Chief Commissioner's status assisted by an advisory

[श्री शिवानन्द रमौल]

council consisting of rulers and representatives of the people appointed in such manner and with such functions as the Central Government may decide. subsequently, subject to the decision of the Constituent Assembly, it is proposed that the administration should be put in charge of a lieutenant-governor assisted by an advisory council representing the princes and a legislature in the province.

In the final stage, after this area is sufficiently developed in its resources and administration, it is proposed that its constitution should be similar to that of any other province."

तो हिमाचल प्रदेश का जो श्रीगणेश हुआ वह उस वक्त के होम मिनिस्टर के इस आश्वासन के आधार पर हुआ था। उसके बाद से वह केन्द्र शासित इलाका चला आ रहा है, और जहां तक हो सकता है वहां तक वह अपनी ताकत, जितना सहयोग और खर्चा जो उसको मिलता है उसके मुताबिक काफी आगे बढ़ता चला जा रहा है। उस वक्त जब यह प्रदेश बना वैधानिक अड़चनों के कारण हिमाचल प्रदेश के बीच में जो एनक्लेव थे, यह एनक्लेव ही रहा और बावजूद कोशिश करने के बाद आज तक उनको हिमाचल के साथ नहीं मिलाया गया। एक मौका बीच में आया भी था जब पटियाला पंजाब में मिलाया गया था। उस वक्त मौका था कि हमारी केन्द्रीय सरकार यह निर्णय लेती और जो पहाड़ी इलाका पटियाला का था उसको हिमाचल में मिला दिया जाता और वाकी मैदानी इलाका पंजाब में मिला दिया जाता। अगर ऐसा होता तो हमारी समस्या बहुत हद तक दूर हो गई होती, लेकिन उस वक्त भी यह चीज नहीं हुई। अब यह भाग्य से पंजाब का मसला उठने से पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश में मिलाने का निर्णय हुआ। अब तकरीबन आबादी में भी और रकबा में भी, हिमाचल प्रदेश की जितनी आबादी और एरिया है, उससे ज्यादा बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हो रहा है और

हिमाचल प्रदेश एक काफी बड़ा यूनिट बनने जा रहा है।

इस वक्त मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है और जैसा कि महारानी पटियाला ने भी कहा कि टर्म्स आफ रिफरेंस के होते हुए भी कुछ एक पहाड़ी हिस्सों पर अन्याय किया गया है हिमाचल प्रदेश के साथ भी कि उसको उन इलाकों से वंचित रखा गया है जो कि हिमाचल प्रदेश के वास्ते थोड़ा बहुत आमदनी का जरिया भी हो सकते थे। मसलन खरड़ तहसील के बारे में जिक्र हुआ और उसके अलावा ऊना तहसील के बारे में जिक्र हुआ। जब यह टर्म्स आफ रिफरेंस में बिलकुल साफ था कि तहसील की लेवल से कम, तहसील को बांटा न जाय और तहसील एक मिनिमम यूनिट रखी जाय तब भी इन दोनों जगहों पर मामूली वजूहात की बिना पर उनमें से कुछ हिस्से पंजाब या हरियाना में रख लिये गये। यह साफ लिखा हुआ है। नीचे लिखा कमीशन का निर्णय टर्म्स आफ रिफरेंस के बिलकुल विरुद्ध आता है :

"Taking into consideration the physical characteristics, life of the people, their habits, customs, manners, festivals, flora and fauna of the region and interdependence of the people with the people of the adjacent districts of Bilaspur and Kangra there is no doubt that the tehsil Una has linguistic and cultural affinities with Himachal Pradesh. But we are of the view that this tehsil should be divided between the Punjabi-speaking State and Himachal Pradesh, for in our view the Bhakra dam and its canals, the Nangal Hydel canals and the power and other industrial complex should remain in the Punjabi-speaking State. We are also of the view that the town of Anandpur Saheb with its shrine should remain in the Punjabi-speaking State."

तो ये जो वजूहात इस इलाके को पंजाबी स्टेट में देने की है, ये मेरे खयाल में बिलकुल इतनी वजनी नहीं हैं जिनकी वजह से यह तमाम इलाका पंजाबी स्टेट में रखा जाय दूसरे श्राइन पंजाबी इलाके में भी हो सकते

हैं। तो उनके लिये भी क्या यह चीज़ चल सकती है ? जहां तक इन्तज़ाम का ताल्लुक है, इन्तज़ाम के मुताल्लिक यह कहा जा सकता था कि चूंकि भाखरा डैम और नंगल की फर्टिलाइज़र फैक्ट्री वगैरह पंजाब ने बनाई है, इसलिये वे उनके इन्तज़ाम में रहें। मगर अब तो यह इन्तज़ाम हो रहा है कि एक कमीशन कायम किया जाये जो यह इन्तज़ाम संभाले तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तमाम इलाका, जितना कैचमेंट एरिया है भाखरा डैम का वह सारा हिमाचल प्रदेश में है। व्यास और सतलज लिंक प्रोजेक्ट भी जो बन रहे हैं उसका सारा कैचमेंट एरिया भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश उसकी देखरेख, सिल्टिंग और कनज़र्वेशन के सिलसिले में सारे इन्तज़ाम कर रहा है। तो क्या महज़ श्राइन की वजह से और भाखरा डैम की वजह से वह तमाम एरिया पंजाब में दे दिया जाय और हिमाचल में न दिया जाय, यह उचित नहीं। मैं समझता हूं कि हिमाचल के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसी तरह से कालिका का भी बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और उसके हिमाचल के साथ जाने से हिमाचल प्रदेश को एक रेल हैड भी मिल जाता है। इससे हिमाचल प्रदेश को अपना यातायात का साधन भी मिल जाता और इकोनामिक स्थिति को मजबूत बनाने में काफी मदद मिल जाती। लेकिन वह भी हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। बावजूद इसके कि अब हिमाचल प्रदेश को तरक्की करने का मौका मिला है, तो जो बर्ताव इसके साथ हो रहा है वह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

इसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया, हिमाचल प्रदेश की अपनी आबादी 13,51,144 है उसमें 14,60,587 आबादी अब उस इलाके की शामिल हो रही है जो पंजाब से आ रही है। उसमें 60 असेम्बली की सीटें, 6 लोक सभा की सीटें और तीन राज्य सभा की सीटें हिमाचल प्रदेश को इस विधेयक में दी जा रही हैं। यूनियन टैरीटरीज़ के लिये केन्द्रीय सरकार ने यह उसूल रखा है कि उनको

रिप्रेजेंटेशन में वेइटेज दिया जाय। अगर फुल प्लेज्ड स्टेट्स हिमाचल प्रदेश को मिलता तब शायद यह बात बन सकती थी कि उसकी कम सीट्स रखी जाये। लेकिन चूंकि यूनियन टैरीटरी का स्टेट्स अब भी हिमाचल प्रदेश का मौजूद है इस वजह से उसको रेप्रेजेंटेशन में वेइटेज मिलना निहायत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो होम मिनिस्ट्री को हिमाचल प्रदेश के हित में सोचनी चाहियें और जहां तक रेप्रेजेंटेशन का सवाल है उसके बारे में यह माननीय सदन और होम मिनिस्ट्री से निवेदन है कि सोच विचार करके हिमाचल का जो हक है, वह उसको दिया जाय। दूसरी जो यूनियन टैरीटरीज़ हैं उनमें कहीं भी कांस्टीट्यूएंसी 39 हजार से ज्यादा नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश को जो रेप्रेजेंटेशन मिला है उसमें टोटल आबादी पर 46,862 की आबादी बनती है एक कांस्टिटुएंसी की। तो मैं अंत में यह निवेदन करूंगा कि होम मिनिस्टर महोदय से हिमाचल प्रदेश के रेप्रेजेंटेशन को 60, 6 और 3 के बजाय 72, 8 और 4 कर दिया जाय। ताकि हिमाचल प्रदेश को पूरा रेप्रेजेंटेशन भी मिल जाय और वह अपने कारोबार में तरक्की के साथ कदम उठा सके।

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) :
Madam, our party supports the division of Punjab on a linguistic basis or the linguistic reorganisation of Punjab. So as far as this principle is concerned, we are in agreement but as it always happens in India this principle has got to be enforced through agitation, mass action, etc. After a long process of dilatory tactics, the Government was compelled to come to this position. The people of the land of five rivers have a rich, hoary tradition and history going back to some 4000 or 5000 years. Naturally after the reorganisation, on their new journey of life we wish them all success. The point is, the principles enunciated by the Government, the terms of reference of the Boundary Commission, cannot but come in for criticism. The only principle is language for the linguistic reorganisation but all sorts of other considerations were brought in, other irre-

[Shri Niren Ghosh.]

levant considerations. A particular reference was made to 1961 census. The question of hilly portions was also opened as if it is a general question of where they should go and not on the basis of language. So in the way the reorganisation has been made, the division has been made will leave a trail of bitter rancour which will persist for generations. That is how bourgeois Governments do. No bourgeois Government has ever solved the question of language or nationality. Their policy is to set one language group against another, leave some portions of one language group inside the territory of another dominant language group, or set one section against another. They think that it is the best way to rule but ultimately the Government should take into consideration that it does not help them also because all those rancours or points of differences that remain may burst out in the future also and cause unnecessary trouble which could have been avoided.

As regards the 1961 census, the then Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru had to admit and he said on 13th August 1964 as follows :

"Unfortunately an agitation was carried on before the last General Elections among these people to declare in the census that their language was Hindi and not Punjabi although they spoke Punjabi in their homes. I do not know what was the purpose of it but it was not a truthful statement and it did a lot of harm. it increased friction and this tendency for separation. Behind all these is power politics and lack of faith between the Sikhs and the Hindus."

Now this statement by the then Prime Minister of India makes it amply clear that the 1961 census can never be taken as a reliable guide in order to find out the language groups or their number and to demarcate boundaries on that basis. There are also instances when known leaders of Punjab have stated openly that in order to ward off Punjabi Suba, though their mother-tongue is Punjabi, they started entering their language as Hindi. Moreover in 1941 census Mr. Yeats said .

"The answer to mother-tongue is mostly speaking, within the citizens' power of control. To prove a false

census in a court of law would be a matter of practical difficulty. Moreover the sentiments attached to Urdu or Hindi as the case may be led all worthy persons to feel that it should be the mother-tongue and therefore to return it. Where therefore a Urdu-Hindi controversy starts, the census returns are worthless."

This refers to the 1941 census when the Urdu-Hindi controversy was going on. That is how it appears and it is an established fact that a large number of Punjabi-speaking people, whose actual language or mother-tongue is Punjabi, have been egged on by the chauvinists to enter, in order to sidetrack the demand for a Punjabi Suba, as speaking Hindi and this is chauvinism and nothing else. In this way the language problem cannot be solved. Every language group inhabiting a compact or contiguous area, having a common psychological make-up and also trade and commerce relation, has got to be recognised and unity can be achieved only on the total or absolute recognition of this fact. That has not been done in this matter.

I will particularly refer to Kangra. Kangra is a region which has been shown, for 50 or 60 years, in the earlier census as a place where the majority of the people spoke Punjabi dialect. They have a language which is understood in the so-called hill areas and that is Hilly-Punjabi. That has been the census report all along. Now suddenly, when Sardar Pratap Singh Kairon was the Chief Minister, the area was tagged on, under the regional formula, to the Hindi portion. Why? God knows, perhaps to please the Hindi chauvinists or some communal elements among the Sikhs felt that this region should be left out of the boundary though it is Punjabi-speaking. So it was by mutual arrangement but it has nothing to do with the history or reality. Kangra should have been in Punjab. The British Census reports also say that upto the river Gaggar it should be Punjabi-speaking area and that is the demarcating boundary or the defining line. It has been ignored. This will create trouble in the future whether you like it or not. When the dust of this controversy will settle, new controversies will crop up when these two States get into being.

That is how always the bourgeois act and we have been seen that there also that is the position. So I would plead even now to reconsider the question of Kangra and reconsider having the 1961 census as a definite reliable guide and take all available evidence on it up to a period covering or dating back to 50 years ago and prepare a correct census and divide the areas in such a way that will lead to the democratisation of life in Punjab and lead to progress and democratic developments; otherwise you are heading for trouble in the future.

Then I would come to Chandigarh. This is an anachronism and an anomaly brought into politics that Chandigarh, a city of Punjab, becomes suddenly a Union Territory. Heaven knows why. Chandigarh falls within the State of Punjab. In my opinion it belongs to Punjab as Berlin belongs to East Germany, and Berlin can never belong to the Federal Republic of Germany. Now suddenly they have made Chandigarh a Union Territory.

DR. ANUP SINGH (Punjab) : Berlin is not a good analogy.

SHRI NIREN GHOSH : Perhaps you find it difficult to swallow that, because you have your relations with the Federal Republic of Germany, and you do not want to recognise historical facts. But facts are stubborn. They do not yield to persuasions or manoeuvrings; they are stubborn.

Then it will lead to all sorts of conflicts. Chandigarh being the capital of both the States, two States having their capitals in the Union Territory of Chandigarh. It is a hydra-headed monster. I feel that the Haryana people had a stake in Chandigarh when it was in undivided Punjab, because they also gave towards its construction and for it to come to the present position. Now they have not any big capital. They should be helped to construct a capital of their own, to found a capital of their own. The Punjabi-speaking people should help them. The Centre should help them, so that a really big, beautiful, flourishing capital is built for Haryana, so that they can feel that they have a capital of their own. It cannot be solved like that by making Chandigarh a Union Territory and so making it a source of conflict for generations to come, two States having their

capitals and Legislatures in the same capital. I can understand if all the Hindi-speaking people of Delhi want to go into Haryana. Then old Delhi could have been their capital. It is not for me to advise them in that direction; it is for the people of Haryana to decide. Anyway, if the present State of Haryana comes into being, then they should have a capital of their own. If Chandigarh should in any case be made a Union Territory, if it has been made as such, if we cannot modify it, if Parliament gives approval to this proposal because of the majority of the Congress Party, then I would appeal to the Congress Party to rethink, to reconsider it, so that in the near future two capitals can be made for the two States.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Shall we call Shri Gulzarilal Nanda Lord of Chandigarh.

SHRI NIREN GHOSH : Then I would also say regarding Himachal Pradesh. Himachal Pradesh in my opinion, should not be a Union Territory; it should be a State. They have only a Territorial Council. They have a sort of legislature, a sort of Government. Why deny them the right to Statehood? For what reasons? So, in my opinion, Himachal Pradesh, even if there be only twenty lakhs of people or so, should be recognised as a small State. There are many small States in the world. So Himachal Pradesh can also be a major State, and not a mere Union Territory.

Another thing. Suddenly you have ordered to revive that Legislature. Some M.L.C.s, who are not members of the Legislature, who have not been elected on adult franchise, by a fiat of this Bill, by some majority—since they have majority—they are being transformed or converted into M.L.As.

SHRI ABDUL GHANI : They have removed that provision.

SHRI NIREN GHOSH : At least that is a good thing.

So I would say that as far as the principle goes, our party supports it. It was long overdue. They have created unnecessary tension and have introduced communal considerations and other factors, but even in tackling the problem now, they have

[Shri Niren Ghosh.]

let communal considerations and other considerations to guide them, and left several factors which will be a thorn in their side and which will be a source of trouble for the future. So I would like the Congress Party to rethink and reconsider so that, in the near future, or even at this stage, they can mend some of these obnoxious features.

DR. GOPAL SINGH (Nominated) : Madam Deputy Chairman, I rise to support this Bill. The Punjab Reorganisation Bill, 1966, with a heavy heart. It is because of the fact that perhaps, even without dividing Punjab, the people of the Punjab could have settled down in peace and harmony if only some of our misguided people would have accepted what was genuinely their mother-tongue, that is, Punjabi. Today nobody is happy over the redistribution of the Punjab; least of all are the Punjabi-speaking people. It is only now, when they look at the map, that they find that most of the industrial area has been taken out of the Punjab, the industrial belt around Delhi deep down to Faridabad and from here to Panipat. Also the H.M.T. factory, etc. have gone to Haryana. All the forest wealth and mineral wealth have also gone to Himachal Pradesh. On the virgin land in Haryana where the Punjabi-speaking people were being settled in large numbers, I think 1½ million people are still in Haryana settled on the virgin soil of this territory. Now all that has gone. And then the trouble over language remains. The Hindus of the Punjab, especially the Arya Samajist sections have taken it into their head that they are still going to fight for Hindi as their mother tongue and that they are not going to recognise Punjabi in spite of the division of the State on the basis of language, so that the problem of language also remains in Punjab. While the problem of development will pose many more difficulties, what is worse, the hydra-headed communal forces are again raising their ugly heads, and they are trying to incite the people that what they have got is not the real Punjabi-speaking province, but something far worse.

SHRI BHUPESH GUPTA : Have Mr. Ram Kishen and Mr. Darbara Singh settled their differences ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : You please continue.

DR. GOPAL SINGH : I was going to ask if you have settled your own quarrels amongst yourselves.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : You are in the Government, they are not.

DR. GOPAL SINGH : What I was going to submit to you. Madam Deputy Chairman, is that no problem has been settled, neither of language, nor of development, nor of defence, nor of communalism—perhaps this problem will be accentuated. Now the people are being incited, especially in the Punjabi-speaking region to action by telling them that what they asked for was something else but what they were getting was something far worse. This is because, when the Government decided that the Punjab shall be divided on the basis of language, it also gave a direction to the Commission, that had been appointed to demarcate the boundaries, to take the 1961 Census as the guiding line. Now, if the 1961 Census has to be believed, then the city of Amritsar and the city of Jullunder and the city of Ludhiana are all Hindi-speaking areas and they shall have to go to Haryana. But they have gone to the Punjabi-speaking area of Punjab. It appears to be an act of generosity on the part of the Home Ministry, or on the part of the Commission which the Home Ministry in the Government of India had appointed. If the

4. P.M.

Punjab was to be divided on the basis of language then it should have been done genuinely on the basis of language only. Today what we have got out of this reorganisation is a Sikh State on the one hand and on the other all the Hindu areas are going out either to Himachal Pradesh or to Haryana. This is the plain simple fact. I am not going to hide anything from this august House. This is a thing which hurts me, a man like me who has been fighting for the national integration of our nation. If you had taken language as the basis then there was no reason, as Shri Niren Ghosh stated, why you should transfer Kangra to Himachal Pradesh. Kangra, right from 1911, was a Punjabi-speaking area and, then, suddenly it turned into Pahari-speaking area. Once in 1951 it was a Hindi-speak-

ing area also. In and upto 1941, it was a Punjabi-speaking area and now it has become a Pahadi-speaking area. Similar is the case of Simla. Simla is clearly a Punjabi-speaking area. Nobody with any common sense would say that Simla is not Punjabi-speaking. So it should have remained with Punjab. Instead of that it is going to be part of Himachal Pradesh, to be its capital. I am not at all against Himachal Pradesh. I wish Himachal Pradesh God speed. I wish them well and if you want to give them Statehood certainly give them Statehood. I see no reason why in this country we should be so much scared at the redistribution of the States even on the basis of language. It may be because perhaps we think this is going to result in the disintegration of our people or something far worse. But we find that in the United States of America which has a population which is only half of ours, they have as many as 50 States and they have not been blown up. If we have more States and if Statehood is conferred on Himachal Pradesh, no harm will come to us. What I have been saying is that you have not built up the Punjabi Suba or Haryana or even Himachal on the basis of language. The division has been, more or less, on communal lines and this is going to result in disaster. If you say that you could not accept the minority report of the Commission which allotted Chandigarh to Haryana, but wanted to have a sort of mediation between the two viewpoints, I would ask : Why did you accept the minority report in the case of Himachal Pradesh. In the case of Himachal Pradesh in 1956 the Commission had recommended that that territory should merge with Punjab. But you decided otherwise and declared that it should remain a separate State or a Union Territory. Therefore, this is no argument, though it is trotted out several times, that it was only a minority report which recommended that Chandigarh should go to Punjab, and therefore you could not accept it and so it should remain a Union Territory. I would rather recommend that you take over the Punjab as a Union Territory than deprive both Haryana and Punjab of Chandigarh. Let Haryana also have a capital and also let the Punjabi-speaking people pay for some of its expenditure. Let the Centre also come forward with help for founding the

new capital for the new State. If you decide to keep the two States quarrelling over Chandigarh all the time and not attending to developmental activities, then it is going to result in something far worse than you now imagine.

You have now transferred the Chandigarh University to the Union Territory because it lies there. The Agricultural University of Ludhiana however we are told, will serve both the States. And also the Bhakra-Nangal and other vital projects like Beas etc. etc. are to be managed by the Centre. So also the medical and research centres are to go to the Centre. If this is so, I would beg of you to take over the Punjab as Union Territory, administer it for ten or twenty years. And when the people of Punjab grow up to maturity, then, you can transfer this territory to them to administer it as they choose. Therefore, my submission, Madam Deputy Chairman, and through you to the Government is that they should once again reconsider the whole question of Chandigarh and certain territories which are essentially Punjabi-speaking which are being transferred to Haryana or Himachal Pradesh, should really merge with Punjab, if Punjab is to progress. We are told that the *tehsils* could not be split up. But when you have split up the *tehsils* of Una, Pathankot and Kharar, there is no reason why other *tehsils* should not be split and why so many Punjabi-speaking people should have gone to Haryana and not to Punjab.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) : You want the village to be the unit.

DR. GOPAL SINGH : Yes, I want the village to be the unit rather than the *tehsil*. Mr. Ramaul said that it was on account of the question of script that the whole trouble arose in the Punjab and that if only the Sikhs had accepted the Devnagiri script, there would not have been any trouble. Then may I ask him and this august House, whether this has happened in respect of any other language ? Why are we asked to shake off this natural, genuine script that we have had for the last five centuries or more ? If that has not happened in the case of any other language, why start with the Punjabi language alone ? If you are going to reform the scripts of the entire country then

[Dr. Gopal Singh.]

I can understand. If for instance you say that the Roman script should be there for all languages, I would be the first person to adopt the Roman script for Punjabi, and also for Hindi, so that the advantages and the disadvantages would be equal for everybody. You ask the Punjabi-speaking people to first of all disown their mother-tongue and if they do not disown their mother-tongue, then you ask them to disown their script. If they do not disown the script you divide them on the basis of Hindu and Sikh. That is something which I cannot understand.

Now you have allotted seats to the Council of States on the basis of drawing lots. Why could it not be on the basis of the hon. Members who have declared Hindi or Punjabi as their mother-tongue? Why should not those who have declared Hindi to be their mother tongue, be allotted to Haryana, because the division, according to the Government, is on the basis of Hindi and Punjabi? People who have declared their mother-tongue to be Hindi, like Shri Jagat Narain who has declared his mother tongue to be Hindi, though living in Jullundur and speaking Punjabi why should they not go to Haryana? He is a Haryana patriot always fighting for the cause of Haryana. He wants everything that is good and profitable in Punjab to go to Haryana. Why should he not go there instead of remaining and trying all the time to sabotage whatever is left in the Punjabi-speaking State?

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh) : Let it be on the basis of residence.

DR. GOPAL SINGH : It can be on the basis of residence also. Whoever has property there and lives there, he should go there. That should be the criterion.

I am now told that there will be only 54 seats left for Haryana and therefore it will only be a sort of Union Territory and it will not be a full-fledged State. I would like the hon. Home Minister to make it clear that this will be a full-fledged State in spite of the fact that for some months it will have only 54 seats and not 60, as is envisaged in the Constitution.

The final point that I want to submit is that you should allow these two or three States which are coming into being, to

negotiate for the transfer of territories through mutual consent, if they like to sort of barter away certain territories to each other, by paying for the taking over of, say Chandigarh. If the Haryana people give up their claim on it and want to have their own capital, then it should be left to the two or three parties and there should be no objection on behalf of the Government of India. I have a letter from the Prime Minister where it is stated that there will be no objection on the part of the Government of India if the two or three parties can come to a mutual settlement over Chandigarh or over any such territory.

With these words, Madam Deputy Chairman, I support this Bill.

شری نریندر سنگھ برار (پنجاب) :

ڈپٹی چیرمین صاحبہ — میں اپنی طرف سے اور اکالی پارٹی کی طرف سے ہند سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بابا سنت فتح سنگھ کی پریرنا پر پنجاب اور ہریانہ صوبہ بنایا۔ میں اس ہاؤس کے ذریعہ ان شہیدوں کو بھی شردھانجلی پیش کرتا ہوں جنہوں نے پنجابی صوبہ اور ہریانہ بنانے میں قربانیاں دیں اور میں ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے اس کاز کے لئے ہماری امداد کی۔

ڈپٹی چیرمین صاحبہ—جہاں تک اس بل کا تعلق ہے میں اور میری پارٹی اس کو غیر تسلی بخش اور خطرناک اور کسی حد تک ہم کو آپس میں لڑانے والا مانتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی چھوڑی گئی ہیں جس سے ہمارے تعلقات خراب ہونے کا اندیشا

ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا ہوں عالیجناب کہ ۶ ستمبر کو دوسری جگہ یہ کہا گیا تھا کہ ۱۹۲۹ سے لے کر ۱۹۴۷ تک سکھوں کے ساتھ کانگریس نے نا اکریم جماعت نے کچھ وعدے کئے تھے اور وہ پورے نہیں ہوئے اس کے بارے میں میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا۔

میں صرف یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو یہاں پر نہیں کہی گئی۔

۱۹۲۹ میں لاہور میں آل انڈیا کانگریس نے سکھ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی ودھان سکھوں کی آزاد رضا مندی کے بغیر نہیں بائیں گے۔ ۶ مارچ ۱۹۳۱ کو مہاراجا گاندھی جی نے گورو دوارہ سیس گنج دہلی میں سکھوں کے ایک عظیم مجمع سے خطاب کیا تھا۔ مہاراجا جی کی اس تقریر کی رپورٹ ان کے اپنے اخبار—”ینگ انڈیا“ کی ۱۹ مارچ ۱۹۳۱ کی اشاعت میں درج ہے۔ میں اس کے مندرجہ ذیل فقرے یہاں پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔

“I ask you to accept my word and the resolution of the Congress that it will not betray a single individual, much less a community. If Congress ever thinks of doing so, it will only hasten its own doom. . . . I pray you, therefore, to unbosom yourselves of all your doubts and apprehension. . . . What more shall I say? What more can I say than this, 'let God be witness of the bond that binds me and the Congress with you.'”

آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان فکروں کے بعد کیا سلوک ہو رہا ہے مہاراجا گاندھی جی کے لئے جن کو راشٹر پتا مانا جاتا ہے اور ان کے بچپن کو کہاں تک نبھانا چاہا رہا ہے۔ یہ کانگریسی حکمران ہی بھر جانے ہونگے کہ وہ گاندھی جی کی روح کے سامنے اور اکال برکھ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔

میں سرکار سے آپ کے ذریعہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجابی صوبہ یا ہریانہ کا صوبہ جو بنایا گیا ہے اس میں محض کشیدگی پیدا کرنے کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چنڈی گڑھ جو ہے اس کو مشترکہ رکھ لیا ہے تاکہ ہم مسلسل لڑتے رہیں حالانکہ چنڈی گڑھ میں کوئی ایسی بات کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ چنڈی گڑھ پاکستان سے اجڑ کر آئے ہوئے رفیوجیز کے لئے بسایا گیا تھا اور پنجاب کو ایک بہترین شہر دینے کے لئے بھی۔

اس شہر کو بسانے کے لئے چنڈی گڑھ کے آس پاس کی آبادی کو اجاڑا گیا جو سب پنجابی کسان تھے اور یہاں پر جو لوگ بسانے گئے اس میں کشمیر تعداد سکھ کسانوں کی تھی۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو اس خیال سے برداشت کیا کہ ہم کو

[سری رسدر سکھ نار]

ایک بہترین سپر سا کر دنا جا رہا ہے۔ جب پندب سپرو وہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سپر پنجاب کے لئے ایک بہت ہوگا۔ اور اس کا بلان اور نمونہ سا کر ہم کو بسس کنا گنا۔ اس کو لے آؤٹ کنا کنا اور اس کو دیکھ کر ہمارے کسانوں نے اپنی زرحر زمستوں کو بیج لڑ وہاں کوٹھیاں بنائیں۔ آفسر طبقہ نے وہاں برقرضہ لے کر کوٹھیاں بنائیں اور اس وقت حو ہیں مکان وہ بہانوں کے ہیں لیکن نہ معلوم کمسن نے یہ کس طرح سے بنواندس فصلہ ہمارے خلاف دے دیا۔ اس کے بارے میں مجھے ایک بات کہنی ہے اور وہ یہ ہے میں کمسن کی سب کے بارے میں جیلنج نہیں کرنا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کمسن کے پاس ٹائم نہیں تھا اور دوسرے وہ لوگ پنجابی بولی سمجھنے والے نہیں تھے ہم نے سو سمجھنا دیا کہ آج سپر میں حائس اور سری سحرے والوں سے معلوم کریں کہ وہ کون کونسی بولی بولتے ہیں اور کس کس بولی میں کاروبار کرتے ہیں وہاں کے لوگ سادی کے موقعہ پر کس بولی میں گت گایے ہیں اور عم کا جب سوال آتا ہے تو اس وقت کس بولی

میں رویے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی ہندی بولی بولنے والا دکھائی دیا تو آج چنڈی کڑھ ان کو دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس انٹائم نہیں ہے۔ اور محض ۱۹۶۱ کی مردم شماری کے مطابق جو ٹسٹ اور ملازم طبقہ وہاں رہا تھا اس کو لے کر کے انہوں نے ہماری پنجاب کی حان کو ہم سے کھینچ دیا۔ یہ حو ہمارا خواب تھا جس میں ہمارے کروڑوں روپے لگے تھے جس میں ہماری بہت سی امیدیں بندھی ہوئی تھیں حو پنجابی پاکستان سے آئے اس خیال سے کہ ہم اپنی ایک کیسٹل بنائیں گے اور انہیں اس اب کی خوشی بھی کہ ہم سرحد سے دور ہیں اور ہماری ایک محفوظ کیسٹل آگئی ہے۔ ہم پنجاب کے گندے شہروں سے دور ہیں اور ہمیں ایک اچھا سا سپر مل گیا ہے، لیکن آج اس سپر کو ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ جس گورنمنٹ نے ہم کو فرصہ دیا ہم کو اسے بنانے کے لئے اسیرواد دیا اور اب آرام سے ہم سے جھین کر اسے اپنے سحرے کر لیا سٹر کے ماتحت کر لیا اس لئے سری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسی ٹھس کون سا کی کٹی۔

جہاں تک تفسیم کا تعلق ہے ریجنل فارمولہ موجود تھا اسی کے آدھار پر ردو بدل کر لیتے - ریجنل فارمولہ کے آدھار پر اور ٹیکنیکل کے حساب سے جو جائیز بہتر حدود ہوتیں اسی کے حساب سے فیصلہ کر دیا ہوتا - اگر ایسا کر دیا ہوتا تو اس طرح کی کشیدگی پیدا نہ ہوتی اور نہ اس طرح کا کمیشن بنانے کی ضرورت ہوتی اور نہ یہ کشمکش اور جھگڑا ہی پیدا ہوتا - آج سینٹرل گورنمنٹ نے چند ہی گڑھ کو اپنے نیچے کر لیا ہے اور ہمیں کرایہ دے کر اپنی کیپیٹل رکھنی پڑے گی - تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ جب ایک تحصیل کو توڑا جا سکتا ہے تو باقی جگہ بھی ایسا ہو سکتا ہے - ہریانہ کے دوستوں نے کہا کہ وہ لوگ لالچ میں آ کر دانستہ طور پر ان پر ڈالی گئی جو وقتی طور پر ان کے ساتھ بد کلامی ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم جیسے ہی اس مسئلہ کو سمجھ گئے اور سمجھنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ جو غلطیاں رہ گئی ہیں اس کو پورا کر لینا چاہئے اس کے لئے سنہا صاحب نے ہمیں آشیرود دیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو تم کر لو گے

وہ ہو جائے گا - بلکہ کہا تھا کہ میان بیوی راضی تو کیا کریگا قاضی - تو جب ہم نے آپس میں بیٹھ کر بہت سا کام نکالا جس سے ایک دوسرے کے علاقہ کو لے کر جو کشیدگی پیدا ہو گئی تھی وہ ختم کر دی جائے کیونکہ جس دور سے آج ہمارا ملک گذر رہا ہے اس کے لئے یک جہتی کی ضرورت ہے - ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایک ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے لیکن اس وقت دشمن ہمارے دماغ کو اس چیز سے ہٹا کر الجھانا چاہتا ہے - اس لئے ہم سب لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہئے کہ ہم اس بات پر کوئی فیصلہ کر لیں - ہم اندرا جی اور نندہ جی کے پاس گئے جب ہم آئے کوئی فیصلہ کرنے کے لئے تو اس وقت کیپینٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی - تو اس وقت ہم کو جواب ملا جب تک کوئی یونانیس فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی - ڈکٹیٹر شپ اگر ہو گئی تب تو یونا نیس فیصلہ ہو سکتا تھا - یہاں آپ اپنی کانگریس پارٹی میں دیکھیں کہ کتنے یونانیس فیصلے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے یونا نیس فیصلے لے سکتے ہیں - تو سب لوگوں نے یہ مان کر کہ اس بارے میں محسوس کیا کہ جو ہماری بہت بڑی تعداد پنجابی بولنے والوں کی ہے وہ ادھر رہیں گے اور

[شری نریندر سنگھ برار]

جو ہندی بولنے والے ہں وہ ادھر رہینگے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken ten minutes. How much more time do you want?

SHRI NARINDAR SINGH BRAR: I have got some more points to be covered.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you read out the whole speech it will take time. Give a summary.

SHRI NARINDAR SINGH BRAR: I will cut it short.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. I will give you few more minutes.

شری نریندر سنگھ برار : جہاں

لک ہو مس اس کے لئے آج سے عرض کرنا چاہا ہوں۔ کہ جہانک کومن لنک کی بات ہے ہائی کورٹ وغیرہ کی ہم کو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس ہائی کورٹ کے مسئلہ کو جب باقی صوبوں میں علیحدہ کیا ہوا ہے تو صرف پنجاب اور ہریانہ میں ہی ایک ہائی کورٹ کون رکھا جا رہا ہے۔ یہ بات سری سمجھ سے باہر ہے۔ باقی کامن لنک کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کا کوآپریشن ہو سکتا ہے تو میں عرض کرنا چاہا ہوں کہ کوآپریٹو فارمینک کا ہی مسئلہ لیجئے کہ بھائی بھائی آپس میں اس میں کوآپریٹ نہیں کرتے بیٹا باب کے سنگ کوآپریٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں ہر جو کامن لنک کی بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں اتنا خیال رکھا جانا چاہئے کہ

جب کہ ہمارے دماغ میں ہر قسم کی فرقہ پرستی آ رہی ہے تو ہم کہاں کامن لنک کو منسٹن کر سکنگے یا نہیں۔ ماں کو سب سے زیادہ اس کے بچے ہمارے ہوتے ہں لیکن کون حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کامن نہیں رہ سکتی کون کہ اس کو بھی کسی نہ کسی بیٹے کے ساتھ اپنے دن گزارنے پڑتے ہں۔ بچوں کے ساتھ اس کا جو کامن لنک ہے وہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہں کہ ہم اس طرح کے کامن لنک کو رکھ سکیں گے۔

تو میں نندہ جی سے التجا کروں گا کہ یہ جو کامن لنک والا مسئلہ ہے اس پر وہ فراخ دلی سے سوچیں اور نہ سجدگیاں سدا نہ ہوں۔ ہم جو پنجابی ہں پنجابی صوبہ والے ہم بالکل بارڈر پر بسے ہیں اور ہمارا جو زیادہ ہر حصہ ہے وہ بارڈر پر ہے۔ ہم لڑنا چاہتے ہں وہاں مرنا چاہتے ہں اور حکومت کی حفاظت کرنا چاہتے ہں۔ ہمارے دماغ کو ان سجدگیوں میں نہ الجھایا جائے ہمارا دماغ فری جھوڑ دنا جائے۔ جہاں تک ہماری وفاداری کا تعلق ہے میں نہ کہوں گا کہ ہماری ہسٹری کے مطابق وہ سکھ سکھ کا بچہ نہیں ہے جو اپنے ملک کے لئے قربانی نہ کرے۔

میں اور چیزوں کو چھوڑتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جہاں تک ہمارا ذہن ہے اس کو فری چھوڑ دیا جائے اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان میں ہمیں نہ الجھایا جائے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ ذکر کیا گیا کہ بجلی کے جو معاملے ہیں وہ اکٹھے رکھے جائیں۔ اس سے ہمارے برین میں ایسی بات آتی ہے کہ ہمیں کوئی کام بجلی کا کروانا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں سینٹر میں آنا پڑے گا یہ چیزیں بہت غلط ہیں جو کہ اور صوبوں میں نہیں ہیں۔ اس لئے یہ جو کامن لنک کی باتیں ہیں ان کو نہ مانا جائے اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے غلط کر دیا جائے۔

میں اب آخری سوال بوجھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ اتنا ٹائم ہمیں نہیں ملے گا اس لئے میں کافی نوٹس چھوڑ کر کے صرف یہ کہوں گا کہ گورنر کا راج سینٹر کی حکومت نے ہم کو دیا اور اس کے لئے ہم اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس کے مشکور ہیں اس کی ضرورت بھی کیوں کہ وہاں حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور گورنر نے وہاں بہت سے نیک کام کئے ہیں جن کو آج تک کانگریس پارٹی نہیں کر پائی۔ کانگریس کی پیدا کی ہوئی

جو وہاں کرپشن تھی اس کو حل کرنے کے لئے انہوں نے سدھا راستہ اختیار کیا لیکن آج یہ کونسنس ہو رہی ہے کہ وہاں پھر کانگریس کی حکومت قائم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پنجاب کی بہبودی کا خیال نہیں ہے۔ ان کو صرف ووٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اگر وہاں کوئی اسٹرانگ اپوزیشن آ جائے گا تو اس سے کیا فرو پڑ جائے گا۔ اگر وہاں کوئی اپوزیشن کی وزارت آ جائے گی تو اس سے کیا فرو پڑا ہے ؟ چند ووٹوں کے خیال سے کسی صوبہ کی بہبودی کو بھول جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لئے سینٹر کے منسٹر کو اس قسم کی بات نہیں سوچنی چاہئے۔ میں کہوں گا کہ جو منسٹری کل تک وہاں تھی اس کی وجہ سے وہاں گولڈن چلس، وہاں آدمیوں کی جانس گئیں اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور وہ اس پر قابو نہیں کر پائی جب تک کہ آب کے سن آدمی پانی بہت میں نہیں مرے اور ان کے اوپر سختی نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے کوئی ایسے معاملہ نہیں کھڑا کیا جانا چاہئے جس سے ہمارے دماغوں میں الجھن پیدا ہو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دماغ فری رہیں۔ ابھی تک جو آب طریقہ سوچ رہے ہیں اس سے فرقہ پرست سر اٹھا رہے ہیں۔

شری نریندر سنگھ برار
آخر میں میں یہ التجا کروں گا
جس کو میں نہیں کرنا چاہتا تھا
لیکن رہ نہیں سکتا بغیر کہے ہوئے -
کچھ آدمی ایسے ہیں جو ہو سکتا
ہے ہمارے طبقہ سے ہوں یا کسی
اور طبقہ سے ہوں وہ صوبہ کو آگ
لگانا چاہتے ہیں - نندہ جی ان کو
بخوبی جانتے ہیں لیکن ان پر کوئی
ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اور کیوں
نہیں لیا جاتا یہ بتانے کی ضرورت نہیں
ہے - میں یہ کہوں گا کہ اگر اس
ری آرگنائزیشن بل کو لاگو کرنا
چاہتے ہیں تو وہاں ٹھیک طرح سے
ایڈمنسٹریشن چلانے کے لئے گورنر
کا راج رہنا بڑا ضروری ہے اور یہ
جو کامن لنک وغیرہ کی باتیں ہیں
ان کو رجکٹ کر دینا چاہئے - ابھی
ہمارے دوستوں نے بہ تجویز کی ہے
کہ ہریانہ کو کچھ لے دے کر
چنڈی گڑھ کمپنسیٹ کر دیا جائے -
میں نے یہ کہا تھا - ہریانہ کو
کچھ دے کر کمپنسیٹ کر دیا جائے
اور چنڈی گڑھ پنجابی صوبہ کو دے
دیا جاوے -

دوسرے میں نندہ جی سے یہ عرض
کروں گا کہ نندہ جی ایک بہت بڑے
لیڈر ہیں اور ان سے ہمیں پیار ہے -
لیکن اخباروں میں میں نے یہ پڑھا
ہے کہ کسی نے ان سے یہ کہا
ہے کہ یہاں سے الیکشن لڑیے کسی
نے کہا ہے وہاں سے الیکشن لڑئے -

شاید انکا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری
جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے - میں
نندہ جی کو ایک سچشن دوں گا کہ
وہ جہاں سے بھی چاہیں وہاں سے
الیکشن لڑیں اور اس میں ان کی یقیناً
ان کی کامیابی ہوگی - مگر اس دی جا
رہی (Bait) بہت کو قبول نہ کریں -

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : किसकी
तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या अकालियों
की तरफ से ?

श्री नरिन्द्र سنگह बरार : अकालियों की
طرف से नहीं - वह कांग्रेस की तरफ
से कहे हों - मैं तो उनकी مخالفت
करूंगा -

सरदार रघबीरसिंह पंजहजारी (पंजाब) :
यह कांग्रेस के पी० आर० ओ० थे और उनकी
तरफ से वह कह सकते हैं ।

श्री नरिन्द्र سنگह बरार : ایسا بھی
سمجھ لیں کہ میں پرانا کانگریسی ہونے
کی وجہ سے ہی ان سے کہتا ہوں
ہوں کہ جن لوگوں نے ان سے ایسی
باتیں کی ہیں ان کی باتوں کو وہ
رجکٹ کر دیں -

†[श्री नरेन्द्र सिंह बरार (पंजाब) : जनाब
डिप्टी चेयरमैन साहिबा, मैं अपनी तरफ से
और अकाली पार्टी की तरफ से हिन्द सरकार
का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बाबा
सन्त फतेह सिंह की प्रेरणा पर पंजाब और
हरियाना सूबा बनाया । मैं इस हाउस के
जरिये उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि
पेश करता हूँ जिन्होंने पंजाबी सूबे और
हरियाना बनाने में कुर्बानियां दीं और मैं
उनका भी मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे इस काज
के लिये हमारी इमदद की ।

†[] Hindi transliteration.

डिप्टी चेयरमैन साहिबा, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं और मेरी पार्टी इसको गैर तसल्ली बख्श और खतरनाक और किसी हद तक हमको आपस में लड़ाने वाला मानते हैं। क्योंकि इसमें बहुत-सी चीजें ऐसी छोड़ी गई हैं जिससे हमारे ताल्लुकात खराब होने का अन्देशा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं आलिजा कि 6 सितम्बर को दूसरी जगह यह कहा गया था कि 1929 से लेकर 1947 तक सिखों के साथ कांग्रेस ने या अक्सरियत जमायत ने कुछ वायदे किये थे और वे पूरे नहीं हुए। इसके बारे में मैं यहां कुछ नहीं कहूंगा।

मैं सिर्फ यहां एक मिसाल देना चाहता हूं जो यहां पर नहीं कही गई।

1929 में लाहौर में आल इंडिया कांग्रेस ने सिख कौम से वायदा किया था कि वह कोई विधान सिखों की आजाद रजामन्दी के बगैर नहीं बनायेगी। 6 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी ने गुरुद्वारा सीस गंज दिल्ली में सिखों के एक अजीम मुजम्मे से खिताब किया था। महात्मा जी की इस तकरीर की रिपोर्ट उनके अपने अखबार 'यंग इंडिया' की 19 मार्च 1931 की इशाअत में दर्ज है। मैं उसके मनदर्जा जेल फिकरे यहां पढ़ने की इजाजत चाहूंगा—

"I ask you to accept my word and the resolution of the Congress that it will not betray a single individual, much less a community. If Congress ever thinks of doing so, it will only hasten its own doom I pray you, therefore, to unbosom yourselves of all your doubts and apprehensions . . . what more shall I say? What more can I say than this, 'let God be witness of the bond that binds me and the Congress with you'."

आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इन फिकरों के बाद क्या सलूक हो रहा है। महात्मा गांधी जी के लिये जिसको राष्ट्रपिता माना जाता है और उनके वचनों को कहां तक

निभाया जा रहा है। यह कांग्रेस हुकमरान ही बेहतर जानते होंगे कि वह गांधी जी की रूह के सामने और अकाल पुर्ख के सामने क्या जवाब देंगे। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

मैं सरकार से आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाबी सूबा या हरियाणा का सूबा जो बनाया गया है उसमें महज कशीदगी पैदा करने की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ जो है उसको मुश्तर्का रख लिया है ताकि हम मुसलसल लड़ते रहें हालांकि चंडीगढ़ में कोई ऐसी बात की गुंजाइश नहीं थी। यह चंडीगढ़ पाकिस्तान से उजड़ कर आये हुए रिफ्यूजीज के लिये बसाया गया था और पंजाब को एक बेहतर शहर देने के लिये भी, इस शहर को बसाने के लिये चंडीगढ़ की आसपास की आबादी को उजाड़ा गया जो सब पंजाबी किसान थे और यहां पर जो लोग बसाये गये उसमें कसीर तादाद सिख किसानों की थी। हम लोगों ने इस चीज को इस ख्याल से बर्दाश्त किया कि हमको एक बेहतर शहर बसा कर दिया जा रहा है। जब पंडित नेहरू वहां आये तो उन्होंने कहा कि यह शहर पंजाब के लिये एक बहिश्त होगा और उसका प्लान और नमूना बनाकर हमको पेश किया गया। उसको ले आउट किया गया और उसको देखकर हमारे किसानों ने अपनी जरखेज जमीनों को बेच कर वहां कोठियां बनाईं। आफिसर तबके ने वहां पर कर्जा लेकर कोठियां बनाईं और इस वक्त जो हैं मकान वह पंजाबियों के हैं लेकिन न मालूम कमीशन ने यह किस तरह से यूनानिमस फैसला हमारे खिलाफ दे दिया। इसके बारे में मुझे एक बात कहनी है और वह यह है, मैं कमीशन की नियत के बारे में चेलेंज नहीं करता। जहां तक मैं जानता हूं सिर्फ यह कह सकता हूं कि हमारे कमीशन के पास टायम नहीं था और दूसरे वे लोग पंजाबी बोली समझने वाले नहीं थे। हमने उनको सजेशन दिया कि आप शहर में जायें और सब्जी बेचने वालों से मालूम करें

[श्री नरेन्द्र सिंह झार]

कि वह कौन-कौनसी बोली बोलते हैं और किस-किस बोली में कारोबार करते हैं वहां के लोग शादी के मौके पर किस बोली में गीत गाते हैं और गम का जब सवाल आता है तो उस वक्त किस बोली में रोते हैं। अगर उनमें से एक भी हिन्दी बोली बोलने वाला दिखाई दिया तो चंडीगढ़ उनको दे दे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और महज 1961 की मर्दूम शुमारी के मुताबिक जो-जो टिमेंट और मूलाजिम तबका वहां रहता था उस को लेकर उन्होंने हमारी पंजाब की जान को हम से खेंच लिया। यह जो हमारा ख्वाब था जिसमें करोड़ों रुपये लगे थे जिसमें हमारी बहुत-सी उम्मीदें बंधी हुई थीं जो पंजाबी पाकिस्तान से आये इस ख्याल से कि हम अपनी एक कैपिटल बनायेंगे और उन्हें इस बात की खुशी थी कि हम सरहद से दूर हैं और हमारी एक महफूज कैपिटल आ गई है। हम पंजाब के गंदे शहरों से दूर हैं और हमें एक अच्छा-सा शहर मिल गया है। लेकिन आज इस शहर को हमसे छीना जा रहा है। जिस गवर्नमेंट ने हमको कर्जा दिया हमको इससे बनाने के लिये आशीर्वाद दिया, हमको कर्जा दिया, और अब आराम से हम से छीन कर उसे अपने नीचे कर लिया, सेटर के मातहत कर लिया इसलिये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी ठेस क्यों पैदा की गई।

जहां तक तकसीम का ताल्लुक है रिजनल फार्मूला मौजूद था, उसके आधार पर रद्दो बदल कर लेते। रिजनल फार्मूला के आधार पर और टेकनिकल के हिसाब से जो जाइज बेहतर हूद होते उसी के हिसाब से फैसला कर दिया होता। अगर ऐसा कर दिया होता तो उस तरह की कशीदगी पैदा न होती और न इस तरह का कमीशन बनाने की जरूरत होती और न यह कशमकश और झगड़ा ही पैदा होता। आज सेंटर गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को अपने नीचे कर लिया है और हमे किराया देकर अपनी कैपिटल रखनी पड़ेगी। तो मैं

कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी हमारे दोस्त ने बताया कि जब एक तहसील को तोड़ा जा सकता है तो बाकी जगह भी ऐसा हो सकता है। हरियाना के दोस्तों ने कहा कि वे लोग लालच में आकर दानिस्ता तौर पर उन पर डाली गई जो वक्ती तौर पर उनके साथ बदकलामी हुई और उनके साथ कुछ न कुछ हो रहा है लेकिन हम जैसे ही इस मसला को समझ गये और समझने के बाद हमने एक दूसरे के साथ फैसला करने की कोशिश की कि जो गलतियां रह गई हैं उसको पूरा कर लेना चाहिये। इसके लिये सिन्हा साहब ने हमें आशीर्वाद दिया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो तुम कर लोगे वह हो जायेगा। बल्कि कहा था कि मियां बीबी राज्जी तो क्या करेगा काजी। तो जब हमने आपस में बैठ कर करे बहुत-सा काम निकाला जिससे एक् दूसरे के इलाके को लेकर जो कशीदगी पैदा हो गई थी वह खत्म कर दी जाये। क्योंकि जिस दौर से आज हमारा मुल्क गुजर रहा है उसके लिये एकजुती की जरूरत है। हम वहां पर बैठे हुए हैं, हमें एक होकर अपने दुश्मन का मुकाबला करना है। लेकिन इस वक्त दुश्मन हमारे दिमाग को इस चीज से हटा कर उत्त-ज्ञाना चाहता है। इस लिये हम सब लोगों की यह कोशिश होनी चाहिये कि हम इस बात पर कोई फैसला कर ले। हम ईदिरा जी और नन्दा जी के पास गये। जब हम आये कोई फैसला करने के लिये तो उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। तो उस वक्त हमको जवाब मिला जब तक कोई यूनानिमस फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई चीज नहीं हो सकती। डिक्टेटरशिप अगर हो गई तब तो यूनानिमस फैसला हो सकता था। यहां आप अपनी कांग्रेस पार्टी में देखे कि कितने यूनानिमस फैसले होते हैं तो हम किस तरह से यूनानिमस फैसला ले सकते हैं। तो सब लोगों ने यह मान कर यह इस बारे में महसूस किया कि जो हमारी बहुत बड़ी तादाद पंजाबी बोलने वालों की है वह उधर रहेंगे और जो हिन्दी बोलने वाले हैं वह इधर रहेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You have taken ten minutes. How much more time do you want ?

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : I have got some more points to be covered.

THE DEPUTY CHAIRMAN : If you read out the whole speech it will take time. Give a summary .

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : I will cut it short.

THE DEPUTY CHAIRMAN : All right. I will give you few more minutes.

श्री नरेंद्र सिंह ब्रार : जहाँ तक हो मैं इसके लिये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ तक कोमन लिंक की बात है हाई कोर्ट वगैरह की हम को बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस हाई कोर्ट के मसले को अब वाकी सूबों में अलहदा किया हुआ है तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही एक हाई कोर्ट क्यों रखा जा रहा है। यह बात मेरी समझ से बाहर है। वाकी कोमन लिंक की जो बात की जा रही है कि इसका कोआपरेशन हो सकता है तो अर्ज करना चाहता हूँ कि को-आपरेटिव फार्मिंग का ही मसला लीजिये भाई-भाई आपस में इसमें कोआपरेट नहीं करते, बेटा बाप के संग कोआपरेट नहीं करता। तो यहाँ पर जो कोमन लिंक की बात की जाती है उसके बारे में इतना ब्याल रखा जाना चाहिये कि जब कि हमारे दिमाग में हर किस्म की फिरका परस्ती आ रही है तो हम क्या कोमन लिंक को मेनटेन कर सकेंगे या नहीं। मा को सबसे ज्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वह अपने बच्चों के साथ भी कोमन नहीं रह सकती क्योंकि उसको भी किसी न किसी बेटे के साथ अपने दिन गुज़ारने पड़ने हैं, बच्चों के साथ उसका जो कोमन लिंक है वह नहीं रख सकती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस तरह के कोमन लिंक को रख सकेंगे। तो मैं नम्बरा जी से इलतजा करूँगा कि यह जो कामन लिंक वाला मसला है उस पर वह फराख दिली से चीदगिया न हों।

हम जो पंजाबी हैं, पंजाबी सूबे वाले हम बिल्कुल बांडर पर बसे हैं और हमारा जो ज्यादा तर हिस्सा है वह बांडर पर है। हम लड़ना चाहते हैं वहाँ मरना चाहते हैं और हकूमत की हिफाजत करना चाहते हैं। हमारे दिमाग को इन पेचीदगियों में न उलझाया जाये हमारा दिमाग फ्री छोड़ दिया जाये। जहाँ तक हमारी वफादारी का ताल्लुक है मैं यह कहूँगा कि हमारी हिस्ट्री के मुताबिक वह सिख, सिख का बच्चा नहीं है जो अपने मुल्क के लिये कुर्बानी न करे।

मैं और चीजों को छोड़ते हुए यही कहूँगा कि जहाँ तक हमारा जहन है उसको फ्री छोड़ दिया जाये और जो टेक्नीकल चीजे हैं उनमें हमें न उलझाया जाये। मिसाल के तौर पर अभी यह जिक्र किया गया है कि बिजली के जो सामले हैं वह इकट्ठे रखे जायें। इससे हमारे ब्रेन में ऐसी बात आती है कि हमें कोई काम बिजली का करवाना होगा तो उसके लिये हमें सेंटर में आना पड़ेगा। यह चीजें बहुत गलत हैं जो कि और सूबों में नहीं हैं। इसलिये यह जो कामन लिंक की बातें हैं उनको न माना जाए और उनको किसी न किसी तरह से अलहदा कर दिया जाये।

मैं अब आखरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पास टाइम कम है और मैं समझता हूँ कि इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा इसलिये मैं काफी प्वाइंट छोड़ करके सिर्फ यह कहूँगा कि गवर्नर का राज सेटर की हकूमत ने हमको दिया और उसके लिये हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसमें मशकूर हैं; उसकी जरूरत थी क्योंकि वहाँ हालात बहुत खराब हो गये थे और गवर्नर ने वहाँ बहुत-से नेक काम किये हैं जिनको आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस की पैदा की हुई जो वहाँ करप्शन थी उसको हल करने के लिये उन्होंने मीधा रास्ता अख्तियार किया। लेकिन आज यह कोशिश हो रही है कि वहाँ फिर कांग्रेस की हकूमत कायम हो। इसकी वजह यह है कि उनको

[श्री नरेन्द्र सिंह ब्रार]

पंजाब की बहबूदी का ख्याल नहीं है। उनको सिर्फ वोट की फिक्र पड़ी हुई है। अगर वहां कोई स्ट्रोंग अपोजीशन आ जायेगा तो इससे क्या फर्क पड़ जायेगा। अगर वहां कोई अपोजीशन की वजह से आ जायेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चन्द वोटों के ख्याल से किसी सूबे की बहबूदी को भूल जाना ठीक नहीं है। इसलिये सेटर के मिनिस्टर को इस किस्म की बात नहीं सोचनी चाहिये। मैं कहूंगा कि जो मिनिस्ट्री कल तक वहां थी उसकी वजह से वहां गोलियां चली वहां आदमियों की जानें गईं और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और वह इस पर काबू नहीं कर पाई जब तक कि आपके तीन आदमी पानीपत में नहीं मरे और उनके ऊपर सख्ती नहीं की गई। इस वजह से कोई ऐसा मामला नहीं खड़ा किया जाना चाहिये जिससे हमारी दिमागों में उलझन पैदा हो। जरूरत यह है कि हमारे दिमाग फ्री रहें। अभी तक जो आप तरीका सोच रहे हैं इससे फिरकापरस्त सिर उठा रहे हैं।

आखिर मैं यह इलतजा करूंगा जिसको मैं नहीं करना चाहता था लेकिन रह नहीं सकता बगैर कहे हुए। कुछ आदमी ऐसे हैं जो हो सकता है हमारे तबके से हों या किसी और तबके से हो वह सूबे को आग लगाना चाहते हैं। नन्दा जी उनको बखूबी जानते हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और क्यों नहीं लिया जाता यह बताने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि अगर इस रिआर्गनाइजेशन बिल को लागू करना चाहते हैं तो वहां ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये गवर्नर का राज रहना बड़ा जरूरी है और यह जो कोमन लिंक बगैरह की बात है उनको रिजैक्ट कर देना चाहिये। अभी हमारे दोस्तों ने यह तजवीज की है कि हरियाना को कुछ ले-दे कर चंडीगढ़ कम्पेनसेट कर दिया जाये। मैंने कहा था, हरियाना को कुछ देकर कम्पेनसेट कर दिया जाये और चंडीगढ़ पंजाबी सूबे को दे दिया जाये।

दूसरे मैं नन्दा जी से यह अर्ज करूंगा कि नन्दा जी एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनसे हमें प्यार है। लेकिन अखबारों में मैंने यह पढ़ा है कि किसी ने उनसे यह कहा है कि यहां से इलेक्शन लड़िये, किसी ने कहा है वहां से इलेक्शन लड़िये। शायद उनका मतलब यह है कि वह दूसरी जगह कामयाब नहीं हो सकते। मैं नन्दा जी को एक सजेशन दूंगा कि वह जहां से भी चाहे वहां से इलेक्शन लड़ें और उसमें उनकी यकीनन कामयाबी होगी मगर इस दी जा रही बेट को कबूल न करे।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : जिसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या अकालियों की तरफ से ?

श्री नरेन्द्र सिंह ब्रार : अकालियों की तरफ से नहीं वह कांग्रेस की तरफ से खड़े हों। मैं तो उनकी मुखालफत करूंगा।

सरदार रघबीर सिंह पंजहसारी (पंजाब) : यह कांग्रेस के पी० आर० ओ० थे और उनकी तरफ से कह सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह ब्रार : ऐसा ही समझ ले कि मैं पुराना कांग्रेसी होने की वजह से ही उनसे कहता हूं कि जिन लोगों ने उनसे ऐसी बातें कही हैं उनकी बातों को वह रिजैक्ट कर दे।

SHRI ANAND CHAND (Bihar) : Madam Deputy Chairman, firstly I must congratulate the Government on having brought forward a Bill for the creation of the unilingual State of Punjab. This fulfils not only a long-cherished wish of the people of the area, but it is also a further step in the right direction on the road to the formation of unilingual States on which we embarked at the time of the States Reorganisation Commission in 1956. I, therefore, offer my felicitations and good wishes to the people of the new Punjab State and to the Haryana State which now will find mention for the first time as a separate entity in our Constitution. The Bill follows a scheme of things laid down by the Congress Working Committee, which was the first to concede or

accept the principle of a Punjab State, and also the recommendations made by the Parliamentary Committee and the Punjab Boundary Commission. The Parliamentary Committee did a magnificent job and deserves our congratulations. Its report is lucid and forceful. I only wish that the Punjab Boundary Commission had acted likewise and given its findings in a clear and precise manner. All that was left to the Boundary Commission was to do this, to quote the words of the Home Minister from his statement of 18th April, 1966, given in the Lok Sabha. I will not quote *in extenso*. I would only give two or three lines of it. The Commission shall apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1961 and other relevant considerations. The Commission may also take into account such other factors as administrative convenience, economic well-being, geographical contiguity and facility of communications, and will ensure that the adjustments that they recommend did not involve the breaking up of the existing tehsils. Now, so far so good. Punjab was to be made a unilingual State purely on the basis of the language spoken in certain parts of the present Punjab and the Commission had to look, in making its recommendations regarding boundary adjustments, into the areas which spoke that language as well as the contiguity of those areas, in certain cases, to Himachal Pradesh for the transfer of certain territories of the existing Punjab State to Himachal Pradesh. What I submit, however, is that the Commission has not kept these points in view and has erred and erred grievously. I will quote here two instances in the very short time at my disposal. Take the question of Pathankot tehsils, for example. The Boundary Commission came to the conclusion that Pathankot tehsil was a Hindi-speaking area. It is hilly, that it could not be merged in any other area, that it has to remain in Punjab because it has no geographical contiguity with the Hindi-speaking districts of Punjab in the South. I am quoting from para 63 of the Report. Pathankot tehsil happens to be adjacent to Himachal Pradesh, the Chamba district. As a matter of fact, the Zail from Chamba flows into Pathankot. I cannot understand how the Commission, which was supposed to be a Commission of experts, after it had found that Pathankot was a Hindi-speaking area, came to

the conclusion that it could only be merged with Haryana and nowhere else. This is one place which is a glaring example of their having erred in their findings.

I am coming now nearer home, where I live, where we have the tehsil of Una. Now, I presented this morning a petition from the inhabitants of Anandpur Sahib block and the Nurpur Bedi block which have been retained in the Punjabi-speaking State. Out of this whole tehsil only three blocks have gone to Himachal Pradesh. Here again the Commission came to the conclusion that the area was hilly, that the people were Hindi-speaking, that they had linguistic and cultural affinities with Himachal Pradesh. Still the tehsil as such was bifurcated, for what reason? They have adduced two reasons in their Reports. One is that there is the Sikh shrine of Shri Anandpur Sahib in the area, which has been retained in the Punjabi State.

The second is that the Bhakra-Nangal complex is situated within the territory. Even these two are only in the Anandpur Sahib block. Why the Nurpur Bedi block has been transferred? It has neither a Sikh shrine nor has it got the Bhakra-Nangal industrial complex. Why should that have gone to the Punjab State or retained in it when they came to the conclusion that the whole of the Una tahsil was hilly and Hindi-speaking? Again, I submit that I have the greatest respect not only for Sikh shrines that are there, I have got the greatest respect for the Anandpur Sahib shrine also on our border which I visit often. Also I have got great respect for the famous teachings of Guru Govind Singhji. What I mean to say is that this is a wrong approach. It was a religious approach. It was not an approach which had any tinge other than religion, and we had not to take into consideration a religious approach. Now not content with that they have said that the Bhakra-Nangal complex should remain with the Punjabi-speaking State. That is paragraph 134 of the report. Why? When according to paragraph 134 of their report they have given the Centre the idea that the Control Board should be at Bhakra both for the water as well as the electric power that is generated there and when in the whole scheme of the Bill that is before us—in sections 78 and 79 the scheme is

[Shri Anand Chand.]

there—the Bhakra Control Board, a statutory Board, is being formed with the Chairman to be nominated by the Government of India plus two other people, where was the narrow idea of transferring this Anandpur Sahib block to the Punjab territory? Granted that the Sikh shrine is there. I see no harm why it should not lie under Himachal Pradesh. Granted that it had to lie in the Punjab, I think a line could be drawn where the Bhakra industrial complex would have been retained in Himachal Pradesh. Not only that, they went further down that tahsil level, and they said that four villages Kherabagh, Samipur and a couple of other should be retained in the Punjab State because of the Nangal Fertiliser factory. The Nangal Fertiliser Factory is situated on the right bank of the river Sutlej, while the Nangal Dam is on the left bank. Again they have said, let them be retained in the Punjab. Why? Because of the Nangal township having the fertiliser factory and also the factory for heavy water. Both these factories are Central Government concerns. I do not see why the idea of allocation is so important in the Punjab State that that particular area from the Una block which had already been given over to Himachal Pradesh should have been retained there, and what was the crime of the people of those four villages that they should consist of the periphery of this township? I fail to understand that. So far as the Kosri village of the Una Tehsil is concerned, in which the right bank of the Bhakra Dam is situated, though in the previous report they have said that even Kosri should be transferred, it was subsequently found out that it was an island and that it would become an enclave to Himachal Pradesh territory, and therefore I see that Kosri has not been transferred to Punjab but to Himachal Pradesh. Similarly I do not see any reason why the whole complex of Bhakra-Nangal plus this fertiliser factory could not be formed, and if we have to give the Anandpur Sahib shrine to Punjab, with great respect I say a line could have been drawn very easily, which they have said cannot be drawn in the report. I do not want to go into this matter further. I only want to say that when we appoint a Commission of experts who are going to put the boundary into translation,

those experts must have knowledge about the geography of the Punjab.

Madam, Deputy Chairman, I am grieved to say that the Boundary Commission had no knowledge of the geographical conditions prevailing in the Punjab. They sat at Chandigarh, it is true; they drafted a report here in Delhi, it is true; but I am afraid that from whatever I have read of the report their idea about the geography of the Punjab is very limited. I will not take long, Madam. We come now to the cases of Chandigarh. Although under the circumstances as exist today probably I feel that the decision taken about Chandigarh is the correct decision—two persons of course by majority have recommended that it should remain in Haryana, but one person has disagreed and said that it should be the capital of the new Punjab—I am not going into the merits or demerits. I personally think that it is a good decision in this way that it will stop the controversies that would immediately have been generated. Let us give Chandigarh some time to settle down and I am sure that in due course of time the inhabitants of this area will be asked to prefer their choice as to which of the two States they want to be associated with or merge with.

One more word about Himachal Pradesh, and I will conclude. It is a happy augury that Himachal Pradesh after this reorganisation is going to emerge with something like 21,000 square miles of territory and about 3 lakhs of population. I am also very happy and I am grateful to the Home Minister that he has accepted an amendment in the other House whereby the number of people in the Himachal Legislature has been raised from 54 which was the original conception to 60. Although so far as Parliament is concerned I think we have not been treated at par or according to the weight that we should be given and only 6 seats have been allotted. I am told that the 7th could not be given or the 8th could not be given because the whole quota under the Constitution for the State within the powers of the Home Ministry or the Union Government was only 6. They had exhausted the quota which the Constitution prescribed and therefore none could be added. I will not go into that. All that I would like to go into here is that Himachal Pradesh now gains in area, it gains in territory and

it gains in importance I do hope that the demand which is universally voiced by the people of Himachal Pradesh from one side to the other and which I think will now be vociferously raised by our brothers from Kangra and Una who will now join us as well as Simla and Kulu and all those areas will be heeded and that it is high time that Himachal Pradesh also found its place in the Union as a State in its own right Madam Deputy Chairman, I hope the day is not far off when we will welcome Himachal Pradesh as the 18th State of the Union Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN Mr. Rajnarain

श्री राजनारायण . माननीया, अगर सदन कल बैठ रहा हो तो कल ही बोला जाय ।

THE DEPUTY CHAIRMAN . I do not know whether we will be sitting tomorrow or not but I want just to say that on this Bill there are several speakers yet and there are several amendments. However, I would like to request the House that we sit for a little longer time today.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I do not see why we should not work for an hour or an hour and a half more I do not know what is the opinion of the House I think we should sit till 6 or 6 30 to facilitate business and then if we cannot finish, we will carry it over tomorrow.

SHRI LOKANATH MISRA . If we are sitting tomorrow, there is no question of sitting late today. If we are sitting tomorrow, what is the use of sitting late today ? From the side of the opposition we give an assurance that the Bill will be completed tomorrow There is no doubt about that.

THE DEPUTY CHAIRMAN You may give an assurance but we must do a little more work today.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) This is not the only Bill we have to pass There is another Bill. What I would submit to the House is that we sit a little longer, say, up to 6 or 6 30, try to finish the first reading and then take up the rest of the things tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN . I do not see the point on this side They are so earnest about all business, official and non-official and unofficial But why should

you not sit for an hour and a half today ? I will take the opinion of the House.

SOME HON MEMBERS . We do not want opinion.

SHRI BHUPESH GUPTA We leave it to the Chair

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Bhupesh Gupta has left it to the Chair. So the Chair will decide. Mr. Rajnarain, you have to speak today

श्री राजनारायण माननीया, जब आप सुने तो मैं बोलू । जब आप वहाँ बात करेगी तो मैं किसीको सुनाऊंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN You should not object to little things like that When I called you, you were also talking to somebody.

श्री राजनारायण . मेरा निवेदन यह है कि मैं किसको सुनाऊंगा, आप ही के द्वारा तो उन सब को सुनाना है ।

उपसभापति सुनाइये ।

श्री राजनारायण पंजाब रिआर्गेनाइजेशन बिल पर जब आपने मुझे बोलने के लिये आज्ञा प्रदान की है तो मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जरा ठीक से गम्भीरता के साथ हम सदन में बैठें और बैठ कर के इस पर विचार करें । हम केवल बोलने के लिये नहीं बोलने को खड़े हुये हैं । हम चाहते हैं कि समस्या को गहराई से पकड़ें और मुझे खुशी है कि इस समय हमारे माननीय नन्दा जी यहाँ पर विराजमान हैं ।

कुछ सवाल हम रखने जा रहे हैं । क्या इस पंजाब रिआर्गेनाइजेशन बिल के पीछे वही गलती की भावना नहीं है जिसे गलती की भावना को ले कर एक हिन्दुस्तान भारत और पाकिस्तान में बंट गया । पहला सवाल है । मैं चाहूंगा कि इस विधेयक पर बोलते समय सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के सभी सम्मानित सदस्य गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करें, हठी न बनें, जिद्दी न बनें और अगर इस विधेयक से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो इस विधेयक को वापस भी लेने की कृपा करें । धारिया गृहब जरा सुनिये, मैं फिर से इस वाक्य को दुहराऊंगा । क्या इस पंजाब रिआर्गेनाइजेशन बिल

[श्री राजनारायण]

के पीछे वही गलत भावना नहीं है, जिस भावना के वशीभूत हो कर भारत और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटा गया है। उस समय कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान बंट जायगा, तो हम तरक्की करेंगे, हिन्दू मुसलमान सलूक से रहेंगे, लेकिन मैं नन्दा जी को आपके जरिये साक्षी बनाना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद साढ़े सात लाख जाने गई हैं, डेढ़ करोड़ बे-घर-बार हुये हैं और जब एक जगह का काफिला दूसरी जगह गया है, तो आधा घंटा एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में हवाई जहाज को लग जाता था। क्या नहीं हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। सारी बातें हो गई। उसी भावना को आगे देखा जाय, आज पंजाब में क्या हुआ? नेहरू जी ने पंजाब का बंटवारा अपने जीवन काल में नहीं किया। यह एक काम नेहरू जी ने अच्छा किया। उस समय जो लोग नेहरू जी की तारीफ करते थे कि नेहरू जी ने अच्छा किया पंजाब का बंटवारा नहीं कबूल कर के, आज वही लोग इन्दिरा जी की तारीफ कर रहे हैं कि इन्दिरा जी ने बड़ा अच्छा किया बंटवारा करके। मेरी बुद्धि तो समझने में असफल हो गई है कि हमने बुद्धि गिरवी रख दी है। क्या हमारी खोपड़ी में अकल नहीं रह गई है।

अब दूसरा सवाल सोचा जाए। आज मैंने ध्यान आकर्षण का नोटिस दिया था, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष का ध्यान आज अखबारों में निकला है उन्होंने केन्द्रीय सरकार को भर्त्सना की है जो संत फतहसिंह को प्रधान मंत्री ने आश्वामन दिया था उस आशवासन को पूर्ति इस मौजूदा विधेयक से नहीं हो रही है, यह कालिंग अटेंशन हमने दे रखा था लेकिन चूकि चेयर के पास इतना समय नहीं था कि आज हो सके इसलिए आज चर्चा नहीं हो पाई, शायद कल आप इजाजत दे दें। मैं जानना चाहता हूँ और जो अकाली दल की ओर से बोले थे उनसे जानना चाहता था कि वह आखिर बताये कि पंजाब को क्या

मिला, जिस ढंग से आज पंजाब सूबे का गठन हो रहा है उससे उस पंजाब को क्या मिल रहा है उद्योग मिल रहा है? शिक्षा विद्यालय मिल रहा है, यातायात मिल रहा है, भाखड़ा नंगल मिल रहा है जिसकी एक मर्तबा नेहरू जी ने तीर्थ स्थल का नाम दिया था कि अब हमारा तीर्थ स्थल भाखड़ा नंगल होगा, क्या मिल रहा है? जो कुछ भी अच्छी चीज़ थी पंजाब के सूबे में, उससे आज जो पंजाबी के नाम से सूबा गठित होगा, वह अलग होगा। फिर मैं अपने सिख भाइयों से जानना चाहता हूँ कि क्यों वह पंजाबी सूबे के लिये मर रहे हैं? अगर आज यहां पर इस वाक्य को नहीं कहूंगा, तो मैं अपने वर्तव्य का पालन नहीं करूंगा कि आज जो लोग पंजाबी सूबा बनाने के लिये लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं की संतानें उन्हें कोसेंगी, उनके नाम पर आंसू बहायेंगी कि हमारी मां ने, हमारे बाप ने, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने जिस ढंग से पंजाब सूबे का गठन करवा दिया, उससे उन्होंने हमारी सारी तावत को हमारे हाथ से छिनवा दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी सोचें, बैठकर के सोचें, जिम्मेदारी के साथ सोचें कि जिस ढंग पर पंजाब और हरियाणा सूबों का गठन हो रहा है, उससे झगड़ा खत्म नहीं होगा। हमने कई वक्ताओं को सुना, उन वक्ताओं ने कहा है कि जिस ढंग से पंजाब बन रहा है, जो आज चंडीगढ़ की स्थिति है, जो हिस्से आज हिमाचल प्रदेश को दिये जा रहे हैं, वह इस ढंग से किया जा रहा है कि वहां पर कम्युनल टेंशन हो। हमने डा० गोपाल सिंह को सुना, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके भाषण से भी यही आवाज आई, हमारे सम्मानित सदस्य जो अकाली दल की ओर से बोले, जिन्होंने नन्दा जी को न्यौता दिया, जिन्होंने नन्दा जी को जिताने के लिये गारंटी करी, उनको भी हमने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि जिस ढंग से गठन हो रहा है, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, झगड़ा बढ़ेगा। तो क्या नन्दा जी इस सावल का

जवाब देंगे, सरकारी पक्ष के लोग भी सोचें कि हम गठित पंजाब का विभाजन कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब में झगड़ा बढ़ाने के लिये ! अगर इससे झगड़ा बढ़ रहा हो तो It is never too late to mend दिन का भूला भटकना अगर शाम को भी घर आ जाय, तो यह कोई बुरा नहीं है। मैं आज भी नन्दा जी से कहना चाहूंगा और दूसरे लोगों से कहना चाहूंगा कि अब भी घर वापस आ जाओ कोई गुनाह नहीं है, जो अनर्थ होने वाला है, उस अनर्थ को होने से रोक लो। मैं आगे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्यों ! मैं फिर डा० गोपाल सिंह से कहूंगा कि आखिर इनकी जानकारी किस दिन काम आयेगी। महाभारत की गलती मत दुहराओ, भीष्म पितामह बैठे रह गये और द्रोपदी के चीर का हरण हो गया, अनर्थ हो गया, वह भीष्म मत बनो, इस समय भारत माता की चीर का हरण हो रहा है और मैंने पहली बार यह कहा था कि भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता की जबान काट ली और मौजूदा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत माता का सिर काट लिया, वह स्थिति पैदा हो रही है। सत्ता, सत्य और शक्ति इन तीन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। सत्य, सत्ता और शक्ति . . .

अरे श्री पंजहजारी जी, हमारी आदत नहीं है कि आप चेयर के पास बात करें और मैं बोलू। हम समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। यह क्या तारीका है, यहां आना वहां आना ? यह तो मालूम होता है कि जैसे हमने कोई पेशा कर रखा है कि कुछ न कुछ बोलते रहें।

SHRI R. S. DOOGAR : (West Bengal): You should not object to it. We generally go to the Chair. This has been the practice.

SHRI RAJNARAIN : We are discussing an important point here.

SHRI R. S. DOOGAR : Even those members can walk up to the Chair.

SHRI RAJNARAIN : No, you cannot go

aksar.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जरा इसको ठीक से सोचा जाय। बहुत से लोगों ने कहा कि भाषावार प्रान्त बन गया, बहुत अच्छा हुआ, भाषावार प्रान्त बनाने की बात सब से पहले गांधी जी ने की 1920 ई० में। गांधी ने जब की थी, तो नन्दा जी को याद होगा कि 1920 में भाषाई प्रान्त की रचना की शुरुआत की और इसको राष्ट्रीय आन्दोलन का गांधी जी ने अंग बनाया, तो उनके दिमाग में एक बात थी कि इसी देश की एक भाषा सारे राष्ट्र की एक भाषा होगी। क्या गांधी जी का यह सपना मौजूदा सरकार पूरा कर रही है ? फिर क्यों गांधी जी का नाम यह सरकार लेती है ? गांधी जी का यह सपना पूरा नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ : क्या यह लंदन बन रहा है, वॉशिंगटन बन रहा है, मास्को बन रहा है ? विभिन्न भाषाएं हैं, मगर एक भाषा भी है सारे देश की एक भाषा है। मगर भारतवर्ष ही अजीब चूँ चूँ का मुरब्बा बना दिया गया है, मौजूदा हुकूमत के जरिये। यहां आज भी अंग्रेजी चली जा रही है। भाषावार प्रान्त बन रहा है, तो भाषावार प्रान्त में केन्द्र की भाषा अंग्रेजी चल रही है, आज दिल्ली को लंदन बना रहे हैं। नन्दा जी का यह किसी मुल्क के लिये वफादारी का सबूत है ? यह वफादारी का सबूत, मैं चाहता हूँ सदन के सम्मानित सदस्यों से और विशेषकर जिम्मेदारी उनकी है, जो बहुमत में है, जो सरकार के पक्ष में है कि इसकी गंभीरता में जाये। फिर वह गलती न हो, जो पन्द्रह अगस्त, 1947 को हुई या जो 14-15 जून, 1947 को हुई। दिल्ली अधिवेशन में जब हिन्दुस्तान के बंटवारे का मसविदा मंजूर किया गया था, माननीया, वह हमारे कान में बराबर खटवता रहा, जिसमें पुरानी कांग्रेस ने, गांधी जी की कांग्रेस ने वायदा किया था कि प्रस्तुत जोश ठंडा हो जाने पर दो राष्ट्र की भावना त्याग दी जायगी और भारत और पाकिस्तान को एक बना लेंगे। वह वाक्य हमें खटकते रहते हैं। हमारे

[श्री राजनारायण]

हिन्दुस्तान को समुद्र, पहाड़ और अन्य भौगोलिक स्थितियों ने एक बनाया है, दुनिया की कोई इन्सानी ताकत इस भौगोलिक स्थिति को बदल नहीं सकती, मगर जहाँ इन्सानी ताकत ने नहीं बदला, वहाँ हँवानी दिमाग ने बदल दिया। इसीलिये मैंने तीन शब्द इस्तेमाल किये : सत्ता, शक्ति और सत्य। हमारे पास सत्य है। आज नन्दा जी के पास सत्ता है, तो हमारे पास सत्य है। मगर हमारा सत्य जो है वह शक्तिहीन है। तो ताकत से अलग, शक्ति विहीन सत्य ताकतवर झूठे से भी कमजोर है। आज राजनारायण का शक्तिविहीन सत्य नन्दा जी के ताकत वाले झूठे के सामने मात खा रहा है। मगर नन्दा जी के पास सत्य नहीं है, राजनारायण के पास सत्य है। मगर राजनारायण के पास सत्ता भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। शक्ति भी नहीं है हमारे पास, अगर हमारे पास शक्ति होती तो मैं जिस ढंग से आज पंजाब का बंटवारा हो रहा है, शक्ति से मैं उसे रोक देता। यह सरकार, यह सत्ता, शक्ति के सामने झुकती है।

श्री येल्ला रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : अर्थ के सामने भी झुकती है।

श्री राजनारायण : हाँ। यह बड़ा भारी विवाद खड़ा कर दिया। माननीया, आप ज़रा दिलचस्पी ले लें इसमें। मैं अब भी कहने के लिये तैयार हूँ कि रावण सत्य था या राम सत्य था। कहा जाता है सत्य की विजय होती है। गांधी जी को देखिये। जिसकी विजय होती है वह सत्य हो जाता है। इस वाक्य को ज़रा नन्दा जी ठीक समझिये : सत्य की ही विजय नहीं होती, जिमकी विजय हुई वह सत्य हो जाता है। डा० गोपाल सिंह से मैं कहना चाहता हूँ, श्री अनूप सिंह से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार शक्ति के सामने झुकती है, तो शक्ति पैदा करें। कितना जबर्दस्त इस सरकार ने पाप किया? एक शक्ति के सामने झुक गई। श्री रामुल्लू को ले लीजिए। क्या इस सरकार ने आंध्र प्रदेश अपनी इच्छा से बनाया? अगर

भाषावार प्रान्त का बनना अच्छा है और सरकार दिल और दिमाग से अच्छा समझती है, तो पंजाब में यह खूनखराबी होने के पहले बना देती, तब तो मैं कहता ठीक है। लेकिन सरकार झूठी शक्ति के सामने झुक गई। 18-10-52 को श्री रामुल्लू साहब ने भूख हड़ताल किया, आंध्र प्रदेश के निर्माण के संबंध में और 58 दिन के अनशन के बाद 15-12-52 को श्री रामुल्लू साहब की मृत्यु हुई। अट्ठावन दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल किया। उस भूख हड़ताल के दौरान मैं क्या ग़ज़ब नहीं हुआ? कहां आपकी इन्सानियत थी, वहां आपकी मानवता थी, तानाशाही तांडव नृत्य कर रही थी, शैतान नाच रहा था, स्टेशन जला दिये गये, तार काट दिये गये, विजयवाड़ा खाक हो गया, सारी बातें हो गईं। जब श्री रामुल्लू की जिदगी सरकार ने ले ली तब आंध्र बना। सोचें ज़रा नन्दा जी, सोचें ज़रा गहराई से उसको और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा कहना था कि हैदराबाद को अलग रख के निजामशाही को खत्म करो। अगर निजामशाही खत्म हो गई होती तो हैदराबाद एक यूनिटरी स्टेट रह गया होता, फिर क्या आज हैदराबाद हम को मौन व्याख्यान देता कि हमें क्या करना है? पांच भाषाएं वहां होती और पांच भाषाओं का एक राज्य होता। माननीया, आप जानती हैं कि हैदराबाद में कन्नड़ भी रही है, हैदराबाद में मराठी भी रही है, हैदराबाद में तेलगू भी रही है, हैदराबाद में हिन्दी-उर्दू भी रही है। ज़रा इसको हाथी साहब सोचें कि मौन व्याख्यान हैदराबाद देता रहता कि भाषा के सवाल पर राज्य गठित करने की सजिश नहीं होनी चाहिए। क्या यह पंजाब का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो रहा है? नन्दा जी को मालूम होना चाहिये कि जो सत्ता और शक्ति सत्य विहीन होती है वह रावण होता है, जो सत्ता सत्य सहित होती है, वह राम होता है। जो सत्ता शक्ति के सामने झुकती है, वह पाजी होती है।

SHRI AKBAR ALI KHAN: So far as

Hyderabad is concerned, till the last minute, the Prime Minister said in the House as well as in public that he does not want to disintegrate. But the forces, linguistic forces, were, I believe, so strong in Hyderabad—from Maharashtra, from Telangana, from Karnatak—that they wanted a linguistic division. So, in response to the public demand, the Government yielded. That is the real fact.

श्री राजनारायण : यानी, हमारे खान साहब ने हमारी कितनी मदद कर दी। यही तो मैं कह रहा था कि सरकार तावत के सामने झुक गई, वह चाहे कम्यूनल तावत रही है।

एक माननीय सदस्य : चाहे लैंग्वेज की तावत रही हो।

श्री राजनारायण : हर्गिज नहीं। मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। भाषा-वार क्या है? बिहार की भाषा एक है, उत्तर प्रदेश की भाषा एक है, मध्य प्रदेश की भाषा एक है, राजस्थान की भाषा एक है। अगर भाषावार प्रान्त बनाते हो, तो इन्टीग्रेट करो चारों तरफ से। इसका क्या नाम लेते हो बेकार—भाषा, भाषा, भाषा। मेरा कहना है, इन बात को भी सुन लो ईमानदारी के साथ, आज जिस तरह पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा जा रहा है हिमाचल में, तो कोई भी सदस्य यहां खड़े होकर कह दे ईमानदारी से कि क्या यह भाषा की बुनियाद पर बंटवारा हो रहा है? मैं अपनी बात की गवाही में खड़ा करना चाहता हूँ, डा० गोपाल सिंह यह कह दें, दीवान चमनलाल यह कह दें या कोई कांग्रेसी खड़े होकर कह दे कि क्या सही मानी में भाषा की बुनियाद है। भाषा की बुनियाद नहीं है। यहाँ पर तो यह स्थिति रही है कि जो हिन्दू और सिख में परस्पर प्रेम था, सौहार्द था, एक दूसरे के लिये मोहब्बत थी। आज जिस रूप में यह सरकार पंजाब और हरियाणा का बंटवारा करने जा रही है, मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं और सिखों के बीच में यह सरकार वह जबर्दस्त दीवार खड़ी करने जा रही है कि पता नहीं

इसका क्या होने वाला है? क्या डा० गोपाल सिंह जी, मैं सही नहीं कह रहा हूँ? कह रहे हैं डाक्टर साहब। “यू आर जस्ट” माननीय देख लीजिए। आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है? है। मैं आपके जरिये डा० गोपाल सिंह से अपील करूंगा कि एक जमाना रहा होगा—चमनलाल जी अंग्रेजों की गोली से नहीं डरे हैं, तो काहे को नन्दा की बोली से डर रहे हो? खुल कर कहो ‘यह न करो’, यह जुल्म कर रहे हैं, हिन्दू और सिखों में आपसी तनाव पैदा हो जायेगी और भावी पीढ़ी कलंकित करेगी आपको। माननीय...

उपसभापति : आपने 20 मिनट ले लिये हैं।

श्री राजनारायण : तो और दे दीजिए। हम कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, सदन के समय का, माननीया।

5P. M.

उपसभापति : अब आप खतम कीजिये।

श्री राजनारायण : अच्छा यह क्यों हो रहा है।

उपसभापति : आपने 20 मिनट ले लिये हैं।

श्री राजनारायण : यह क्यों हो रहा है? यह तो वही ताकत का बटवारा हो रहा है। अगर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक साधु सुझाव को श्री नन्दा जी मान लें, चोखम्बा राज्य बनाये “फोर पिलर्स आफ दी स्टेट” बनाये जायें। गांव पंचायत बनाई जायें, जिला पंचायत, राज्य पंचायत और देश पंचायत। गांव के लिए शिक्षा, रोशनी, सफाई के (Interruption) श्री महावीर प्रसाद की बुद्धि जरा ठोस है। दो पीलर आफ दी स्टेट है, चार पीलर्स आफ स्टेट्स नहीं है। एक केन्द्र का है और एक राज्य का। मैं कहता हूँ कि इसे चार पीलर कहा जाय। विलेज पंचायत, गांव पंचायत को शिक्षा दे दो, सफाई दें दो, रोशनी का काम दें दें और इससे संबंधित जो जो विकास की योजनाएं हैं वे दे दो। जिले पैमाने पर जिले पैमाने की चीजें दे दो और जितनी इन्कम है, उस सारी इन्कम को चार बराबर खाते में बांट दो। गांव की सारी योजनाएं गांव के मातहत हों,

[श्री राजनारायण]

जिले की जिले में और सूबों की सूबों में और केन्द्र का केन्द्र के हाथ में रहे। केन्द्र के हाथ में एक विदेशी मामला रहे। प्रान्तों का अन्तर-प्रान्तीय मामला रहे, मुद्रण रहे, सुरक्षा और फौज रहे। नन्दा जी को यह बात समझ लेनी चाहिये और मैं आपके जरिये नन्दा जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हो जायेगा, तो आज दिल्ली में नन्दा जी को हटाकर अगर पाटिल साहब आये, इन्दिरा जी को हटाकर मोरारजी आयें, इस तरह के जो झगड़े हैं, वे सब खत्म हो जायेंगे; क्योंकि जब गांव पंचायत के पास पैसा चला जायेगा, तो जिम्मेदार लोग ही गांव में पहुँचने लगेंगे। जो कांस्ट्रक्टिव लोग हैं वह जिला पंचायत में रहेंगे और लखनऊ, पटना और दिल्ली के सारे झगड़े खत्म हो जायेंगे। काश वह शक्ति हमारे पास होती। ऐसा संयत साधु सुझाव को मानने के लिए मैं अपने बुजुर्ग साथी श्री नन्दा जी से निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह ताकत हमारे पास नहीं है। तो धन नहीं बढ़ा, देश के लिए भुखमरी, अकाल बढ़ा। जैसा मैं कहा करता हूं कि कांग्रेस राज के माने अकाल राज है, कांग्रेस राज के माने भुखमरी है, कांग्रेस राज के माने बेकारी है, तो किस का बंटवारा होगा? अकाल का बंटवारा होगा? अकाल का बंटवारा नन्दा जी नहीं करना चाहेंगे। अकाल के लिए राजनारायण को छोड़ देगे और नन्दा जी दिल्ली में रहेंगे। तो यह बंटवारा क्या होने लगा है? जो है उसको बांटो। पंजाब में जो है, उसको बांट दो, सिखों को इधर ले लो और वे उधर लड़ें। तो यह जो बंटवारे की स्थिति पैदा हो गई है और इन 20 सालों में कांग्रेस शासन ने हमारे देश को चतुर्दिक तबाह किया और इस तरह से हमारे देश का विकास अवरुद्ध कर दिया, गति को रोक दिया, धारा को रोक दिया। यही कारण है कि आज इस तरह की सारी खुराफाते हो रही हैं। मैं श्री अनूप सिंह और डा० गोपाल सिंह से फिर अनुरोध

करूंगा और विशेषतः आपके जरिये श्री चागला साहब से, जो कि इस सदन के नेता हैं, क्योंकि वह एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उनके ही ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिमाग बनाने की। जहां तक घर सुधारने की जिम्मेदारी है, वह नन्दा जी की है और जहां तक दिमाग बनाने की जिम्मेदारी है वह चागला साहब की है। मैं कहना चाहता हूँ कि श्री रामसिंह जी सीचें और आज हिन्दू और सिख, दोनों से ही मैं अपील करूंगा कि वे जरा गहराई से सोचें कि क्या हिन्दू और सिख दो अलग अलग रहे थे या एक होकर रहे थे? आज जो सिख हैं, वे गुरु नानक को याद करें। सिख सम्प्रदाय क्यों बना? सिख सम्प्रदाय इसलिये बना; क्योंकि हिन्दू सम्प्रदाय में दोष आ गये थे और हिन्दू सम्प्रदाय की तरक्की रुक गई थी और उसमें अनेक प्रकार की कटुता पैदा हो गई थी। चमार और ब्राह्मण में कटुता पैदा हो गई थी, ब्राह्मण, ठाकुर और बनियो में आपस में ही कटुता पैदा हो गई थी और जात पात का कोढ़ पैदा हो गया था। उस समय लोग एक दूसरे का हक लेने के लिए हावी हो रहे थे। इस कटुता को देखते हुए, इस खराबी को देखते हुए एक संत पैदा हुआ, जिसका नाम गुरु नानक था, जिसने यह धारा चलाई कि इन्सान और इन्सान एक हैं। मुझे यहां पर कबीर का एक दोहा याद आ गया है, जो इस प्रकार है "नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझै पंडित जानी"। एक नारी और एक पुरुष से संभोग से सारे मानव की सृष्टि होती है और उसमें जात-पात का कोई भेद नहीं होता है। सारे मानव का जन्म एक ढग से होता है। मनुष्य को मनुष्य पैदा करता है, चाहे एक हिन्दू हो, चाहे एक सिख हो। एक स्त्री हो और एक पुरुष हो, जहां पर संभोग होगा गर्भ रहेगा, तो बच्चे पैदा होंगे। हाथी, घोड़ा या बन्दर पैदा नहीं होंगे। एक भारतीय हो या एक यूरोपीय हो, तो वे विश्व बन्धुत्व की ओर जाते हैं, जिसका उपदेश गौतम ने दिया था। अगर एक यूरोपीय होगा और एक भारतीय होगा और मर्द

और औरत में संभोग होगा, तो जो बच्चे होंगे वे इन्सान बनेंगे। आज इस इन्सान की बहती धारा में जिस धारा को गांधी जी ने चलाया है, उस धारा को नन्दा जी चौपट कर रहे हैं और उस धारा को रोक रहे हैं। जो कुछ हमारे मुल्क में अच्छाइयां थीं, उन अच्छाइयों को खत्म कर रहे हैं। आखिर पंजाब का बंटवारा इस ढंग से, इस बेहूदा ढंग से, गलत ढंग से किया गया है कि इस की धारा को जहरीला बनाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज सरकारी पक्ष के लोगों को कि वे अपने दिमाग को टटोलें और अपने दिमाग को टैक्स करें। (*Interruption*) मैं आपिके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के लोगों से, मुख्यतः श्री चागला साहब से जो कि हमारी बात सुनते नहीं हैं; क्योंकि उन्हें राजनारायण का फोबिया हो गया है और वे राजनारायण की बात को सुनना पसन्द नहीं करेंगे। इसमें सबसे बड़ा दोष मैं चागला साहब का मानता हूं कि उन्होंने दिमाग बनाने के ऊपर जो जाला लगा दिया है, जो कोढ़ लगा दिया है, हिन्दू मुसलमान का जो कोढ़ लगा दिया है, ब्राह्मण, वनिये का जो कोढ़ लगा दिया है, सिख और हिन्दू का जो कोढ़ लगा दिया है, इससे सारी मानवता के अलगाव का कोढ़ लग गया है। इस कोढ़ को साफ करने के लिए, इस जाल को काटने के लिए, शिक्षा विभाग ने कतई कोई काम नहीं किया है और शिक्षा विभाग इस काम के कतई नाकाम और फेल रहा है। तो इसका नतीजा मुझे यह मालूम पड़ता है कि चाहे नन्दा जी मेरठ जायें, चाहे बनारस जायें।

उपसभापति : आपने 40 मिनट ले लिये हैं, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राजनारायण : अब आप ही देखिये मैं आपके दिल को दुखा नहीं सकता हूं। मैं आपके दिल को कभी दुखाना नहीं चाहता हूं। मगर आपकी भावना का सम्मान करता हूं, हुक्म का नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी लोग अपनी इच्छा के विपरीत हुक्म दे देते हैं। अगर

आपकी भावना है, तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपसभापति : नहीं, नहीं, कहिये और समाप्त कीजिये।

श्री राजनारायण : मैं पुनः यह निवेदन कर रहा हूं कि जो गड़बड़ पैदा करता है, जो ताकतवर है उसी के आगे यह सरकार झुकती है और इसने हमेशा अपने को झुकाया है, उस ताकत के सामने, चाहे वह ताकत पंचाब वालों की हो, चाहे पाकिस्तान वालों की, आन्ध्र वालों की हो, इस सरकार ने ताकत के सामने अपने को झुकाया और इस तरह से मुल्क के बंटवारे की साजिश हो रही है। जिस ढंग से यहां पर पिछले मर्तबे कांस्टीट्यूशन में संशोधन आया था, उस समय मैंने उसका विरोध किया था और कहा था कि सरकार अपने हाथ में एक जबदस्त ताकत ले रही है। मेरा सवाल है कि नन्दा जी को यूनियन टैरिटरी का इतना लालच क्यों है। श्री नन्दा जी को याद रखना चाहिये कि वे हमेशा होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। नन्दा जी आज ऐसा तिगड़म कर रहे हैं कि सारी यूनियन टैरिटरीज की सीमा बढ़ती चली जाय। आज हिमाचल प्रदेश में जो हिस्सा हरियाना का कट कर के जायेगा, जो हिस्सा पंजाब का कट कर के जायेगा और जो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, वह नन्दा जी की मुट्ठी में है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हर नुकते नज़र से, हर ऐंगिल आफ विज़न से, हर दृष्टिकोण से देखा जाय, तो जिस तरीके पर आज पंजाब और हरियाना बनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश बनाया जा रहा है, जो केन्द्र अपने हाथ में ज्यादा ज्यादा ताकत ले रहा है, उससे आगे के लिये स्थिति खराब होगी।

आपकी आज्ञा से मैं एक सवाल पूछ कर बैठ जाऊंगा। नन्दा जी अक्सर हम लोगों को लेक्चर देते हैं। वे हमारे बुजुर्ग हैं और हम उन की इज्जत करते हैं। यह भी मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी इज्जत नन्दा जी की करता हूं, उतनी आपकी प्रधान मंत्री की भी नहीं करता, खूब दिल खोल कर कहता हूं कि नहीं करता।

श्री गुलजारीलाल नन्दा : क्योंकि मैं यहां

[श्री गुलजारी लाल नन्दा]

पर बैठा हूँ।

श्री राजनारायण : जो तोहि निदरहि बिप्र यदि सत्य कहौं मुनिनाथ, तो जग मंह अस सुभट को भय बस नावहि माथ। मैं भय से किसी को माथा नहीं नवा सकता और न किसी की तारीफ कर सकता हूँ किसी मालच से। उससे नन्दा जी हमें क्या देंगे और नन्दा जी के पास देने को कुछ है नहीं। इस सरकार को अगर हम हरा सकते हैं, तो ईमानदारी के रास्ते पर चल कर हरा सकते हैं; क्योंकि बेईमानी और तिकड़म में तो यह सरकार हम से बहुत आगे है।

उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राजनारायण : आपकी आज्ञा से एक सवाल और पूछ लूँ कि यह सत्ता का केन्द्रीकरण है या विकेन्द्रीकरण है।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : डिप्टी चेयरमैन साहेब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे राजनारायण जी के बाद बोलने का मौका दिया। माननीय राजनारायण जी की स्पीच सुनने के बाद दिमाग में यह असर आ रहा था कि यह सोशललिस्ट नेता बोल रहे हैं या जनसंघ के नेता बोल रहे हैं। इनकी भाषा में और जनसंघ की भाषा में ज्यादा अन्तर नहीं था, शायद इसलिये कि इनका इलेक्शन में कोई पैक्ट होने जा रहा है और वह थोड़ा सा कनवर्ट हो गये हैं, जनसंघ को खुश करने के लिये। पंजाब के ऊपर तोहमतें लगाने के लिये राजनारायण जी ने अभी अपनी स्पीच में यह कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक गलती की थी। जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बना और आज कांग्रेस की सरकार दूसरी गलती करने जा रही है। माननीय राजनारायण जी को मालूम होना चाहिये कि सिख उतने ही देश भक्त होते हैं, जितने कि कोई और। सिख कभी भी इस तरीके से नहीं सोचता कि उनको पंजाब का सूबा एक अलग मुल्क बनाना है। सिखों ने हमेशा यह सोचा कि जिस हिन्दुस्तान में आन्ध्र और दूसरे सूबे बोली के आधार पर बने हुये

हैं, उसी तरह से पंजाब भी हिन्दुस्तान की बोली के आधार पर एक हिस्सा होगा। माननीय राजनारायण जी को यह भी मालूम होना चाहिये कि हिन्दुस्तान में जब भी झगड़े हुये, चाहे चाइना का झगड़ा हो, चाहे पाकिस्तान का झगड़ा हो, सिखों ने सबसे ज्यादा हिम्मत से हिन्दुस्तान की आजादी के लिये कुरबानियाँ कीं।

श्री राजनारायण : मैं भी सिख हूँ।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : जरा आप सुनिये। यही नहीं, पंजाब के हर शहरी ने, चाहे कोई हिन्दू था, चाहे कोई सिख था। उस वक्त लड़ाई में सबसे ज्यादा फौजों की मदद की और पाकिस्तान की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुरबानियाँ कीं। आज राजनारायण जी यह कह रहे हैं कि पंजाब को अगर बांट दिया जायेगा, तो यह दूसरी गलती होगी। माननीय राजनारायण जी ने यह कह तो दिया कि भारत माता का चीरहरण हो रहा है पर क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि पंजाबी सूबा बने तो चीरहरण किया जाएगा, लेकिन किसी से रुपया ले कर के कांग्रेस सरकार को हराने के लिये प्रोपेगंडा करना और हिन्दुस्तान को कमजोर करना, यह कहाँ तक ठीक है? अमेरिका या किसी सरकार से रुपया ले कर के उनके असूलों पर नाचना, यह तो बड़े से बड़ा चीरहरण होगा या कोई दूसरी चीज होगी? इसलिये मैं यह अजुँ करूँगा कि वे अपने गरेबान में

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : आप यहां किस चीज पर बोल रहे हैं?

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : उसी चीज पर जिस पर आप लोग बोले। जिस पर वे बोले उसी पर बोल रहा हूँ।

मैडम् डिप्टी चेयरमैन, मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि जो पंजाब का सूबा बना उसमें कुछ लूटियाँ हैं, लेकिन पंजाब उसी तरह हिन्दुस्तान की सेवा करेगा जैसे कि पहले मुसलमानों के हमले से ले कर आज तक करता आया है। अब भी पंजाब के लोग यह करेंगे कि जो हिन्दुस्तान की तरफ आंख दिखायेगा, उसकी आंख निकाल लेंगे, जो हिन्दुस्तान

की तरफ हाथ उठायेगा, उसका हाथ तोड़ दंगे और आजादी की हिफाजत में वह किसी सूबे से पीछे नहीं रहेगा। बहरहाल यह मैंने राजनारायण जी को जबाब दिया।

मुझे खुशी है कि नन्दा जी ने मुत्क के हालात को समझते हुये लोगों के दिलों की जो स्वाहिश थी, उसको पूरा किया और इसके लिये मैं नन्दा जी को मुबारकबाद देता हूँ। नन्दा जी प्रेम से लोगों को अपने साथ किये हुये हैं। मैं यह भी कहूँगा कि यह नन्दा जी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि उन्होंने आपको जेल में नहीं डाला। अगर वे जेल में डालते तो उससे देश का बहुत ज्यादा कल्याण होता। लेकिन नन्दा जी की नर्म नीति की वजह से आज यह सब हो रहा है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि नन्दा जी को जरा स्ट्रिक्ट होना चाहिये। (Interruption)

श्री राजनारायण : हमें कत्ल करवा दीजिये।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : आखिर मैं मैं आपसे यह अर्ज करूँगा कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने लोक सभा में 30 अगस्त, 1961 में एक भाषण में यह कहा था :

"Unfortunately, an agitation was carried on before the last General Election among these people to declare in the Census that their language was Hindi and not Punjabi, although they speak Punjabi in their homes. I do not know what was the purpose of it, but it was not a truthful statement, and it did a lot of harm."

हमारे महबूब नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था।

1951 में जो यहां मर्दमशुमारी हो रही थी और उस वक्त जो मर्दमशुमारी के इन्वार्ज थे, उन्होंने भी कहा था कि जिनकी मातृभाषा पंजाबी है, उन्होंने भी अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखाई है। हमारी सरकार ने उसी बेसिस पर कमीशन अप्वाइन्ट किया और उस कमीशन ने फैसला किया कि कुछ इलाके हरियाना में चले जायें और कुछ इलाके पंजाबी सूबे में रहने चाहियें। मैं तो कहता हूँ कि अगर हिन्दी स्पीकिंग एरिया के इलाके अब भी पंजाब के अन्दर कोई हों, तो उनके इलाके हरियाने

में जाने चाहिएं और अगर कोई पंजाबी स्पीकिंग एरिया हिन्दी स्पीकिंग एरिया में हो, तो उनको हमारे इलाके में दे देना चाहिये। मैं उम्मीद करूँगा कि जो पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट होंगी, वे आपस में फैसला कर लेंगी कि किस तरह से क्या करना है? लेकिन एक चीज देख कर के मुझे हैरानी हुई और वह है चंडीगढ़। पंडित जी कहा करते थे कि पंजाब को हमने एक सिर दिया है। आज पंडित जी की सुपुत्री, प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा जी और उनके बड़े जानशीन नन्दा जी, जिनके हाथ में बागडोर है, वे पंजाब बिना सिर का दे रहे हैं। नन्दा जी ने जो कामन लिक्स रखे, उनको मैं वैलकम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कुछ अर्से के बाद नन्दा जी की तजर्वाज इस तरह की होगी कि चंडीगढ़ फिर जरूर पंजाब को वापस मिल जायेगा और पंजाब को मिलने के साथ ही यह मुबम्मल तौर पर पंजाब बनेगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कामन लिक्स आपने रखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, भाखरा नंगल और इस किस्म की चीजें, इस सिलसिले में मुझे एक मिसाल याद आ रही है। एक जगह देहात में दो तीन दोस्त बैठ गये। एक ने कहा कि चाय पी जाय। उस पर किसी ने कहा कि तुम लकड़ी लाओ किसी को कहा कि तुम चाय और दूध लाओ, किसी को कहा कि तुम चीनी लाओ। तब एक आदमी ओर अपने को पार्टनर कहने लगा। उससे पूछा कि तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मेरे पास चम्मच है मिलाने के लिये। उसी तरह से सब सामान दिया पंजाब ने और हरियाना ने और चमचा हिलाया नन्दा जी ने और सारा कब्जा उन्होंने ले लिया।

जो हुआ, हमारा इन्होंने सारा ले लिया। सारे आफीसर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के वहां से जायेंगे। बजाय इसके आज पंजाबी सूबा और हरियाना प्रान्त बनता, वे होम मिनिस्ट्री की कालोनी बन कर रह गए हैं। जितने आफीसर होम मिनिस्ट्री के होंगे, जिनकी

[सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी]

होम मिनिस्ट्री चाहेगी, वे वहां जाएंगे और राज्य करेंगे। हमारे सारे मामले का सफाया होने जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा नन्दा जी से कि इस पर भी तवज्जह करेंगे।

आगे चल कर कालका का मामला ले लीजिए। जो शिमला जाते हैं, हमेशा समझते हैं कि कालका शिमला के नजदीक है। कालका में हरियाना की पुलिस रहेगी, बीच में पंजाब की और चंडीगढ़ में नन्दा जी की। यह कहां की बात है। आप एक स्टेट बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तो फिर लाजिमी है कि कालका हिमाचल प्रदेश को देना चाहिए। उसूलन देना तो हमें चाहिए था, अगर हमें नहीं देते तो जरूरी तौर पर हिमाचल प्रदेश को देना चाहिए था ताकि उनका व्यापार उस स्टेशन के जरिए और ज्यादा चलता।

इसके साथ-साथ मैं अर्ज करना चाहता था नन्दा जी से कि भाखड़ा आर्गेनाइजेशन जो है, हिन्दुस्तान का सबसे बेस्ट आर्गेनाइजेशन है। तीन आदमी भाखड़ा नंगल आर्गेनाइजेशन के वाटर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अब जो कालोनी बन गई, तो हमें डर है कि हमारे आदमियों को कहीं हटाएं नहीं। मिसाल के तौर पर साउथ वाले जिन्होंने इतना बड़ा बांध कभी बनाया न हो, न ही कोई बनाने का तजुर्बा हो, वे चीफ इंजीनियर बन गए, तो सिवाय इसके कि सत्यानाश हो जाय और कुछ नहीं होगा। मैं कैटोगोरिकल एश्योरेंस चाहता हूं नन्दा जी से कि जो आर्गेनाइजेशन है इस वक्त भाखड़ा में वह वैसा ही रहे। चेयरमैन कोई भी हो बोर्ड का, मेम्बर कोई भी हो लेकिन आर्गेनाइजेशन में कोई तबदौली नहीं होनी चाहिये। आर्गेनाइजेशन का सैट-अप वैसा ही रहना चाहिए जैसा है।

इसके साथ मैं एक और चीज अर्ज करना चाहता था। वह यह है कि हरियाना प्रान्त के लिए सिर्फ 54 मेम्बरों का हाउस बनाया। कांस्टिट्यूशन के मुताबिक 60 होना चाहिए। पता नहीं क्या हाल होगा,

उनकी असेम्बली रहेगी या नहीं (Interruption) सुप्रीम कोर्ट बनने देगा या नहीं, मैं नहीं जानता? तब तक नए जनरल इलेक्शन हो जायेंगे। यह तो आपने कर दिया। जो 16-17 मेम्बर कौंसिल के थे, उनको आपने अलग कर दिया। यह भी कर दिया कि पंजाब का एक जिला था शिमला, वहां से जो मेम्बर था कौंसिल का, उसको भी निकाल दिया, लेकिन नन्दा जी ने अपनी टेरीटरी को हाथ नहीं लगाया। अपने इलाके चंडीगढ़, जिसके एरिया से पार्लियामेंट का मेम्बर चुना जाना है, उस इलाके के मेम्बर को 1970 तक के लिए पंजाब कौंसिल का मेम्बर बना दिया गया। इससे ज्यादा ज्यादाती और क्या हो सकती है? मैं यह अर्ज करूंगा कि हरियाना के साथ ज्यादाती हुई है, पंजाब के साथ भी हुई है। हमें जो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वह कम हो गया, चंडीगढ़ को दे दिया।

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव : ज्यादाती हरियाना के साथ हुई है।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : पंजाब के साथ भी हुई। अगर आपने उसूल बनाया कि राज्य सभा के मेम्बर जो एक दफा इलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए लाटरी डाली जायगी, हरियाना के लिए और पंजाब लिए। अगर यही तरीका पंजाब कौंसिल के लिए भी रख देते, तो मैं समझता हूं कि बाई प्रासेस आफ एलीमिनेशन दो-चार बरस में हरियाना प्रान्त के मेम्बर हट जाते और हमारी बिरादरी रहती, इत्तिफाक रहता, आपस में बैठकर फैसले करते, कामन लिक्स रहते। उससे काम चलता। मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ और तवज्जह देगे।

इसके साथ-साथ मैं यह अर्ज करना चाहता था कि नन्दा जी एक दफा फिर देखें कि पंजाब का जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया हरियाने के अन्दर आ गया है, उसे पंजाबी सूबे को दे दिया जाय और पंजाब से हिन्दी स्पीकिंग एरिया हरियाना को दे दिया जाय। हमें कोई एतराज नहीं होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह अर्ज करूंगा और इस बारे में मैं अपने और भाइयों से सहमत हूँ—आपने यह फैसला किया कि नवम्बर में असेम्बली फक्शन करेगी, होना चाहिए, खुशी की बात है। लेकिन वहाँ आपने गवर्नर को भेजा, उसने बड़ा अच्छा काम किया है और अच्छा काम यह किया कि उसने ब्लेक मार्केटिंग्स को पकड़ा। उससे लोगों की श्रद्धा बढ़ी कि सरकार ने कुछ किया। इस चीज को देख लीजिए। अगर उसका काम अच्छी तरह चलता हो, तो डेमोक्रेटिक सेट-अप जनरल इलेक्शन के बाद हो, तो मैं ममज्ञता हूँ कि इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। यह आपके देखने की बात है। मैं और ज्यादा अर्ज न करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

SHRI U. S. DUGAL (Punjab) : Madam Deputy Chairman, I am very grateful to you for permitting me to speak in this Punjab Reorganisation Bill. In the first instance I would like to take this opportunity to convey my thanks to the hon Home Minister for bringing this Bill for being passed by this House so that the two States of Haryana and Punjab Suba may come into existence on the 1st of November. The creation of the Punjab Suba and the division of Punjab have a history behind them. In 1924 the Congress was committed to the reorganisation of Provinces and even in the Macdonald Award the Congress had committed to the Sikh community that their interests would be safeguarded. I regret to say that even after the Congress had passed so many resolutions from 1924 to 1946, the interests of the Sikhs were not properly taken care of and the Sikhs were not given a proper place. What happened? At the time of the reorganisation of the Provinces and when the India Act was passed, the Sikhs joined hands with the Congress and offered their cooperation to the Congress. If they had not done that at that time, I do not know what would have happened. The picture of India would have been quite different. It is very necessary that the minority communities should be carefully looked after and their interests should be properly watched and

safeguarded. I regret to say that since independence the interests of the Sikh community have not been watched properly and taken care of, either in the services, or in the profession or in anything else.

I have gone through this Reorganisation Bill very carefully and I find that common links have been provided for in this measure. When both these States are being formed on a linguistic basis what is the justification for asking them to have common links? In the Punjab Suba there should be the Punjabi-speaking people and in Haryana there should be the Hindi-speaking people. After all, when there is a common link there is bound to be difficulty. There is bound to be tension. So I would request the hon. Home Minister to try and avoid these at all costs. The Punjabis, particularly the Sikhs, have suffered most and they are not prepared to suffer any more. Therefore, I would request the hon Home Minister to see that no common links are there and the two States should be given the proper status which they deserve and which they should have.

In the other House, Sir, Sardar Kapoor Singh, rejected this Bill and said that the Shiromani Akali Dal does not accept this Bill because they want self-determination. This is the demand of Master Tara Singh. I want to assure this House that Sikhs in general are fed up with the politics of Master Tara Singh and they are not prepared to consider him any more as their leader. Our leader is Sant Fateh Singh who defeated Master Tara Singh in the last election by a very large majority. Sant Fateh Singh's views are not that there should be self-determination. We are the sons of the same soil and we want to sacrifice everything for the sake of the motherland, if need be. We have done it during the last Pakistani aggression. The Punjabis have gone through such sacrifices and such miseries and the people are now realising what they have done. I would request the hon. Home Minister to see that proper status is given to Punjab Suba and he should not merely give something by one hand and take away everything by the other. It has been said that the educational institutions have been taken away. All the agricultural institutions have been taken away. Then what is left to the

[Shri U. S. Dugal.]

Punjabi Suba except the name? If all the powers are taken away by the Centre then what is the object of creating this Suba? May I request you that if you are bent upon taking all the institutions, Punjab University and others, at least leave the agricultural university of Ludhiana to the Punjabi Suba and let Haryana have a separate agricultural university of their own. I would particularly say, unless Chandigarh is made a part and parcel of the Punjabi Suba, the people of the Punjab, particularly the minority community and others, will not rest till Chandigarh is given to the Punjab and till it becomes a part and parcel of the Punjabi Suba. Without Chandigarh the Punjabi Suba is without any soul. What is the justification for taking away Chandigarh when the entire area is Punjabi-speaking? And the Boundary Commission itself is not very sure about it; there is a majority vote and I would say that the Boundary Commission has done the greatest harm that it could to the Punjabis. It has not understood the difficulties of the Punjabis; it has not visited the various places. They have just given their decision just studying the maps. Therefore I would again request the hon. Home Minister to look into these things and see that proper justice is done.

One more request. The entire movement led by Sant Fateh Singhji has been in the name of the Punjabi Suba and I would request the hon. Minister to change the name from Punjab State to Punjabi Suba.

SHRI SURJIT SINGH ATWAL (Punjab) : It should be Punjab.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI : No, no.

SHRI U. S. DUGAL : Maybe from your point of view.

DR. GOPAL SINGH : The Punjab has a history of 2,000 years behind it. How can we change it? This is a communal name. (Interruptions.)

SHRI U. S. DUGAL : As a matter of fact the name of the new State should be based on the will of the people. Nothing should be forced on the public. The Punjabis want the name of the State to be .

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI : No; certainly not. You are only a few

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : Have a plebiscite.

SHRI U. S. DUGAL : Merely trying to shout from those benches would not solve the problems. I would suggest and request the hon. Home Minister that we can have a plebiscite on this.

SHRI SURJIT SINGH ATWAL : We welcome it.

SHRI U. S. DUGAL : If you welcome that at least there is no need to be upset at this suggestion.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI : We will face it.

SHRI U. S. DUGAL : I want to assure you that you are not the only person who can face things. Everybody can face things and in a very different way.

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : He has made a very simple suggestion and you cannot tolerate even that.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order, order.

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : You should teach us to behave and is this the way you are teaching us to behave?

SHRI U. S. DUGAL : Madam, it has become a habit of Sardar Panjhaazari to shout from those benches at anybody who speaks from this side, whether there is any substance in it or not. I would respectfully request him to weigh the things before he says anything to anybody. I take strong objection that for no rhyme or reason he is trying to put his pressure on everybody.

So, Madam, if the desire of the Government is to avoid any further trouble, I would say that the case of the Punjabi Suba should be considered, the common links should be abolished and the other rights that are due to them should be given.

With these words I support the Bill.

شری عبدالغنی : میٹم ڈپٹی چیر

مین—۱۹۴۷ میں جب پنتھ رتن ماسٹر

تارا سنگھ نے لاہور میں مسلم لیگ

کا جھنڈا اپنی کرپان سے کاٹا تو تمام

کانگریسی نیتاؤں نے اور جن سنگھی نیتاؤں نے انہیں سراہا اور ”امر رہیں ماسٹر تارا سنگھ“ کے نعرے لگائے اور جب اس نے پنجابی صوبہ کی مانگ کی تو سب نے ملکر اسے غدار اور دیش دروہی کہا۔ جب منت فتح سنگھ جی اس میں شامل ہو گئے تو ان کو بھی ایسا ہی خطاب دیا گیا۔ اب نندہ جی خود اس کا بٹوارہ کر رہے ہیں اور پنجابی صوبہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ دیش کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا دروہ کر رہے ہیں؟ اب انہیں کیا کہنا چاہئے؟

श्री जयसुख लाल हाथी : नन्दा जी नहीं कर रहे हैं

شری عبدالغنی : بہر حال یہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت جو چاہے گی وہ ہوگا کیونکہ وہ تعداد کی اکثریت کے سہارے پر کر لیتی ہے۔ ہماری بات نہیں چلی اسلئے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے سات بڑے بڑے حصے کر دیئے جائیں تاکہ صوبائی تعصب اور زبان کا جھگڑا دب جائے مگر افسوس ہے کہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے اور اب پنجاب کا بھی بٹوارہ ہو گیا ہے تاہم اچھا ہوا کہ انہوں نے پنجابی بولنے والوں کو ایک اسٹیٹ دے دی ہے اور میں خوش ہوں چونکہ یہ سمجھتا تھا کہ پنجابی لوگ کہتے تھے کہ ہم سے انصاف نہیں کرتے اب ان کو بھی الگ موقعہ

دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کریں۔ لیکن میں صاف دلی سے نندہ جی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس افرا تفری میں، جس جلدبازی میں وہ یہ بل لائے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ایک عجیب گورکھ دھندا ہے جس کو وہ ہمارے سامنے لائے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور ہریانہ کو ہم اس لئے الگ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی اپنی اسٹیٹ کو کامیاب کرائیں دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ چنڈی گڑھ کو اپنی ایک ٹیرٹری بناتے ہیں انہوں نے کمیشن کیوں بٹھایا تھا اور اگر کمیشن بٹھایا تھا تو کمیشن کی باتوں کو ماننا ہوتا اور اگر نہیں ماننا تھا تو وہاں کی اسمبلی کو موقعہ دیا ہوتا کہ وہ بیٹھ کر حکومت سے اپنی سفارشات کرے۔ انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے کچھ ہوشیارپور کا حصہ کاٹا، کچھ پٹھان کوٹ کا حصہ کاٹا اور کانگڑہ کو ہماچل میں ملا دیا۔ یہ تمام لوگ وہ تھے جو کہ ان علاقوں کی نمائندگی کرنے والے تھے ممبران اسمبلی تھے اور ان کو ہماچل میں ملایا مگر ہماچل کو اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا۔ اگر ہماچل کو بھی اسٹیٹ کا درجہ دیتے تو ان کو پورا حق رہتا کہ اپنے علاقہ کی نمائندگی کر سکیں تو میں خوش ہوتا لیکن انہوں نے یہ پسند

[شری عبدالغنی]

کیا کہ جب پنجابی بولنے والوں کی ڈیمانڈ مانی، جب ہریانہ کی شکایت کو مان لیا اور ان کو الگ ہریانہ دیا تو پھر ہماچل کو ریاست کا درجہ دینے میں کیا دقت تھی ان کے حق کو بھی مانتے تاکہ وہ ممبر بھی رہتے۔
 میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہائی کورٹ کو اپروچ کریں۔ کانگریز کا کوئی ممبر ہو۔ جیسے کہ موہن لال دت ہیں یا کوئی ہوشیارپور کا ہو یا دوسرے بھائی ہوں وہ اپروچ کریں ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو کہ نندہ جی کو یا پارلیمنٹ کا کتنا حق حاصل ہے کہ آئین نے انہیں جو حق دیا ہے وہ ان سے چھین لیں۔ ان کو یہ حق ہے کہ وہ کہیں کہ میں اس حق کی نمائندگی کرتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی نمائندگی کرنے کا حق نہیں دیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بل کہاں ٹھہرے گا۔ اس بل کو کہاں تک سپریم کورٹ سے ویلڈیشن ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ حق بجانب ہیں۔ میڈم—حیرانی کی بات یہ ہے کہ جلدی اتنی تھی کہ راشٹرپتی رول ختم ہو ایسی جلد بازی تھی باوجود اس کے کہ وہ بھی نندہ جی کا رول تھا اور اس کو بڑی شہرت ملی اس پر پریذیڈنٹ رول کو پنجاب میں بڑی عزت ملی جس کی مجھے خوشی

ہے۔ سب بولنے والے ممبران نے گورنر رول راشٹرپتی رول کی تائید کی اور یہ چاہا کہ اس کو چلنے دیا جائے تاکہ جو سب دقتیں ہیں ان پر غور کیا جا سکے۔ میں ان سب کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔

شری نندہ جی یہ کہتے ہیں کہ چنڈی گڑھ سینٹر کے ماتحت ہوگا تو میں دریافت کرتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کا کیا بنے گا؟ دلی یونیورسٹی سینٹر کی ہے تو کیا اس کو یہ حق ہے کہ کہیں اور دوسرے صوبہ میں اس کو چھاگلا صاحب اجازت دیں کہ وہاں رکھو؟ یعنی یونیورسٹی ایک اسٹیٹ کی ہو اور وہ ہو دوسری اسٹیٹ میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جب چنڈی گڑھ کا تعلق سینٹر سے ہے تو پنجابی صوبہ میں یا ہریانہ صوبہ میں وہ یونیورسٹی کس طرح اپنی شاخیں قائم رکھ سکے گی۔ لیکن ان کی موج ہے ان کے دماغ میں جو آیا طے کر دیا۔ اب کہتے ہیں اس کا خرچہ دونوں پر پڑے گا۔ اس کا تعلق آپ ایک سے رکھیں گے پھر بھی اس کا خرچہ دونوں پر پڑے گا۔ کیسے؟ اور کیوں؟

دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھاگڑہ ڈیم جو ہے اور بیاس ڈیم جو ہے ان پر جو کنٹرول ہے اس پر جو چودھراٹ ہے وہ تو سینٹر کی

رہے گی اس پر جو حکم ہوگا وہ سینٹر کا چلے گا لیکن خرچہ اس کا جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس دینگے۔ پھر بھاگڑہ اور بیاس کو لینے کا ذکر تو کیا لیکن راوی بھی کیا حالانکہ پنجاب کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ جو بھی دریا سندھ میں گرتے ہیں ان کا جتنا بھی فائدہ ہو وہ سب کو ملے۔ راوی پر جو باندھ بنانے کا پروگرام ہے اس کا کشمیر کو بھی فائدہ پہنچنے والا ہے اس کا راجستھان کو بھی فائدہ پہنچنے والا ہے اس کا پنجاب کو بھی فائدہ پہنچنے والا ہے اور شاید ہماچل کو بھی تھوڑا فائدہ پہنچ جائے۔ کیونکہ وہ اس ڈھنگ سے بنے گا کہ جو اس کے زیر آئے گا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے بورڈ میں پنجاب اور ہریانہ کے ممبر ہونگے لیکن کشمیر کا نمائندہ نہیں ہوگا تو یہ کیوں؟ راجستھان کا نہیں ہوگا اور نہ ہماچل کا۔ ہماچل کو پورا موقع ملنا چاہئے تھا کہ ہماچل اپنی اسٹیٹ بنا کر پورے طور سے اپنی وہاں نمائندگی کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو کہ سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ نندہ صاحب نے یہی نہیں کیا کہ راوی کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ جو گورگاؤں ہے جو کہ ہریانہ کے بالکل ایک کونہ پر ہے اس کو پانی دینا ہے اس کا کیا ہوگا۔

اس کو پانی ملے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آخر اس کا ذکر نندہ صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟

نروانا نہر جو ہے اس کو اس سے پانی دینا ہے۔ اب نروانا کچھ تو رہے گا پنجاب میں کچھ رہے گا ہریانہ میں اور ملنا ہے گورگاؤں کو اور پنجاب کو بھی۔ مگر اس اسٹیٹ والے کہیں گے ہم خرچہ کیوں دیں اور اگر وہ چوڑی نہیں ہوتی اور اس کو اور کھولا جاتا تو اس کا پانی گورگاؤں میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا اسکو زیادہ چوڑا کرنا ہوگا مگر یہ اب ایسی باتیں ہیں جن پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہئے لیکن دیا جاتا حالانکہ سب ممبران نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اپنے آجکٹ میں کھدیا کہ ۸ ممبر لوکل باڈی سے جو منتخب ہوئے ہیں۔ وہ ہریانہ اسمبلی میں اس لئے لیتے ہیں کہ ۶ ممبروں سے کم ہم وہاں نہیں رکھنا چاہتے مگر اب ۵ رہ گئے۔ بالکل ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی قانون دان پنڈت سے یہ کہلانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی بھی حکومت بناؤ۔ کیونکہ اگر پنجابی اسٹیٹ میں یہ نیا راج قائم کرتے ہیں اور ہریانہ میں نہیں کرتے تو ان کو دقت آ جائے گی کہ ہریانہ کے لوگ ان سے شکایت کریں گے کہ ہم آپ کیوں چھٹر گئے آپ نے ہمیں کیوں پیچھے رکھا۔ پھر یا راشٹری رول دونوں میں

[شری عبدالغنی]

رکھینگے یا نہیں رکھینگے یہ ایک افراتفری میں انہوں نے غلطی کی۔ پھر یہ ہے کہ گورودوارہ پر بندھک کمیٹی کو انہوں نے کہا کہ وہ دو حصوں میں بٹ جائے گا کیونکہ سینٹر نے وہ بنایا تھا تو معلم اوقاف کا بھی ایکٹ یہیں سے بن کر لاگو ہوا تھا۔ اس کو کیوں نہیں اس کے ساتھ رکھا۔ اس میں مسلمانوں نے ان اوقاف نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ؟ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ بل بالکل ایسا ہے کہ جس میں کئی شنشودھن کرنے پڑینگے۔ ایک عجیب بات ہے۔ جنتا میں کسی کو یہ سمجھا نہیں سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ۱۹۷۰ میں جانے والے م آئریبل سدسیے ہیں ڈاکٹر انوپ سنگھ۔ سردار اتم سنگھ دوگل۔ سردار نریندر سنگھ۔ لالہ جگت نرائن ان کی لائری ہوگی لیکن جو ۱۹۶۸ میں جانے والے ہیں ان میں دیوان چمن لال جی اس ہاؤس کے بڑے ہی بزرگ ممبر ہیں اور لیبر لیڈر بھی بہت دنیا میں مشہور ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں لیکن میرے بھائی سورجیت سنگھ اٹوال ہیں ان کی لائری نہیں ہوگی۔ ۷ ممبر ہیں اور سات میں ۶ کی لائری ہوگی ساتویں کی لائری نہیں ہوگی اس فلسفہ کو صرف گلزاری لال نندہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی لائری کیوں پڑے گی یعنی

سردار سورجیت سنگھ اٹوال کی۔ یہ ایک امر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ میں عرض کروں گا یہ مشلات کچھ ایسی مشکلات ہیں جن کو حل کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر یہ حل نہیں ہوتیں تو ان کے لئے پھر وہی درد سر ہوگا اور پھر ان کو دوبارہ بل لانا پڑے گا کیوں کہ اگر ہریانہ میں حکومت نہیں بنی پھر ان کو کوئی نہ کوئی سنشودھن لانا پڑے گا۔ یا کوئی نہ کوئی راشٹرپتی سے اعلان کرانا پڑے گا کہ بھائی کنسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمینٹ کرتے ہیں آئیندہ مہ کی اسمبلی بن سکیگی یہ حکومت یہ اسٹیٹ اسمبلی۔ میری عرض یہ ہے کہ ان کو بالکل ٹھنڈے دل سے اس بات پر وچار کرنا چاہئے کہ یا تو یہ تینوں اسٹیٹس ایک ہی وقت میں عمل میں آئیں تاکہ یہ مل کر راجستھان اور کشمیر کے مشورہ سے اپنے اپنے سب بجلی کے، پانی کے اور جو جنرل نیک کام ہیں جن کا سمبندہ سب سے ہو سکتا ہے۔ ان سب کے مشورہ سے یا آپس میں بیٹھکر، سر جوڑ کر اپنا اپنا مشترکہ بورڈ بنائیں بجلی اور پانی کے لئے تو پھر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کانگریس میں سمجھ ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ جیسے ایک یونیورسٹی کو انہوں نے اپنے ایریا میں رکھا اور خرچہ دوسرے پر ڈال دیا۔ اسی طرح سے ایک نہ ایک سے خرچہ وابستہ

کرتا اور ان کے خیالات کی ترجمانی نہیں کرتا۔ میں نے اپنے راجہ صاحب آندہ چند کو بھی سنا مہارانی صاحبہ پٹیالہ کو بھی سنا اور اپنے بھائی رامول صاحب کو بھی سنا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس بارے میں کافی ترٹیاں ہیں اور ایسی ایسی عجیب باتیں ہیں کہ اگر وہ کبھی بھی عدالت میں جائیگی تو شاید ہمارے لئے راستہ نہ ملے گا کہ ہم کس طرح سے ان کو دور کر سکیں گے۔

اب اگر نندہ جی کے دل میں یہ بات آتی ہے اور پھر یہ محسوس کرتے ہوں کہ ”جہاں تک اس تقسیم کا تعلق ہے تو یہ سچ بات ہے میڈم۔“ کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو بالکل پنجابی بولتے ہیں اور ان کو ہریانہ میں دے دیا گیا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جو واقعی ہندی بولتے ہیں ان کو پنجابی صوبہ میں دے دیا گیا ہے۔ سنت فتح سنگھ جی نے اور ہریانہ ایکشن کمیٹی کے چیرمین چودھری دیوی لال نے دلی والوں کے ساتھ کوشش کی ہزاروں روپیئے خرچ کئے میٹنگس کیں ستیہ نرائن صاحب کی کوشش سے یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے کچھ مل کر خرچ کر دیا لیکن جب انہوں نے مل کر خرچ کیا چونکہ وہ ایک بھائی کو سوٹ نہیں کرتا چاہے ہمارے یہاں منسٹری میں ہوں چاہے ڈپٹی ہوں کوئی ہوں

کرتا ہوگا کسی نہ کسی اسٹیٹ کے پاس وابستہ کرنا ہوگا اور اگر یہ توجہ نہیں کرتے تو پھر یونیورسٹی والوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ ایک چنڈی گڑھ میں ہی ایک چھوٹے سے علاقہ میں بند ہو کر رہ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں نندہ صاحب اس پر پھر سے وچار کرنے پر مجبور ہونگے۔ پیشتر اسکے کہ یہ پھر سے وچار کریں ان کو ابھی سے اس بات کو سمجھنا چاہئے اور اس کا کوئی نہ کوئی اپائے کرنا چاہئے۔ اس کا حل نکالنا چاہئے۔ اس کا میں نے سچھاؤ یہ دیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹوں کا بنانا ہے اس کو یکم نومبر کی بجائے یکم مارچ کو بنایا جائے اور یکم مارچ میں نے اسلئے کہا تاکہ اس عرصہ میں یہ پھر سے تعقیب کر سکیں اور آپس میں مشورہ کریں کہ جتنی اس میں نرٹیاں رہ گئی ہیں۔ ان کو دور کر لیں اور سب خامیاں دور کر لیں۔ راج نرائن کی بات پر چاہے کوئی خفا ہو وہ کہتے ہیں اس میں جو جو بھائی بولے ہیں چاہے وہ اگلی دل سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ جن سنگھ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہے وہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان سب نے اس میں کچھ نہ کچھ بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ان کی منشا کو پورا نہیں

[شری عبدالغنی]

یا ڈپٹی منسٹر ہوں ایک دو بھائیوں کو سوٹ نہیں کرتا تو ان کی جو تمام محنت ہے وہ ضائع جاتی ہے اسلئے سب کو متفقہ طور پر طے کرنا چاہئے انہوں نے بالکل راج نرائن کی خواہش کے مطابق ہندو سکھ بھائی بھائی کے ناطے سے چونکہ طے کر لیا ان کی بات چل گئی۔ معاملہ طے ہو گیا۔ اب اس میں خامیاں رکھنا درست نہیں۔ لہذا خامیاں دور کی جائیں میڈم—یہ ماننا پڑے گا کہ جو سہرا ہے وہ نندہ جی کو نہیں اور اگر بدنامی ہے تو وہ بھی نندہ جی کو نہیں۔

کیونکہ نندہ جی تو ان کو دیش دروہی کہتے ہیں۔ ماسٹر تارا سنگھ کو۔ ان کے خلاف انہوں نے بڑی تقریریں کیں۔ ان کی پارٹی کے نیتاؤں نے بڑی بڑی تقریریں کیں۔ تو اس لئے میں تو ان کو نہیں کہتا۔ وہ تو بنانے والے ہیں یہ تو ہمارے اکالی پارٹی کے بھائی ہیں جنہوں نے ۵۵ ہزار سے زیادہ بھائی بہنوں کو ایک ہی وقت میں جیل بھیجا تھا۔ یا ہریانہ کے وہی لوگ جنہوں نے ہریانہ لوگ سمتی کے نام سے ایک طوفان اٹھایا تھا کہ ہریانہ پنجاب میں نہیں رہے گا۔ ہمارے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے ہمیں اپنی ریاست دو۔ چنانچہ یہ مطالبہ منظور ہوا۔ تو اس د سہرا یا تو سنت فتح سنگھ کو یا ماسٹر تارا سنگھ کو یا دونوں کے ساتھیوں

یا چودھری دیوی لال اور ان کے ساتھیوں کو ہے۔ جنہوں نے اس کیلئے قربانیاں دیں۔ اگر نندہ جی لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی ہرج نہیں ہے۔ مجھے نریندر سنگھ جی کی یہ بات پسند نہیں ہے کہ نندہ جی یہاں سے ممبر نہ بنیں وہ جہاں سے چاہیں ممبر بنیں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب سے ممبر بنے۔ چاہے بمبئی سے آئے مہاراشٹر سے آئے اور وہ بہار میں جا کر اپنا ممبر بن جائے تو نندہ جو کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ گورگاؤں سے کھڑے نہ ہوں اس میں کوئی رعایت کی بات نہیں ہے۔ یہ تو نندہ جی کے من کی بات ہے میں ان سے ادب سے عرض کرونگا کہ یہ باتیں اثر نہیں کرتیں البتہ یہ باتیں ہسٹری میں ضرور رہ جائیں گی۔ کہ اس بل میں کیوں ایسی باتیں آئی ہیں کہ جن کا جواب نہیں ہے یعنی کوئی جواب مانگنے کی کوشش کی جائے تو وہ جواب ملتا نہیں۔ میں پنج ہزاری کی بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کالکا جی کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک کو دے دو۔ ہریانہ کو دے دو ہماچل کو دے دو۔ ہماچل پردیش کو اگر دینا چاہتے ہو تو دے دو۔ لیکن دینے سے کیا ہوگا جب کہ تم اس کو حکومت نہیں دیتے ہو۔ ایریا بڑھانے سے وہ کیا کرے گا جب تک اس کو حکومت نہیں ملتی اور ریاست

کی حیثیت نہیں ملتی - اس لئے میں چاہتا ہوں کہ نندہ جی ان کو یہ موقعہ دیں پنجاب - ہماچل پردیش اور ہریانہ کے نیتاؤں کو کہ وہ آپس میں مل کر کے اگر علاقہ کا پھر سے بشوارہ یا تقسیم کرنا چاہیں تو کر لیں وہ جلدی نہ کریں جس سے کہ انہیں پچھتانا پڑے - جیسا کہ پہلے پچھتانا پڑا تھا کہ آٹھ ممبروں والی بات غلط تھی - اسی طرح سے انہیں پھر اس بارے میں پچھتانا پڑے گا - اس لئے ۷ ممبر جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں جو ۱۹۷۰ تک جانے والے ہیں ان میں سے ایک کو کیوں نام زد کر دیا اور ایک کی لاٹری کیوں نکالی جاتی ہے - یہ امتیاز کیوں ؟ یہ کیا معاملہ ہے ؟ اس کے پس پردہ کیا ہے ؟

شری شیلپدر یاچی (بیہار) : میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 7 آبادی ریاست سبھا کے ہوں اور اتر پردیش ساہب رہ جائیں گے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ لاٹری تو سبکی ہوگی۔ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ گلط بھائی کر رہے ہیں۔

شری عبدالغنی : لیکن واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بل میں آئی ہے۔ بل میں جو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ میرے بھائی اٹوال صاحب کو سارٹیفیکیٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ پنجابی اسٹیٹ میں جائیں گے اور باقی ۶ کو کہہ دیا گیا ہے کہ تمہاری

لاٹری پڑے گی - اگر زبان کا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ لالہ جگت نرائن سے کہتا کہ زبان ہندی کو لو - مگر ایسا نہیں ہے۔

شری سورجیت سنگھ اتر پردیش : میں بڑے اتر پردیش سے اپنے بڑے بھائی شری ابرو گانی سے اتر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کا دُ:خ ہے کہ میں پنجاب میں کبھی اتر کرنا چاہتا ہوں تو نندہ جی سے ایکسپلینیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہریانہ میں جانے کو تیار ہوں اور وہ پنجاب میں چلے جائیں۔

شری عبدالغنی : میرے بھائی بالکل غلط سمجھے - میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے دکھ ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا والے کیا کہیں گے آئین دان کیا کہیں گے قانون دان کیا کہیں گے اور ہر ہندوستانی کیا کہے گا کہ ۶ کی تو لاٹری ہو اور ایک کی نہ ہو سب اس کے لئے ان کا مذاق اڑائیں گے اگر میں اٹوال صاحب کی جگہ ہوتا تو میں بھی کہتا اپنے لئے ایسا ہی کہتا - اس لئے کہ سب سے یکساں سلوک کرو - ایک کو الگ مت کرو یہ اچھی بات نہیں ہے - اب تو یہ ہے کہ آپ کے حکومت کی تابعداری کرتا ہوں اور نندہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورنگی ہے اور ”دورنگی چھوڑ کر یکجا ہو جا - سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، - اگر انہیں بنانا ہے صدق دلی سے تو تینوں اسٹیٹوں کو بنائیں اور ان کو پیار

[شری عبدالغنی]

اور محبت کا سبق دیں اگر ان کے من میں اب بھی یہ شک ہے پنجابی بھائیوں پر یا کسی پر تو پھر اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اعتبار سے اعتبار پیدا ہوتا ہے لہذا اعتبار کرو بے اعتباری نہیں۔

آنریبل ممبرس : نو۔ نو۔

شری عبدالغنی : تو اسلئے میں

بوجھتا ہوں ان کا کیا جواب ہے۔
 بھنڈاری صاحب نے کہا کہ مدھیہ پردیش کا اتنا بڑا صوبہ ہے۔
 وہاں ہر کوئی اپر ہاؤس نہیں ہے تو یہ پنجاب میں اپر ہاؤس کیوں رکھا جا رہا ہے پنجاب میں یہ سفید ہاتھی اس کے سر پر مڑھا جا رہا ہے۔ نو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب کے چھوٹے صوبہ پر بارڈر کا بھی بوجھ ڈال رہے ہیں اور اپر ہاؤس کا بھی بوجھ ڈال رہے ہیں یہ کیوں ڈال رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل موو ہے۔ کوئی پولیٹیکل غرض ہے اگر نہیں ہے تو یہ بوجھا پنجاب پر نہیں پڑنا چاہئے۔ نئی اسٹیٹ ہے اس کو بھلنے بھولنے کا موقعہ دیا جانا چاہئے۔

†[شری अबدول گنی (پنجاب) : مہڈم ڈپٹی چیئرمین، 1947 میں جب پنٹ رتن ماسٹر تارا سیھ نے لاہور میں مسلم لیگ کا بڈا اپنی کپان سے کاٹا تو تمام کانگریسی नेताؤں نے اور جنسبھی

ناتاؤں نے انھیں ساراھا اور "اممر رھیں ماسٹر تارا سیھ" کے تارے لاگائے اور جب اسنے پنجاابی سوبے کی مانگ کی تو ان سب نے میل کر اسے گدار اور دیش بروہی کھا۔ جب سنت فتہھ سیھ جی اس میں شامل ہو گئے تو انکو بھی ایسا ہی بختاب دیا گیا اور ننذا جی खुद اسکا بٹوارا کر رھے ہیں اور پنجاابی سوبا بنا رھے ہیں تو यह देश के साथ इन्साफ कर रھے हैं या ब्रोह कर रھے हैं? अब इन्हें क्या कहना चाहिए?

श्री जयसुखलाल हाथी : नन्दा जी नहीं कर रھے हैं।

श्री अब्दुल गनी : बहर हाल मैं यह अर्ज करता हूँ कि हुकूमत जो चाहेगी वह होगा क्योंकि वह तादाद की अक्सरियत के सहारे पर कर लेती है इस लिए हम चाहते हैं कि मुल्क के साथ बड़े बड़े हिस्से कर दिए जाएं ताकि सूबाई तास्सुब और जबान का झगड़ा दब जाए। मगर अफसोस है कि इस में हम कामयाब नहीं हुए और अब पंजाब का भी बटवारा हो गया है। ताहम अच्छा हुआ कि उन्होंने पंजाबी बोलने वालों को एक स्टेट दे दी है और मैं खुश हूँ कि चूंकि यह समझता था कि पंजाबी लोग कहते थे कि हम से इन्साफ नहीं करते। अब उनको भी अलग मौका दिया गया है कि वह अपनी हुकूमत करें। लेकिन मैं साफ दिली से नन्दा जी से अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस अफरातफरी में जिस जल्दबाजी में वह यह बिल लाए हैं जिस का न सिर है न पांव, एक अजीब गोरख धन्धा है, जिसको वह हमारे सामने लाए हैं। एक तरफ वह कहते हैं कि पंजाब और हरियाना को हम इसलिए अलग कर रहे हैं कि ताकि वह अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी अपनी स्टेट को कामयाब कराएं, दूसरी तरफ उनकी हालत यह है कि वह चंडीगढ़ को अपनी एक टैरिटरी बनाते हैं। उन्होंने कमीशन क्यों बिठाया था और अगर कमीशन बिठाया था तो कमीशन की बातों को माना होता और अगर नहीं

मानना था तो वहाँ की असेम्बली को मौका दिया होता कि वह बैठ कर हुक्मत से अपनी सिफारिशें करे। उन्होंने यह जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कुछ होशियारपुर का हिस्सा काटा कुछ पठानकोट का हिस्सा काटा और कांगड़ा को हिमाचल में मिला दिया। यह तमाम लोग वह थे जो कि इन इलाकों की नुमाइन्दगी करने वाले थे, मेम्बरान असेम्बली थे, और उनको हिमाचल में मिलाया मगर हिमाचल को स्टेट का दर्जा नहीं दिया। अगर हिमाचल को भी स्टेट का दर्जा देते तो उनको पूरा हक रहता कि अपने इलाके की नुमाइन्दगी कर सकें तो मैं खुश होता लेकिन उन्होंने यह पसन्द नहीं किया कि जब पंजाबी बोलने वालों की डिमांड मानी, जब हरियाना की शिकायत को मान लिया और उनको अलग हरियाना दिया तो फिर हिमाचल को रियासत का दर्जा देने में क्या दिक्कत थी? उनके हक को भी मानते ताकि वे मेम्बर भी रहते। मैं समझता हूँ कि अगर वह हाईकोर्ट को अप्रोच करें, कांगड़ा का कोई मेम्बर हो जैसे कि मोहन लाल दत्त है या कोई होशियारपुर का हो या दूसरे भाई हों, वह अप्रोच करे हाईकोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि नन्दा जी को या पार्लियामेंट को क्या हक हासिल है कि आइन ने उन्हें जो हक दिया है वह उनसे छीन लें—उन को यह हक है कि वह कहें कि मैं इस हलके की नुमाइन्दगी करता हूँ और अगर वह कहते हैं कि हमको कोई नुमाइन्दगी करने का हक नहीं देते—तो मैं नहीं समझता कि यह बिल कहाँ ठहरेगा। इस बिल को कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट से रीविजेशन मिलेगा और हो सकता है कि वह कहे कि यह हक बजानब है। मेडम, हैरानी की बात यह है कि जल्दी इतनी थी कि राष्ट्रपति रूल खत्म हो ऐसी जल्दबाजी थी बावजूद इसके कि वह भी नन्दा जी का रूल था और उसको बड़ी शोहरत मिली, इस प्रेजिडेंट रूल को पंजाब में बड़ी इज्जत मिली जिसकी मुझे खुशी है। सब बोलने वाले मेम्बरान

ने गवर्नर रूल, राष्ट्रपति रूल की ताइड की ओर यह चाहा कि उसको चलने दिया जाए ताकि जो सब दिक्कतें हैं उन पर गौर किया जा सके। मैं उन सबको एक-एक करके आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री नन्दा जी यह कहते हैं कि चंडीगढ़ सेंटर के मातहत होगा तो मैं दरयापत करता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या बनेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर की है तो क्या उसको यह हक है कि कहीं और दूसरे सूबों में उसको छागला साहब इजाजत दें कि वहाँ रखे यानी यूनिवर्सिटी एक स्टेट की हो और वह हो दूसरी स्टेट में। यह कैसे हो सकता है? लिहाजा जब चंडीगढ़ का ताल्लुक सेंटर से है तो पंजाबी सूबा में या हरियाना सूबे में वह यूनिवर्सिटी किस तरह अपनी शाखें कायम रख सकेगी। लेकिन उनकी मौज है उनके दिमाग में जो आया तय कर दिया। अब कहते हैं उसका खर्चा दोनों पर पड़ेगा इसका ताल्लुक आप एक से रखेंगे फिर भी इसका खर्चा दोनों पर पड़ेगा? कैसे? और क्यों?

दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं, कि भाखड़ा डेम जो है और व्यास डेम जो है, उन पर जो कंट्रोल है, उस पर जो चौधराहट है वह तो सेंटर की रहेगी। इस पर जो हुक्म होगा वह सेंटर का चलेगा लेकिन खर्चा उसका जो है वह दोनों स्टेटें देंगी। फिर भाखड़ा और व्यास को लेने का जिक्र तो किया लेकिन राबी भी गया हालांकि पंजाब को पूरा-पूरा हक हासिल है कि जो भी दरया सिंध में गिरते हैं उनका जितना फायदा हो वह सब को मिले। राबी पर जो बांध बनाने का प्रोग्राम है उसका काश्मीर को भी फायदा पहुंचने वाला है, उस का राजस्थान को भी फायदा पहुंचने वाला है, उसका पंजाब को भी फायदा पहुंचने वाला है और शायद हिमाचल को भी थोड़ा फायदा पहुंच जाए क्योंकि वह इस ढंग से बनेगा कि जो इसके जेर आएगा उसको फायदा पहुंचेगा। तो मैं जानना

[श्री अब्दुल रानी]

चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि इसके बोर्ड में पंजाब और हरियाणा के मेम्बर होंगे परन्तु काश्मीर का नुमाइन्दा नहीं होगा तो यह क्यों ? राजस्थान का नहीं होगा और न हिमाचल का । हिमाचल को पूरा मौका मिलना चाहिए था कि हिमाचल अपनी स्टेट बनाकर पूरे तौर से अपनी वहां नुमाइन्दगी कर सके । मैं समझता हूँ कि यह भी एक ऐसी बात है जो कि समझने की है और गौर करने की है । नन्दा साहब ने यही नहीं किया कि रावी का जिक्र नहीं किया बल्कि यह भी नहीं बताया कि यह जो गुडगांव है जोकि हरियाणा के बिल्कुल एक कौने पर है उसको पानी देना है उसका क्या होगा । उसको पानी मिलेगा या नहीं ? अगर नहीं तो क्यों ? आखिर इसका जिक्र नन्दा साहब ने क्यों नहीं किया ? क्या वजह है ? नरवाना नहर जो है उसको इससे पानी देना है । अब नरवाना कुछ तो रहेगा पंजाब में कुछ रहेगा हरियाणा में और मिलना है गुडगांव को और पंजाब को भी मगर इस स्टेट वाले होंगे हम खर्चा क्यों दें । और अगर वह चौड़ी नहीं होती और उसको और खुला नहीं किया जाता तो उसका पानी गुडगांव में पहुंच ही नहीं सकता । लिहाजा उसको ज्यादा चौड़ा करना होगा मगर वह ऐसी बातें हैं जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता हालांकि सब मेम्बरान ने इस तरफ तबज्जो दिलाई है । अपने ओब्जेक्ट में कह दिया कि 8 मेम्बर लोकलवाडी से जो मुन्तखिब हुए हैं वह हरियाणा असेम्बली में इस लिए लेते हैं कि 60 मेम्बरों से कम हम वहां नहीं रखना चाहते मगर अब 54 रह गये । बिल्कुल उनकी हालत यह हो जाएगी कि किसी न किसी तरह से किसी कानूनदान पंडित से यह कहलाने की कोशिश करेंगे कि उनकी भी हुक्मत बनाओ । क्योंकि अगर पंजाबी स्टेट में यह नया राज कायम करते हैं और हरियाणा में नहीं करते तो उनको

दिक्कत आ जाएगी कि हरियाणा के लोग उनसे शिकायत करेंगे कि हम आप क्यों बिछड़ गये आपने हमें क्यों पीछे रखा । फिर या राष्ट्रपति रूल दोनों में रखेंगे या नहीं रखेंगे यह एक अफरातफरी में उन्होंने गलती की । फिर यह है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उन्होंने कहा कि वह दो हिस्सों में बंट जाएगा क्योंकि सेंटर ने वह बनाया था तो मुस्लिम ओकात का भी एक्ट यही से बन कर लागू हुआ था इसको क्यों नहीं उसके साथ रखा । इसमें मुसलमानों ने उनके ओकात ने क्या गुनाह किया था कि उसको रखने की कोशिश नहीं की ? मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि यह बिल बिल्कुल ऐसा है कि जिसमें कई संशोधन करने पड़ेंगे । एक अजीब बात है । जनता में किसी को यह समझा नहीं सकते । यह कहते हैं कि जो 1970 में जाने वाले 4 आनरेबल सदस्य हैं डाक्टर अनूप सिंह, सरदार उत्तम सिंह दुग्गल, सरदार नरेन्द्र सिंह, लाला जगत नारायण उनकी लाटरी होगी लेकिन जो 1968 में जाने वाले हैं उनमें दीवान चमन लाल जी इस हाउस के बड़े ही बुजुर्ग मेम्बर हैं और लेबर लीडर भी हैं, बहुत दुनिया में मशहूर हैं वह अपनी मिसाल आप हैं । लेकिन मेरे भाई सुरजीत सिंह अटवाल हैं उनकी लाटरी नहीं होगी । 7 मेम्बर हैं और साथ में 6 की लाटरी होगी सातवें को लाटरी नहीं होगी इस फलसफा को सिर्फ गुलजारी लाल नन्दा ही समझ सकते हैं कि उनकी लाटरी क्यों नहीं पड़ेगी यानी सरदार सुरजीत सिंह अटवाल की । यह एक अमर है जो हमारे सामने है । मैं अर्ज करूंगा यह मुश्किलात कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जिनको हल करना बड़ा ही जरूरी है । अगर यह हल नहीं होती तो उनके लिए फिर वही दर्द सर होगा और फिर उनको दोबारा बिल लाना पड़ेगा क्योंकि अगर हरियाणा में हुक्मत नहीं बनी फिर उनको कोई न कोई संशोधन लाना पड़ेगा । या कोई न कोई राष्ट्रपति

से एलान कराना पड़ेगा कि भाई कान्स्ट्रक्शन् में यह एम्बेडमेंट करते हैं। आइन्दा 54 की असेम्बली बन सकेगी। यह हुकूमत यह स्टेट असेम्बली, मेरी अर्ज़ यह है कि उनको बिल्कुल ठंडे दिल से इस बात पर विचार करना चाहिये कि या तो यह तीनों स्टेटें एक ही वक्त में अमल में आएँ ताकि यह मिल कर राजस्थान और काश्मीर के मशवरे से अपने सब बिजली के, पानी के और जो जनरल नेक काम हैं जिनका सम्बन्ध सब से हो सकता है उन सब के मशवरे या आपस में बैठकर सर जोड़ कर अपना अपना मुश्तर्क बोर्ड बनाएं बिजली और पानी के लिए तो फिर समझ में आ सकता है कि कांग्रेस में समझ है। मेरी समझ में यह बात भी आ सकती है कि जैसे एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपने एरिया में रखा और खर्चा दूसरे पर डाल दिया इसी तरह से एक न एक से खर्चा बाबस्ता करना होगा, किसी न किसी स्टेट से बाबस्ता करना होगा और अगर यह तबज्जो नहीं करते तो फिर यूनिवर्सिटी वालों ने क्या गुनाह किया है कि वह एक चंडीगढ़ में ही, एक छोटे से इलाके में बन्द होकर रह जाएँ। मैं समझता हूँ नन्दा साहब इस पर फिर से विचार करने पर मजबूर होंगे; पेशतर इसके कि यह फिर से विचार करें उनको अभी से इस बात को समझना चाहिए और उसका कोई न कोई उपाय करना चाहिए। इसका हल निकालना चाहिए। इसका मैंने यह सुझाव दिया है कि यह जो स्टेटों का बनाना है उसको एकम नवम्बर की बजाएँ एकम मार्च को बनाया जाए और एकम मार्च मैंने इसलिए कहा ताकि इस अर्स में यह फिर से तसफिया कर सकें और आपस में मशवरा करें कि जितनी इस में त्रुटियाँ रह गई हैं उनको दूर कर लें और सब खामियाँ दूर कर लें। श्री राजनारायण की बात पर चाहे कोई खफा हो, वह कहते हैं इसमें जो भाई बोले हैं चाहे वह अकाली दल से ताल्लुक रखते हैं चाहे वह जनसंघ से ताल्लुक

रखते हैं चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और चाहे वह कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इन सब ने इसमें कुछ न कुछ बेइतमिनानी का इज़हार किया है और वह समझते हैं कि यह बिल उनकी मनशा को पूरा नहीं करता और उनके ख्यालात की तरजमानी नहीं करता। मैंने अपने राजा साहब आनन्द चन्द को भी सुना, महारानी साहिब पटियाला को भी सुना और अपने भाई रामोल साहब को भी सुना। मैं यह महसूस करता हूँ कि इस बारे में काफी त्रुटियाँ हैं और ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं कि अगर वह कभी भी अदालत में जाएंगी तो शायद हमारे लिए रास्ता न मिलेगा कि हम किस तरह से उनको दूर कर सकेंगे।

अब अगर नन्दा जी के दिल में यह बात आती है और फिर यह महसूस करते हों कि जहाँ तक इस तकसीम का ताल्लुक है तो यह सच बात है, मेडम, कि कुछ इलाका ऐसे हैं जो बिल्कुल पंजाबी बोलते हैं और उनको हरियाना में दे दिया गया है कुछ इलाके ऐसे हैं जो वाकई हिन्दी बोलते हैं उनको पंजाबी सूबे में दे दिया गया है। संत फते सिंह जी ने और हरियाना एक्शन कमिटी के चेयरमैन चौधरी देवीलाल ने दिल्ली वालों के साथ कोशिश की। हजारों रुपये खर्च किए, मीटिंग्स कीं। सत्य नारायण साहब की कोशिश से यह सब कुछ हुआ तो उन्होंने कुछ मिल कर खर्च कर दिया लेकिन जब उन्होंने मिल कर खर्च किया चूँकि वह एक भाई को सूट नहीं करता। चाहे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री में हों चाहे डिप्टी हों कोई हों या डिप्टी मिनिस्टर हों एक दो भाइयों को सूट नहीं करता तो उनकी जो तमाम मेहनत है वह जाया जाती है इसलिए सबको मुतफिका तौर पर तय करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल राज नारायण की ख्वाइश के मुताबिक हिन्दु सिख भाई भाई के नाते से चूँकि तय कर लिया उनकी बात चल गई। मामला तय हो गया अब इसमें खामियाँ

[श्री अब्दुल गनी]

रखना दुरुस्त नहीं । लिहाजा खामियां दूर की जाएं । मेडम, यह मानना पड़ेगा कि जो सेहरा है वह नन्दा जी को नहीं और अगर बदनामी है तो वह भी नन्दा जी को नहीं ।

क्योंकि नन्दा जी तो उनको देश द्रोही कहते हैं—मास्टर तारा सिंह को । उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी तकरीरें कीं । उनके पार्टी के नेताओं ने बड़ी बड़ी तकरीरें कीं । तो उस लिए मैं तो उन को नहीं कहता । वह तो बनाने वाले हैं यह तो हमारे अकाली पार्टी के भाई हैं जिन्होंने 55 हजार से ज्यादा भाई बहनों को एक ही वक्त में जेल भेजा था । या हरियाना के वहाँ लोग जिन्होंने हरियाना लोक समिति के नाम से एक तूफान उठाया था कि हरियाना पंजाब में नहीं रहेगा, हमारे साथ बेइस्साफी हुई है हमें अपनी रियासत दो चुनावों मुतालबा मंजूर हुआ तो उसका सेहरा या तो सुन्त फतेह सिंह को या मास्टर तारा सिंह को या दोनों के साथियों को या चौधरी देवी लाल और उनके साथियों को है जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दीं । अगर नन्दा जी लेना चाहते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है । मुझे नरेन्द्र सिंह जी की यह बात पसन्द नहीं है कि नन्दा जी यहां से मेम्बर न बनें वह जहां से चाहें मेम्बर बनें, हर एक को हक हासिल है कि वह पंजाब से मेम्बर बने चाहे बम्बई से आए महाराष्ट्र से आए और वह बिहार में जाकर अपना मेम्बर बन जाए तो नन्दा जी को क्यों हक हासिल नहीं है कि वह गुड़गांव से खड़े न हों । इस में कोई रियायत की बात नहीं है । यह तो नन्दा जी के मन की बात नहीं है । मैं उनसे अदब से अर्ज करूंगा कि यह बातें असर नहीं करतीं अलबत्ता यह बातें हिस्ट्री में जरूर रह जायेंगी, कि इस बिल में क्यों ऐसी बातें आई हैं कि जिनका जवाब नहीं है यानी कोई जवाब मांगने की कोशिश की जाए तो वह जवाब मिलता नहीं । मैं पंच हजारी की बात को बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कालकाजी का जिक्र

किया । वह कहते हैं कि एक को दो । हरियाना को दो हिमाचल को दो दो । हिमाचल प्रदेश को अगर देना चाहते हो तो दो दो । लेकिन देने से क्या होगा जब कि तुम उसको हुकूमत नहीं देते हो । एरिया बढ़ाने से वह क्या करेगा जब तक उसको हुकूमत नहीं मिलती और रियासत की हसीयत नहीं मिलती । इसलिए मैं चाहता हूँ कि नन्दा जी उनको यह मौका दें, पंजाब हिमाचल प्रदेश और हरियाना के नेताओं को कि वह आपस में मिल करके अगर इलाके का फिर से बटवारा या तकसीम करना चाहें तो कर लें । वह जल्दी न करें जिससे कि उन्हें पछताना पड़े जैसा कि पहले पछताना पड़ा था कि आठ मेम्बरों वाली बात गलत थी । इसी तरह से उन्हें फिर इस बारे में पछताना पड़ेगा । इसलिए 7 मेम्बर जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं जो 1970 तक जाने वाले हैं उनमें से एक को क्यों नामजद कर दिया और एक की लाटरी क्यों निकाली जाती है । यह इन्तेयाज क्यों ? यह क्या मामला है ? इसके पसपदा क्या है ?

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि 7 आदमों राज्य सभा के होंगे और अटवाल साहब रह जायेंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लाटरी तो सबकी होगी । जो वह कह रहे हैं । वह गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल गनी : लेकिन वाक्या जो है वह यह है कि यह बात बिल में आई है । बिल में जो आया है उसमें यह है कि मेरे भाई अटवाल साहब को सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि वह पंजाबी स्टेट में जायेंगे और बाकी 6 को कह दिया गया है कि तुम्हारी लाटरी पड़ेगी । अगर जवान का कोई मसला होता है तो मैं समझता कि लाला जगत नारायण से कहता कि जबान हिन्दी को लो मगर ऐसा नहीं है ।

श्री सुरजीत सिंह अटवाल : मैं अदब से अपने बड़े भाई श्री अब्दुल गनी से अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर उन्हें इस बात का दुःख है कि मैं पंजाब में क्यों एलाट किया गया हूँ तो

नन्दा जी से एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हरियाना में जाने को तैयार हूँ। और वे पंजाब में चले जायें।

श्री अब्दुल गनी : मेरे भाई बिल्कुल गलत समझे। मैं यह नहीं कहता कि मुझे इससे दुःख है। मैं कहता हूँ कि दुनिया वाले क्या कहेंगे आइनदान क्या कहेंगे, कानून दान क्या कहेंगे, और हर हिन्दुस्तानी क्या कहेगा कि 6 की तो लाटरी हो और एक की न हो, सब इसके लिए उनका मजाक उड़ायेंगे। अगर मैं अटवाल साहब की जगह होता तो मैं भी कहता कि सबसे यकसां सलूक करो। एक को अलग मत करो, यह अच्छी बात नहीं है। अब तो यह इसलिए है कि आपकी हकूमत की ताबेदारी करता हूँ। मैं नन्दा जी से कहना चाहता हूँ कि यह दौरंगी है और कि "दौरंगी छोड़ कर यकजा हो जा, सरासर मोम होजा या संग हो जा" अगर उन्हें बनाना है सिदक दिली से तो तीनो स्टेटो को बनाएं और उनको प्यार और मोहब्बत का सबक दें अगर उनके मन में अब भी यह शंका है पंजाबी भाइयों पर या किसी पर तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एतबार से एतबार पैदा होता है लेहाजा एतबार करो बे-इतबारी नहीं।

मानरेबल मेम्बरस : नो, नो।

श्री अब्दुल गनी : तो इसलिये मैं पूछता हूँ उनका क्या जवाब है। भंडारी साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश का इतना बड़ा सूबा है। वहां पर कोई अपर हाउस नहीं है तो यह पंजाब में अपर हाउस क्यों रखा जा रहा है, पंजाब में यह सफेद हाथी उसके सिर पर मढ़ा जा रहा है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप पंजाब के छोटे सूबे पर बार्डर का भी बोझ डाल रहे हैं और अपर हाउस का भी बोझ डाल रहे हैं यह क्यों डाल रहे हैं आखिर इसके पीछे कोई न कोई पोलिटिकल मूव है, कोई पोलिटिकल गर्ज है। अगर नहीं है तो यह बोझ पंजाब पर नहीं पड़ना चाहिये। नई स्टेट है उसको फलने फूलने का मौका दिया जाना चाहिये।]

डा. शालिग्राम (पंजाब) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, सब बातें होती रहती हैं और मैं समझता हूँ कि जिन उसूलों और जिन बातों को मद्दे नजर रखते हुये हम नये हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हो रहे हैं उसके लिये हम केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उसने हमारी दरखास्त को मानते हुये जो हमारी मौजूं जगह है वह जगह हिमाचल प्रदेश में मिल गई है। हम इस चीज के लिये केन्द्रीय सरकार के बहुत मशकूर हैं क्योंकि असें दराज तक, आज नहीं, कई सालों से, जबकि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को फतह किया था, तो वह फतह करते हुये ऐसे इलाकों तक पहुंच गये जहां उनको बहुत सी सहूलियतें मिल सकती थीं। ऐसी जगहों पर उन्हें सदर मुकाम और फौजी छावनियां बनाने में बड़ी मदद मिली और इस तरह से उन्होंने उन जगहों पर अपना कब्जा बनाये रखा और बाकी इलाके बदस्तूर रहे। चूनांचे जब आजादी का सवाल आया तो वे इलाके जो उन्होंने लिये हुये थे उन्हें पंजाब के साथ मिला दिये गये और दूसरे इलाके हमसे जुदा ही रहे। इस तरह से वह हिस्सा दो भागों में बंट गया। पहाड़ के रहने वाले जो ज्योग्राफिकली, सौशली, कलचरली, इकौनौमिकली, जिनकी चीजें एक जैसी थीं, उनको दो भागों में बांट दिया गया। कुछ हिस्सा पंजाब के साथ शामिल हुआ और कुछ हिस्सा पहाड़ में रखा। पहाड़ के रहने वाले हिमाचल प्रदेश के बनने से आज फिर एक हुये हैं और उसके लिए हम एक बार फिर केन्द्रीय सरकार के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उसने हमारी हालत को समझते हुये, यह देखते हुये कि पंजाब के साथ हमारा प्लानिंग जो होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है, उस ढंग से नहीं हो रहा है। पंजाब वाले अपने तरीके से वहां का प्लानिंग कर रहे थे और यही वजह है कि वहां के प्लानिंग की हालत बहुत खराब थीं क्योंकि उसके ऊपर पंजाब वालों का इन्फ्लूएंस था जिसकी वजह से हिल एरियाज का अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो सका। आज हम देखते हैं कि वहां प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर

[डा० शालिग्राम]

से हुकम हो जा है कि कुआं खोदो। उसके लिए रकम एलाट की जाती है लेकिन वह रकम लैप्स हो जाती है और वापस चली जाती है क्योंकि हमारे यहां पर पक्के चट्टान हैं, पक्के रावस हैं और वहां पर कुएं नहीं खोदे जा सकते हैं। हमारे यहां जो जराये आबपाशा हैं वे निहायत नाकिस हैं जो सैकड़ों साल पुरानी बनाई गई कुओं से होती है और हमारी कितनी जमीन जो है वह निहायत मौजू कित्ता है। वहां पर हाटिकलचर का काम काफी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि उसके लिए भी जो अरबावे इकतदार पंजाब के थे जिम्मेदार थे और इस तरह की बात सोचते थे कि अगर पंजाब के पौधे लाये जायेंगे तो उनके लिये ही सबसिडी दी जायेगी, दूसरे पौधों पर नहीं दी जायेगी। चूंकि इस शोबे में भी हम तरक्की नहीं पहुंचा सके क्योंकि वह पौधा जो पंजाबी आबोहवा में नशेव व नुमा पाते थे, हमारे यहां फलते फूलते नहीं थे। इस तरह से हमारी यहा जो बुनियाद डाली जानी चाहिये थी, वह अच्छी तरह से नहीं डाली गई।

इसके साथ ही साथ जो हमारा प्लानिंग था, जिस के मातहत हमारा सारा पहाड़ी इलाका है, उसमें कहीं वादिया दिखाई देती है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई होती है हमारे पहाड़ इतने ऊंचे हैं जहा 12 महीनें बर्फ पड़ी रहती है कुछ पहाड़ छोटे भी हैं, लेकिन सब वादियों को पहुंचने के रास्ते इतने दुश्वार गुजार है। इसके साथ ही साथ जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं वे बिल्कुल कच्चे हैं और जब बरसात होती है तो सब टूट जाते हैं और महीनों तक रास्ते एक दूसरे से कटे रहते हैं।

6 P.M.

इस तरह से हमारे डेवलपमेंट में इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे जराये आमद व रफ्त चन्द सड़कों पर महदूद रहे और उनमें कुछ पक्की है और बाकी सब की सब कच्ची है। वहां बरसात सब से ज्यादा

होती है। नार्दन ईंडिया में सब से ज्यादा बरसात हमारे यहां होती है। तकरीबन 120 इंच हमारे यहां हर साल पानी पड़ता है, तो इस तरह से हमारी डेवलपमेंट में यह भी रुकावट रही। जराये आमद व रफ्त न होने की वजह से हमारा अनाज नहीं पहुंचता था। हमारे यहां जमीन बहुत कम है। 10 हजार मुरब्बा मील रकबा था जिस में लगभग 13 लाख लोग बसते हैं। उनके लिये सारे इलाके में सिर्फ एक डिग्री कालेज बना। एक डिग्री कालेज वहां अंग्रेजों के जमाने में बना था। आजादी मिलने के बाद वहां एक भी कालेज नहीं बना। लड़कियों के लिये वहां एक भी ऐसा दरसगाह नहीं है जहां लड़कियां ऊंची तालीम हासिल कर सकें। वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है पंजाब की तरफ से, लेकिन पंजाब ने कभी यह कोशिश नहीं की कि वहां कोई तरक्की हो। पंजाब के हर शहर में कालेज मिलते हैं और एक एक शहर में दो दो कालेज मौजूद होते हुये भी वहां और नये कालेज बनते रहे, लेकिन जिला कांगड़ा में पंजाब सरकार ने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि वहां इस तरह की तालीमी दरसगाहें कायम की जायें; मैडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और दूसरे टेक्निकल इंस्टिट्यूट तो दरकिनार रहे, ये न वजूद में है और न कई सालों तक वजूद में होंगे लेकिन हमें खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने उस तरफ हमें मिला कर के अब हमें इस काबिल बना दिया है कि हम अपनी स्कीमों पर एकजा बैठ कर के इस ढंग से सोचेंगे और बनायेंगे जिस से हम भी तरक्की करने में आगे कदम बढ़ा सकेंगे और हमारा इलाका भी ज्यादा खुशहाल होगा। वहां पहाड़ हैं जिन में जंगलात है और उन पहाड़ों के अन्दर मादनियात के जखीरे जमा हैं, मगर उनकी खोज अभी तक नहीं की गई है। उनकी खोज के लिये सही ढंग से प्लानिंग की जानी थी, लेकिन वह नहीं हुई। इस तरह से जो मादनियात वहां काम में आ सकते थे, जो इंडस्ट्रीज लग सकती थी, जो जंगलात पर निर्भर इंडस्ट्रीज लग सकती थी, उनका कहीं नामोनिशान तक

नहीं हैं। वहां सारी हिल एरिया में एक भी इंडस्ट्री आज तक कायम नहीं हुई है। यही शायद हिन्दुस्तान का वह बदनसीब और अभागा इलाका है और जिसमें आज तक कोई इंडस्ट्री कायम नहीं हुई है। हमारा वह इलाका तहसीलों तक महदूद था इस सिलसिले में टर्मि आफ रिफरेंस में यह था कि तहसील से नीचे किसी तरह की बात न की जाय। लेकिन हमारे इलाके को बांटने के लिये गांवों तक को इस्तेमाल किया गया चार गांव एक ब्लाक से भी निकाल कर के अलहदा कर दिये गये ताकि हमारे बड़े भाई जो आगे ही बड़े हुये हैं और हमारे मंझले भाई जो हमसे पहले से आगे हैं उनको कुछ न कुछ दे दिया जाय, सारा इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स का इलाका भी उन्हें दे दिया जाय, घर्म की बेसिस पर भी नाम ले कर के उन्हें कुछ दे दिया जाय, स्टेशन भी उनको दे दिये जायें। इस तरह से अब जो भी पैदावार हिमाचल की होगी उसको बाहर भेजने के लिये मंडियां और दूसरी चीजें कायम करने के लिये हर चीज नई बनानी पड़ेगी। यह मैं समझता हूं कि हमारे सूबे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसके बावजूद हम यह समझते हैं कि हमें अपनी सरकार पर भरोसा रखना है और वह हमारी मदद जरूरी करेगी। इसलिये हिन्दुस्तान के बाशिन्दे होते हुये हमें एक दूसरे पर इस तरह का कीचड़ उलेचना ठीक नहीं लगता है जैसे मेरे दूसरे भाइयों ने कहा क्योंकि हम सारे भारतीय हैं। आज हम कालो निस्ट की तरह जब यह समझते हैं यह हमारी कालोनी है, यह उनकी कालोनी है, यह कांगड़ा हमें दे दिया जाय, वह हमें दे दिया जाय, यह ठीक नहीं मालूम होता है। मुझे दुख है इस बात का कि वे हमारे जंगलात की तरफ नजर करते हैं, वे हमारे सेहत अपजा मुकामात की तरफ नजर करते हैं, लेकिन हमने बहुत गुर्बत के दिन वहां गुजारे हैं। उस सारे इलाके में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं था जहां किसी इन्फेक्शस डिजीज के मरीज को लाया जा सके और इलाज करवाया जा सके। हमें इलाज करवाने के लिये सैकड़ों मील दूर का सफर तय

करना पड़ता था। इसी तरह से हम और चीजों में भी बहुत पिछड़े हुये थे न कोई एक्स रे प्लान्ट था न कुछ था क्योंकि वहां के लिये कोई ठीक प्लान नहीं था। गलत प्लानिंग की वजह से ही वहां की हिल एरियाज को पिछड़ा रहना पड़ा। मैं यह नहीं कहता कि पंजाब वालों ने दीदोदानिश्ता ऐसा किया मेरा मतलब कहने का यह है कि पंजाब वाले उस ढंग से नहीं सोच सकते जिस ढंग से पहाड़ के रहने वाले सोच सकते हैं और अपने लिये तरक्की के रास्ते निकाल सकते हैं; मे उनको इसके लिये कुसूरवार नहीं ठहराता। मैं यह सोचता हूं कि गलत तरीके से अंग्रेजों ने हमें पंजाब के साथ मिला दिया था। अब हमें सही मुकाम मिला है और हम समझते हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे।

इसके साथ साथ ही अपने होम मिनिस्टर साहब दे मैं यह दरखास्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से इन दोनों सूबों को पूरे अख्तियारात का सूबा दिया जा रहा है उसी तरह से हमारा सूबा भी पूरे अख्तियारात का सूबा होना चाहिये ताकि हम भी अपनी प्लानिंग अपने तौर पर कर सकें और ऐसा न हो कि जब हम किसी दूसरे के सामने अपना प्लान ले कर के जायें तो वह हमारे प्लान को काट दे क्योंकि वे यह नहीं समझेंगे हमारा प्लान क्या है। एक मद्रास का रहनेवाला हिमालय की चोटियों पर बसने वाले लोगों की मुसीबतों से वाकिफ नहीं हो सकता क्योंकि वह हमारे साथ नहीं रहता है। इस लिये मैं यह सोचता हूं कि इस सूबे को भी फुल स्टेट का स्टेटस का दिया जाय तभी इस सूबे के रहने वाले इस सूबे की पूरी तरक्की कर सकते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि जिस तरह से हो सके और जैसे भी वह मुनासिब समझें वे इसको एक सूबे का स्टेटस दे कर के इसे भी तरक्की करने का मौका दें।

इसके साथ साथ, मैडम डिप्टी चेयरमैन, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे यहां बड़े बड़े डेम बने उनकी वजह से वहां हजारों लोगों को उठना पड़ा, आबाई घरों को छोड़ना पड़ा,

[अ० शालिग्राम]

जहां उनकी परवरिश हुई, जहां उन्होंने जवानी के दिन गुजारे उसे छोड़ कर उनको दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब जैसे भाखरा डैम है। अब इस पर कब्जा दिखाने वाले दूसरे लोग हैं, उसकी कमाई खाने वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन उससे हमारे यहां एक एक चप्पा जमीन को भी पानी नहीं मिला और न उस डैम से निकालने वाली बिजली से हमें रोशनी मिली। इसका इन्तजाम करने के लिये वहां दूसरे लोग आये और उनको वहां सविसेज में ले लिया गया। इसी तरह अब जो ब्यास डैम बन रहा है, इस डैम के बनने से हमारी एक एकड़ जमीन खराब नहीं होगी, लेकिन हमारे तकरीबन 60, 70 हजार इंसान वहां से उठ कर आयेंगे और उन्हें राजस्थान में आ कर के रहना पड़ेगा। अब कहां वह हिल एरिया की सड़ हवायें और कहां वह रेगिस्तान की तपती धूप और उसमें हमें रहना होगा। हम इसके लिये भी तैयार हुये और हमने अपने को इसके लिये वालंटियर किया कि हिन्दुस्तान के लाजेंर इंटेस्ट के लिये हम अपनी कुर्बानी देंगे। हमें दुख है कि फिर भी हमारी मुसीबतों की किसी को कोई खबर नहीं होती है। अब हमें राजस्थान वाले टुकड़ों में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक घर यहां आबाद किया और दूसरा घर दस मील के बाद किया। हम बड़े हैरान हैं कि हम 60 हजार इंसान सिर्फ इस लिये उठ रहे हैं कि हिन्दुस्तान के लाखों करोड़ों इंसानों को फायदा पहुंचे, उनके लिये ज्यादा सुख के सामान पैदा हों, लेकिन हमारे लिये कुछ नहीं सोचा जाता है।

हमें इसलिये भी दुख है कि पंजाब की जा इस तरह की गलत प्लानिंग थी उसके हम हमेशा शिकार रहे और उसकी बजह से ही अब उस वक्त तक गरीब रहे हैं। हमने कांगड़ा में सिर्फ एक चीज ही पैदा की है और वह है मिलिट्री के डिप्लिन्ड सोलजर्स क्योंकि इसमें कोई पोलिटिकल इंकलुएंस की जरूरत नहीं थी। अपनी तौर पर हम अपनी

ताकत से मिलिट्री में भती होते थे। लड़ाई लड़ते थे और दुश्मनों से लोहा लेते थे और उसमें जब भी कभी देश को जरूरत हुई तो डोगरा सिपाही हमेशा दूसरों से आगे रहे। तो यह चीज थी जिसे हम हासिल कर सके। पंजाब से जहां तक हमें मिलने का ताल्लुक है हर चीज जीरो है, जीरो से ज्यादा नहीं बढ़ी। डेवलपमेंट और सविसेज के लिहाज से कहा गया अभी कि हमें सविसेज में कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं कि हिल एरियाज की 15-16 लाख आबादी होने पर भी सविसेज में एक परसेंट हिस्सा मिलता था। one percent in the total services of Punjab फोर्थ ग्रेड में कांगड़ा के लोग भती होते थे। यही वजह है कि उन्हें डर है कि वहां के छोटे छोटे बच्चे नौकर लाए जाते थे वे अब नहीं मिलेंगे। वह जमाना गया जब नौकर रखे जायेंगे। अब पंजाब में नौकर नहीं मिलेंगे उन्हें बड़ा दुख इस बात का हो रहा है। हम समझते हैं कि हमें भी एक आजाद शहरी की तरह आगे तरक्की करनी है और तरक्की करने के लिये आप हमें मौका दें। अगर हमारी स्टेट को पूरा स्टेट का स्टेटस नहीं दिया गया तो हम तरक्की करने से फिर रह जायेंगे और हम उन्हीं पिछड़े हुये लोगों में शुमार रहेंगे जिन्हें पहाड़िए कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप हमें मौका दें और हम पहाड़िए रहते हुये भी और लोगों के शाना-ब-शाना चल सकें। इसके लिए हमारी स्टेट को फुल स्टेट का स्टेटस दे दिया जाय। यही मेरी दरखास्त है।

SIXTEENTH REPORT OF THE COM-
MITTEE ON PETITIONS

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh) : With your permission, Madam, I beg to present the Sixteenth Report of the Committee on Petitions.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned thirteen minutes past six o'clock till eleven of the clock Saturday, the 10th September 1966.